"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 111] रायपुर, सोमवार, दिनांक 7 मई 2012—वैशाख 17, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 मई 2012

क्र. 3813/डी. 129/21-अ/प्रा./छ.ग./12.—भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक फा. सं. 1 (2)/2010-संशो./दिनांक 26-3-2012 के अनुसरण में केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु पुन: प्रकाशित की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2010/23 आश्विन, 1932 (शक)

दि रिप्रेजेन्टेशन ऑफ दि पीपुल (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2009; (2) दि वर्कमैन्स कंपनसेशन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2009; (3) दि स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र (रिपील) एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (सब्सिडियरी बैंक्स) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2009; (4) दि सेलेरीज एंड एलाउन्सेस ऑफ मिनिस्टर्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2009; (5) दि सिविल डिफेन्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2009; (6) दि रबर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2009; (7) दि फाइनेन्स ऐक्ट, 2010; (8) दि पेमेंट ऑफ ग्रेच्यूटी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2010; (9) दि तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐक्ट, 2010;

(10) दि प्लांटेशन लेबर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2010; (11) दि एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2010 और (12) दि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऐक्ट, 2010 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे :—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, October 15, 2010/Asvina 23, 1932 (Saka)

The translation in Hindi of the Representation of the People (Amendment) Act, 2009; (2) The Workmen's Compensation (Amendment) Act, 2009; (3) The State Bank of Saurashtra (Repeal) and the State Bank of India (Subsidiary Banks) Amendment Act, 2009; (4) The Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Act, 2009; (5) The Civil Defence (Amendment) Act, 2009; (6) The Rubber (Amendment) Act, 2009; (7) The Finance Act, 2010; (8) The Payment of Gratuity (Amendment) Act, 2010; (9) The Tamil Nadu Legislative Council Act, 2010; (10) The Plantation Labour (Amendment) Act, 2010; (11) The Employee's State Insurance (Amendment) Act, 2010; and (12) The National Green Tribunal Act, 2010 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963) :—

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2009

(2009 का अधिनियम संख्यांक 41)

[22 दिसम्बर, 2009]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

अध्याय 2

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का संशोधन

1950 का 43

धारा 24 का संशोधन।

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 में,—

(i) खंड (क) में ''मुख्य निर्वाचन आफिसर'' शब्दों के स्थान पर, ''जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(ख) खंड (क) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के खिलाफ मुख्य निर्वाचन आफिसर को होगी।''।

1950 का 43

द्वितीय अनुसूची का संशोधन।

3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की द्वितीय अनुसूची में, मिजोरम राज्य से संबंधित क्रम संख्यांक 18 के सामने स्तंभ 7 में की प्रविष्टि ''38'' के स्थान पर प्रविष्टि ''39'' रखी जाएगी।

अध्याय 3

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का संशोधन

1951 का 43

धारा 8क का संशोधन।

4. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), धारा 8क की उपधारा (1) में, ''उस आदेश के प्रभावशील होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र,'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसे आदेश के प्रभावशील होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर यथाशक्य शीघ्र,'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 34 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में, ''दस हजार रुपए की राशि, अथवा जहां अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वहां पांच हजार रुपए की राशि'' शब्दों के स्थान पर, ''पच्चीस हजार रुपए की राशि अथवा जहां अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वहां बारह हजार पांच सौ रुपए की राशि'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में, ''पांच हजार रुपए की राशि, अथवा जहां अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वहां दो हजार पांच सौ रुपए की राशि'' शब्दों के स्थान पर, ''दस हजार

रुपए की राशि अथवा जहां अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वहां पांच हजार रुपए की राशि" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 123 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 123 के खंड (7) में,—

(i) "सरकार की सेवा में के" शब्दों के स्थान पर, "किसी व्यक्ति से, चाहे वह सरकार की सेवा में हो या नहीं" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपखंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ज) निर्वाचनों के संचालन के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय प्राधिकारी, विश्वविद्यालय, सरकारी कंपनी या संस्था या समुत्थान या उपक्रम की सेवा में नियुक्त या प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के वर्ग:"।

नई धारा 126क और धारा 126ख का अंत:स्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 126 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम आदि के प्रकाशन और प्रसारण पर निर्बंधन।

"126क. (1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा।

(2) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेश द्वारा तारीख और समय अधिसूचित करेगा, अर्थात्:—

(क) साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में, मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी;

(ख) किसी उप-निर्वाचन या एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में वह अवधि मतदान के पहले दिन से ही मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी:

परन्तु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए:—

(क) "निर्गम मत सर्वेक्षण" से वह राय सर्वेक्षण अभिप्रेत है जो इस संबंध में है कि निर्वाचकों ने कैसे किसी निर्वाचन में मतदान किया या इस संबंध में है कि किसी निर्वाचन में किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी की पहचान सभी मतदाताओं ने कैसे की है;

(ख) "इलेक्ट्रानिक मीडिया" के अन्तर्गत इंटरनेट, रेडियो और टेलीविजन भी हैं, जिसमें इंटरनेट प्रोटोकाल टेलीविजन, सेटेलाइट, क्षेत्रीय या केबल चैनल, मोबाइल और ऐसा अन्य मीडिया सम्मिलित है जो सरकार के या निजी व्यक्ति अथवा दोनों के स्वामित्वाधीन है;

(ग) "प्रिंट मीडिया" के अंतर्गत कोई समाचारपत्र, पत्रिका या नियतकालिक पत्रिका, पोस्टर, प्लेकार्ड, हैंडबिल या कोई अन्य दस्तावेज भी हैं;

(घ) "प्रसार" के अन्तर्गत किसी "प्रिंट मीडिया" में प्रकाशन या किसी इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रसारण या प्रदर्शन भी है।

कंपनियों द्वारा अपराध।

126ख. (1) जहां धारा 126क की उपधारा (2) के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के

संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के लिए दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या अन्य व्यष्टि संगम भी है; और

(ख) "निदेशक" से किसी फर्म के संबंध में फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।"।

222(4)
ब्लैंक पेज
नंबर नहीं
लगेगा

कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम, 2009

(2009 का अधिनियम संख्यांक 45)

[22 दिसम्बर, 2009]

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

1923 का 8

बृहत् नाम का संशोधन।

2. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के बृहत् नाम में "कर्मकारों", शब्द के स्थान पर, "कर्मचारियों", शब्द रखा जाएगा।

उद्देशिका का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की, उद्देशिका में, "कर्मकारों" शब्द के स्थान पर "कर्मचारियों" शब्द रखा जाएगा।

धारा 1 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) में, "कर्मकार" शब्द के स्थान पर "कर्मचारी" शब्द रखा जाएगा।

कतिपय अभिव्यक्तियों के प्रतिनिर्देशों के स्थान पर कतिपय अन्य अभिव्यक्तियों का प्रतिस्थापन।

5. सम्पूर्ण मूल अधिनियम में, "कर्मकार" और "कर्मकारों" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, क्रमश: "कर्मचारी" और "कर्मचारियों" शब्द रखे जाएंगे और ऐसे अन्य पारिणामिक संशोधन भी किए जाएंगे, जो व्याकरण के नियमों द्वारा अपेक्षित हों।

धारा 2 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(घघ) "कर्मचारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो,—

1989 का 24

(i) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (34) में यथापरिभाषित ऐसा रेल कर्मचारी है, जो किसी रेल के किसी प्रशासनिक जिला या उपखंड कार्यालय में स्थायी रूप से नियोजित नहीं है और किसी ऐसी हैसियत में नियोजित नहीं है, जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट है ; अथवा

(ii)(क) किसी पोत का मास्टर, नाविक या कर्मीदल का अन्य सदस्य है;

(ख) किसी वायुयान का केप्टन या कर्मीदल का अन्य सदस्य है;

(ग) किसी मोटर यान के संबंध में ड्राईवर, हेल्पर, मैकेनिक, क्लीनर के रूप में या किसी अन्य हैसियत में भर्ती किया गया व्यक्ति है;

(घ) ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी कंपनी द्वारा विदेश में काम करने के लिए भर्ती किया जाता है,

और जो भारत के बाहर किसी ऐसी हैसियत में जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट है नियोजित है, और, यथास्थिति, ऐसा पोत, वायुयान या मोटर यान अथवा कंपनी भारत में रजिस्ट्रीकृत है, अथवा

(iii) किसी ऐसी हैसियत में नियोजित है, जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट है,चाहे नियोजन की संविदा इस अधिनियम के पारित किए जाने से पहले या उसके पश्चात् की गई थी और

चाहे ऐसी संविदा अभिव्यक्त या विवक्षित हो, मौखिक या लिखित में हो; किंतु इसमें ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं है, जो संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य की हैसियत में कार्य कर रहा है और किसी कर्मचारी के प्रति निर्देश में, जो आहत हो गया हो, जहां कर्मचारी की मृत्यु हो गई है, उसके आश्रितों या उनमें से किसी के प्रति निर्देश सम्मिलित है;';

(ii) खंड (ढ) का लोप किया जाएगा।

धारा 4 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में ,''अस्सी हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''एक लाख बीस हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में, ''नब्बे हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''एक लाख चालीस हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर, खंड (क) और खंड (ख) में उल्लिखित प्रतिकर की रकम में वृद्धि कर सकेगी।'';

(iv) खंड (ख) के पश्चात्, स्पष्टीकरण 2 का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(1ख) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए किसी कर्मचारी के संबंध में ऐसी मासिक मजदूरी विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे।'';

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(2क) कर्मचारी को नियोजन के दौरान कारित क्षतियों के उपचार के लिए उसके द्वारा उपगत वास्तविक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।'';

(घ) उपधारा (4) में,—

(अ) ''दो हजार पांच सौ रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''पांच हजार रुपए से अन्यून'' शब्द रखे जाएंगे;

(आ) निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर इस उपधारा में विनिर्दिष्ट रकम में वृद्धि कर सकेगी।''।

धारा 20 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) में, ''किसी भी व्यक्ति को'' शब्दों के पश्चात्, ''जो राज्य न्यायिक सेवा का पांच वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए सदस्य है या रहा है या पांच वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए अधिवक्ता या प्लीडर है या रहा है या पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए ऐसा राजपत्रित अधिकारी है या रहा है, जो कार्मिक प्रबंध, मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंधों में शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो,'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

नई धारा 25क का अंत:स्थापन।

9. मूल अधिनियम की धारा 25 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

प्रतिकर से संबंधित विषयों के निपटान के लिए समय सीमा।

''25क. आयुक्त, निर्देश की तारीख से, तीन मास की अवधि के भीतर इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर से संबंधित मामले का निपटान करेगा और कर्मचारी को उक्त अवधि के भीतर उसके संबंध में विनिश्चय के बारे में सूचित करेगा।''।

10. मूल अधिनियम की अनुसूची 2 में,—

अनुसूची 2 का संशोधन।

(i) "धारा 2(1)(ढ)" शब्द, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "धारा 2(1)(घघ)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) मद (i) में "लिपिकीय हैसियत में या रेल में नियोजित होने से अन्यथा" शब्दों के स्थान पर "रेल में नियोजित" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) मद (ii) में, "लिपिकीय हैसियत में नियोजित होने से अन्यथा" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iv) मद (iii) में, "जिसमें या जिसकी प्रसीमाओं के अंदर बीस या अधिक व्यक्ति ऐसे नियोजित हैं" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(v) मद (v) में, "जो लिपिकीय काम से भिन्न हो", शब्दों का लोप किया जाएगा;

(vi) मद (vi) में,—

(क) खंड (ख) का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (ग) में "और उपखंड (ख)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षर का लोप किया जाएगा;

(vii) मद (x) में, "लिपिकीय हैसियत से भिन्न हैसियत में," शब्दों का लोप किया जाएगा;

(viii) मद (xiv) में, "लिपिकीय हैसियत से भिन्न हैसियत में" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ix) मद (xvi) में, "जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में किसी दिन पच्चीस से अधिक व्यक्ति नियोजित रहे हैं" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(x) मद (xviii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(xviii) किसी भू-संपदा में नियोजित, जिसका अनुरक्षण इलायची, सिनकोना, कॉफी, रबड़ या चाय उगाने के प्रयोजन के लिए किया जाता है; या";

(xi) मद (xix) में, "लिपिकीय हैसियत से भिन्न हैसियत में" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(xii) मद (xxvi) में,—

(क) खंड (क) में, "और जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में किसी एक दिन दस या अधिक व्यक्ति इस प्रकार नियोजित रहे हैं" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (ख) में, "जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में किसी दिन पचास या अधिक व्यक्ति इस प्रकार नियोजित रहे हैं" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(xiii) मद (xxx) में, "लिपिकीय हैसियत से भिन्न हैसियत में" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(xiv) मद (xl) और मद (xli) में, "जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास के किसी एक दिन पच्चीस से अधिक व्यक्ति नियोजित रहे हैं" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(xv) मद (xlix) के पश्चात् अंत में, आने वाले स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा।

सौराष्ट्र स्टेट बैंक (निरसन) और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन अधिनियम, 2009

(2009 का अधिनियम संख्यांक 48)

[31 दिसम्बर, 2009]

सौराष्ट्र स्टेट बैंक अधिनियम, 1950 का निरसन करने और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सौराष्ट्र स्टेट बैंक (निरसन) और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन अधिनियम, 2009 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

अध्याय 2

सौराष्ट्र स्टेट बैंक अधिनियम, 1950 का निरसन

निरसन और व्यावृत्ति।

2. (1) सौराष्ट्र स्टेट बैंक अधिनियम, 1950 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, सौराष्ट्र स्टेट बैंक द्वारा की गई कोई बात या कार्रवाई जिसके अंतर्गत सौराष्ट्र स्टेट बैंक अधिनियम, 1950 के उपबंधों के अधीन किया गया कोई करार भी है, उसी प्रकार प्रवृत्त बनी रहेगी और इस प्रकार प्रभावी होगी मानो यह अधिनियम अधिनियमित न किया गया हो।

1897 का 10

(3) उपधारा (2) में विशिष्टियों के उल्लेख का, निरसन के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारण लागू होने के प्रतिकूल होने वाला या प्रभावित करने वाला अर्थ नहीं लगाया जाएगा।

अध्याय 3

भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 का संशोधन

1959 का 38

धारा 2 का संशोधन।

3. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् समनुषंगी बैंक अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(i) खंड (क) के उपखंड (iv) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (झ) का लोप किया जाएगा;

(iii) खंड (ट) में "और सौराष्ट्र बैंक भी आते हैं" शब्दों के स्थान पर "भी आता है" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 14 का संशोधन।

4. समनुषंगी बैंक अधिनियम की धारा 14 में, —

(i) पार्श्व शीर्षक में ", सौराष्ट्र बैंक" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उपधारा (1) में, ", सौराष्ट्र बैंक की बाबत गुजरात राज्य सरकार" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iii) उपधारा (2) और परंतुक में, ", गुजरात राज्य सरकार" और "या गुजरात राज्य सरकार" शब्दों का क्रमश: लोप किया जाएगा;

(iv) उपधारा (3) में, ", गुजरात राज्य सरकार" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(v) उपधारा (4) में, ", गुजरात राज्य सरकार" शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 23 का संशोधन।

5. समनुषंगी बैंक अधिनियम की धारा 23 में,—

(i) "हैदराबाद बैंक और सौराष्ट्र बैंक" शब्दों के स्थान पर " और हैदराबाद बैंक" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "हैदराबाद बैंक या सौराष्ट्र बैंक" शब्दों के स्थान पर "या हैदराबाद बैंक" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 42 का संशोधन।

6. समनुषंगी बैंक अधिनियम की धारा 42 में, ", हैदराबाद बैंक या सौराष्ट्र बैंक" शब्दों के स्थान पर "या हैदराबाद बैंक" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 46 का संशोधन।

7. समनुषंगी बैंक अधिनियम की धारा 46 में,—

(i) पार्श्व शीर्षक में "और सौराष्ट्र बैंक" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उपधारा (1) में "या सौराष्ट्र बैंक" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iii) स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा।

धारा 47 का संशोधन।

8. समनुषंगी बैंक अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (1) में, ",हैदराबाद बैंक या सौराष्ट्र स्टेट बैंक" शब्दों के स्थान पर "या हैदराबाद बैंक" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 49 का संशोधन।

9. समनुषंगी बैंक अधिनियम की धारा 49 में,—

(i) उपधारा (1) में, "या सौराष्ट्र बैंक" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उपधारा (2) में, "या सौराष्ट्र बैंक" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iii) उपधारा (3) में, "या सौराष्ट्र बैंक" शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 56 का संशोधन।

10. समनुषंगी बैंक अधिनियम की धारा 56 में,—

(i) पार्श्व शीर्षक में, "और सौराष्ट्र बैंक" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) "और सौराष्ट्र बैंक" शब्दों का दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, लोप किया जाएगा;

(iii) "या सौराष्ट्र बैंक" शब्दों का लोप किया जाएगा तथा "होंगे" शब्द के स्थान पर "होगा" शब्द रखा जाएगा।

प्रथम अनुसूची का संशोधन।

11. समनुषंगी बैंक अधिनियम की प्रथम अनुसूची के पैरा 1 के उपपैरा क में, ",पटियाला बैंक या सौराष्ट्र बैंक" शब्दों के स्थान पर "या पटियाला बैंक" शब्द रखे जाएंगे।

मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) अधिनियम, 2009

(2010 का अधिनियम संख्यांक 2)

[21 जनवरी, 2010]

मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

1952 का 58

1952 के अधिनियम 58 की धारा 6 का संशोधन।

2. मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 की धारा 6 में, उपधारा (1क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

"(1क) कोई मंत्री, भारत के भीतर प्रत्येक वर्ष के दौरान या तो अकेले या पति अथवा पत्नी या उसके साथ रह रहे और उस पर पूर्णत: आश्रित धर्मज या सौतेली सन्तानों या किसी भी संख्या में साथियों या नातेदारों के साथ उसके द्वारा की गई एकल यात्रा के लिए यात्री किराए के बराबर रकम का, उन्हीं दरों पर जिन पर उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट दौरों के संबंध में, उस खंड के अधीन ऐसे मंत्री को यात्रा भत्ता संदेय है, प्रति वर्ष अधिकतम ऐसे अड़तालीस यात्री किराए के अधीन रहते हुए हकदार होगा:–

परंतु, यथास्थिति, पति अथवा पत्नी या मंत्री के साथ रह रहे और उस पर पूर्णत: आश्रित धर्मज या सौतेली संतान अकेले ऐसी यात्रा कर सकेगी।"।

नागरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2009

(2010 का अधिनियम संख्यांक 3)

[21 जनवरी, 2010]

नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नागरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

1968 का 27

धारा 2 का संशोधन।

2. नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 की धारा 2 में,–

(i) खंड (क) में, ''पश्चात् किए जाएं'' शब्दों के पश्चात् ''या ऐसा कोई उपाय है जो किसी आपदा के पूर्व, दौरान, समय या उसके पश्चात् आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए किया गया है'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

2005 का 53

'(छ) ''आपदा'' से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (घ) में यथा परिभाषित कोई आपदा अभिप्रेत है;

2005 का 53

(ज) ''आपदा प्रबंधन'' से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (ङ) में यथापरिभाषित आपदा प्रबंधन अभिप्रेत है।'।

रबड़ (संशोधन) अधिनियम, 2009

(2010 का अधिनियम संख्यांक 4)

[21 जनवरी, 2010]

रबड़ अधिनियम, 1947 का और
संशोधन करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम रबड़ (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

1947 का 24

धारा 3 का संशोधन।

2. रबड़ अधिनियम, 1947 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में,—

(क) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(छक) ''प्रसंस्करणकर्ता'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो रबड़ का प्रसंस्करण करने का भार अपने ऊपर लेता है,';

(ख) खंड (ट) में ''पचास एकड़'' शब्दों के स्थान पर, ''दस हेक्टेयर'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 4 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(घक) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन सदस्य, जिनमें से दो वाणिज्य विभाग से और एक कृषि और सहकारिता विभाग से होगा;''।

धारा 8 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(i) उपधारा (2) में,—

(क) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(घक) रबड़ की क्वालिटी में सुधार करना और भारत में उत्पादित या प्रसंस्कृत, आयातित या भारत से निर्यातित रबड़ की क्वालिटी, चिह्नांकन, लेबल लगाने और पैकिंग के मानकों को लागू करना;'';

(ख) खंड (ङ) में, ''और विनिर्माताओं'' शब्दों के स्थान पर, ''विनिर्माताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) के खंड (ग) में, ''अर्धवार्षिक रिपोर्टें'' शब्दों के स्थान पर, ''वार्षिक रिपोर्ट'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 9, धारा 9क और धारा 9ख के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 9, धारा 9क और धारा 9ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

रबड़ विकास निधि।

''9. (1) रबड़ विकास निधि नामक एक निधि होगी और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे,—

(क) वे सभी धन, जो रबड़ (संशोधन) अधिनियम, 2009 के प्रारंभ से ठीक पूर्व बोर्ड की निधियां थीं;

(ख) धारा 12 की उपधारा (7) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड को संदत्त उपकर के आगम;

(ग) ऐसी कोई धनराशि, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदानों या उधारों के रूप में बोर्ड को संदत्त की जाए;

(घ) बोर्ड के आंतरिक और बाह्य बजट संसाधन;

(ङ) धारा 26क के अधीन प्राप्त और संगृहीत सभी धन; और

(च) ऐसी कोई अन्य राशि, जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत की जाए।

(2) रबड़ विकास निधि का उपयोजन—

(क) बोर्ड के व्यय को;

(ख) धारा 8 में निर्दिष्ट उपायों पर होने वाले खर्च को;

(ग) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके कृत्यों के अनुपालन में उपगत व्यय को;

(घ) लघु उत्पादकों के पुनर्वास के लिए व्यय को; और

(ङ) रबड़ संपदाओं को ऐसे अनुदान देने के लिए या रबड़ संपदाओं को ऐसी अन्य सहायता देने पर होने वाले खर्चे को, जिसे बोर्ड ऐसी संपदाओं के विकास के लिए आवश्यक समझे,

पूरा करने के लिए किया जाएगा।''।

धारा 10 का लोप। **6.** मूल अधिनियम की धारा 10 का लोप किया जाएगा।

धारा 12 का संशोधन। **7.** मूल अधिनियम की धारा 12 में,—

(i) उपधारा (2) में,—

(क) ''ऐसी रबड़ का प्रयोग किया जाता है,'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसी रबड़ का प्रयोग किया जाता है या ऐसे निर्यातक से, जिसके द्वारा ऐसी रबड़ का निर्यात किया जाता है,'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''परंतु केन्द्रीय सरकार, यदि लोकहित में आवश्यक समझती है, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, आदेश द्वारा निर्यातित रबड़ पर उत्पाद-शुल्क से, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन्हें वह ठीक समझे, छूट दे सकेगी या उसे कम कर सकेगी:

परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भारत में उत्पादित और प्राकृतिक रबड़ के निर्यातकों द्वारा निर्यात के लिए उपाप्त, प्राकृतिक रबड़ पर 1 अप्रैल, 1961 से 31 अगस्त, 2003 तक की अवधि के लिए शून्य पैसा प्रति किलोग्राम उत्पाद-शुल्क की दर विनिर्दिष्ट कर सकेगी।'';

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(3) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, प्रत्येक स्वामी, निर्यातक या विनिर्माता उत्पाद-शुल्क का संदाय बोर्ड को उपधारा (4) में निर्दिष्ट रीति में और अवधि के लिए करेगा और, यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो शुल्क, यथास्थिति, स्वामी, निर्यातक या विनिर्माता से संग्रहण के खर्चे और ऐसी दर पर ब्याज सहित, जो विहित की जाए, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।'';

(iii) उपधारा (4) के खंड (ख) में,—

(क) ''पंद्रह दिन'' शब्दों के स्थान पर, '' तीस दिन'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपखंड (ii) में, ''प्रयोग की गई रबड़'' शब्दों के स्थान पर, ''अर्जित की गई रबड़'' शब्द रखे जाएंगे;

(iv) उपधारा (5) में,—

(क) ''स्वामी या विनिर्माता'' शब्दों के स्थान पर, ''स्वामी, निर्यातक या विनिर्माता'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) ''जो विहित की जाए'' शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''और, सूचना जारी करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, यथास्थिति, स्वामी, निर्यातक या विनिर्माता से, ब्याज की ऐसी दर,जो उपधारा (3) में नियत की गई है, सहित उपकर संगृहीत कर सकेगा:

परंतु जहां किसी कारण से बोर्ड यह पाता है कि, यथास्थिति, स्वामी, निर्यातक या विनिर्माता ने उससे शोध्य उपकर से अधिक उपकर का संदाय कर दिया है, वहां वह उससे शोध्य भावी संदाय, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जाएगा या उसे वापस किया जाएगा।''।

धारा 13 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) में, ''केन्द्रीय सरकार'' शब्दों के पश्चात् ''यदि वह आवश्यक समझे,'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 17 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

9. मूल अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

रबड़ की क्वालिटी, चिह्नांकन, आदि के लिए मानकों को लागू करना।

''17. (1) बोर्ड, भारत में उत्पादित या प्रसंस्कृत, आयातित या भारत से निर्यातित रबड़ के लिए रबड़ के विभिन्न विपणन योग्य रूपों की क्वालिटी, चिह्नांकन, लेबल लगाने और पैकिंग के लिए मानकों को लागू करेगा।

(2) अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत बोर्ड का कोई अधिकारी उपधारा (1) के अधीन मानकों केअनुपालन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए किसी युक्तियुक्त समय पर किसी व्यौहारी, प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता या निर्यातक के किसी कारखाने या अन्य परिसरों में किसी व्यौहारी या प्रसंस्करणकर्ता द्वारा विक्रय या क्रय की गई रबड़ का निरीक्षण कर सकेगा।''।

धारा 18 का लोप।

10. मूल अधिनियम की धारा 18 का लोप किया जाएगा।

धारा 19 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 19 में, ''धारा 15 या धारा 17'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''या धारा 15'' शब्द और अंक रखे जाएंगे।

धारा 21 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 21 में,—

(क) ''बोर्ड का कोई अधिकारी'' शब्दों के स्थान पर, ''अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत बोर्ड का कोई अधिकारी'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) ''किसी विनिर्माता'' शब्दों के स्थान पर, ''किसी विनिर्माता या प्रसंस्करणकर्ता'' शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 22क का अंत:स्थापन।

13. मूल अधिनियम की धारा 22 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

बोर्ड को निदेश जारी करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

''22क. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, नीतिगत प्रश्नों के संबंध में ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा जो केन्द्रीय सरकार उसे समय-समय पर लिखित रूप में दे:

परंतु बोर्ड को यथासाध्य, इस उपधारा के अधीन कोई निदेश किए जाने से पूर्व, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।

(2) इस बारे में केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा कि क्या कोई प्रश्न नीति संबंधी है या नहीं।"।

नई धारा 24क का अंत: स्थापन।

14. मूल अधिनियम की धारा 24 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

प्रत्यायोजित करने की शक्ति।

"24क. केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का प्रयोग और पालन किए जाने वाले कृत्यों का पालन, ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए।"।

धारा 25 का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) में,—

(क) खंड (xx) का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (xxक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(xxख) धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन शुल्क के विलंबित संदाय की दशा में, वसूल किया जाने वाला संग्रहण खर्च और ब्याज की दर ;";

(ग) खंड (xxi) में "या धारा 17" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा।

नई धारा 25क का अंत:स्थापन।

16. मूल अधिनियम की धारा 25 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

विनियम बनाने की शक्ति।

"25क. (1) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिसूचना द्वारा अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत न हों।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।"।

धारा 26 का संशोधन।

17. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) में, "एक हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 26क का अंत:स्थापन।

18. मूल अधिनियम की धारा 26 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अपराधों का शमन।

1974 का 2

"26क. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, अभियोजन संस्थित किए जाने से पूर्व या अभियोजन संस्थित किए जाने के पश्चात् न्यायालय की अनुमति से बोर्ड को ऐसी धनराशि जो उस माल के मूल्य से अधिक न हो जिसकी बाबत उल्लंघन किया गया है, के संदाय पर बोर्ड द्वारा शमन किया जा सकेगा।"।

वित्त अधिनियम, 2010

2010 का अधिनियम संख्यांक 14

[8 मई, 2010]

वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2010 है।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 2 से धारा 56 तक 1 अप्रैल, 2010 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

आय-कर।

2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2010 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण-वर्ष के लिए आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से, प्रभारित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय एक लाख साठ हजार रुपए से अधिक हो जाती है वहां,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा [अर्थात् मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम एक लाख साठ हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो]; और

(ख) प्रभार्य आय-कर निम्नलिखित रीति से परिकलित किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में एक लाख साठ हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी :

परंतु पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट प्रत्येक स्त्री की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है, इस धारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "एक लाख साठ हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख नब्बे हजार रुपए" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष का या उससे अधिक आयु का है, इस धारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "एक लाख साठ हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख चालीस हजार रुपए" शब्द रखे गए हों।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 12 या अध्याय 12क या अध्याय 12ज या धारा 115जख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण, उस अध्याय या उस धारा में यथा उपबंधित रीति से और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा :

1961 का 43

परंतु धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115ङ और धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,—

(क) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से;

(ख) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से,

अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है।

(4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 115ण या धारा 115द की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, कर उन धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के साढ़े सात प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के अधीन, प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, उनमें कटौतियां पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी

और उन मामलों में जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 194ग, धारा 194ङ, धारा 194ङङ, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194ञ, धारा 194ठक, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौतियां उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और उसमें देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित तथा कटौतियों के अधीन रहते हुए आय या ऐसी आय का योग एक करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परंतुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उन दशाओं में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा।

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा।

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है या उस पर संदत्त किया जाना है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में और उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115जख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, "अग्रिम कर" की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से की जाएगी:

परंतु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित "अग्रिम कर" की रकम में, कंपनी के मामले से संबंधित पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा ङ में उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115ङ और धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में पहले परंतुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" में,—

(क) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के साढ़े सात प्रतिशत की दर से;

(ख) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के ढाई प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगाः

परंतु यह और भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है।

(10) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और कुल आय एक लाख साठ हजार रुपए से अधिक हो जाती है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना करने में,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में, केवल, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा (अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम एक लाख साठ हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो); और

(ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" निम्नानुसार प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित किया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में एक लाख साठ हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" होगी :

परंतु ऐसी प्रत्येक स्त्री की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "एक लाख साठ हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख नब्बे हजार रुपए" शब्द रखे गए थे :

परंतु यह और कि ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "एक

लाख साठ हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख चालीस हजार रुपए" शब्द रखे गए हों :

(11) उपधारा (1) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, लागू अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर दो प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :

परंतु इस उपधारा की कोई बात उन दशाओं में लागू नहीं होगी, जिनमें आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में वर्णित कर की इस प्रकार कटौती की जानी है या संग्रहण किया जाना है मानो, आय को स्रोत पर कर की कटौती या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए किसी देशी कंपनी या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जो भारत में निवासी है, संदत्त किया गया है।

(12) उपधारा (1) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, लागू अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर एक प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :

परंतु इस उपधारा की कोई बात उन दशाओं में लागू नहीं होगी, जिनमें आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में वर्णित कर की इस प्रकार कटौती की जानी है या संग्रहण किया जाना है मानो, आय को स्रोत पर कर की कटौती या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए किसी देशी कंपनी या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जो भारत में निवासी है, संदत्त किया गया है।

(13) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "देशी कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2010 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में ऐसी आय में से संदेय लाभांशों (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी हैं) की घोषणा और भारत में उनके संदाय के लिए इंतजाम कर लिए हैं;

(ख) "बीमा कमीशन" से बीमा कारबार की (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, उनका नवीकरण या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार भी है) याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, "शुद्ध कृषि-आय" से, पहली अनूसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है;

(घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में या पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ हैं, जो उस अधिनियम में उनके हैं।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 2 का संशोधन।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खंड (15) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2009 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि पहला परंतुक तब लागू नहीं होगा, यदि उसमें निर्दिष्ट क्रियाकलापों से प्राप्तियों का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वर्ष में दस लाख रुपए या उससे कम है;";

(ख) खंड (24) के उपखंड (xv) में, "खंड (vii)" शब्द, कोष्ठक और अंकों के पश्चात्, "या खंड (viiक)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर 1 जून, 2010 से अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 9 का संशोधन।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 9 में उपधारा (2) के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा और 1 जून, 1976 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी अनिवासी की आय उपधारा (1) के खंड (v) या खंड (vi) या खंड (vii) के अधीन भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाएगी और ऐसे अनिवासी की कुल आय में सम्मिलित की जाएगी, चाहे,—

(i) अनिवासी का भारत में कोई निवास या कारबार का स्थान या कारबार का संबंध हो अथवा नहीं; या

(ii) अनिवासी ने भारत में सेवाएं प्रदान की हों अथवा नहीं।"।

धारा 10 का संशोधन।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (21) में, 1 अप्रैल, 2011 से,—

(क) "वैज्ञानिक अनुसंधान संगम" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "अनुसंधान संगम" शव्द रखे जाएंगे;

(ख) आरंभिक भाग में, "खंड (ii)" शब्द, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात्, "या खंड (iii)" शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) पहले परंतुक के खंड (क) में,—

(अ) उपखंड (i) में,—

(I) मद (2) में, "वैज्ञानिक अनुसंधान" शब्दों के स्थान पर, "वैज्ञानिक अनुसंधान या समाज विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान" शब्द रखे जाएंगे;

(II) मद (3) में, "खंड (ii)" शब्द, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात्, "या खंड (iii)" शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(आ) उपखंड (ii) में, "वैज्ञानिक अनुसंधान" शब्दों के स्थान पर, "वैज्ञानिक अनुसंधान या समाज विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 10कक का संशोधन।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 10कक की उपधारा (7) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

2009 का 33

"परंतु इस उपधारा के उपबंध [वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 की धारा 6 द्वारा यथासंशोधित], 1 अप्रैल, 2006 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए प्रभावी होंगे।"।

धारा 12कक का संशोधन।

1996 का 33

7. आय-कर अधिनियम की धारा 12कक की उपधारा (3) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, "या धारा 12क [जैसी वह वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 द्वारा उसके संशोधन से पूर्व विद्यमान थी] के अधीन किसी समय रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक 1 जून, 2010 से अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 32 का संशोधन।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के पांचवें परंतुक में, "खंड (xiii) और खंड (xiv)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "खंड (xiii), खंड (xiiiख) और खंड (xiv)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2011 से रखे जाएंगे।

धारा 35 का संशोधन।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 35 में, 1 अप्रैल, 2011 से,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) "वैज्ञानिक अनुसंधान संगम" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "अनुसंधान संगम" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ii) में "एक सही एक बटा चार" शब्दों के स्थान पर, "एक सही तीन बटा चार" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) खंड (iii) में,—

(अ) "किसी विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे अनुसंधान संगम, जिनका उद्देश्य समाज विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान करना है या किसी विश्वविद्यालय" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) परंतुक में, "ऐसे विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "ऐसे संगम, विश्वविद्यालय" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2कक) के खंड (क) में "एक सही एक बटा चार" शब्दों के स्थान पर, "एक सही तीन बटा चार" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (2कख) के खंड (1) में, "एक सही एक बटा दो" शब्दों के स्थान पर, "दो" शब्द रखा जाएगा।

धारा 35कघ का संशोधन।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ में,—

2006 का 19

(क) उपधारा (2) के खंड (iii) के उपखंड (ग) में, "अपनी कुल पाइपलाइन क्षमता का एक तिहाई" शब्दों के स्थान पर, "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अपनी कुल पाइपलाइन क्षमता का ऐसा अनुपात" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2011 से, रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) जहां इस धारा के अधीन किसी कटौती का दावा किसी निर्धारण वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट कारबार की बाबत किया गया है और अनुज्ञात किया गया है, वहां उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में "ग—कतिपय आय की बाबत कटौती" शीर्षक के अधीन अध्याय 6क के उपबंधों के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।";

(ग) उपधारा (5) में, 1 अप्रैल, 2011 से,—

(i) खंड (क) में, अंत में आने वाले, "और" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(कक) 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात्, जहां विनिर्दिष्ट कारबार केंद्रीय सरकार द्वारा यथावर्गीकृत दो-सितारा या उच्च प्रवर्ग के नए होटल के निर्माण और प्रचालन की प्रकृति का है;

(कख) 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् जहां विनिर्दिष्ट कारबार मरीजों के लिए कम—से—कम एक सौ बिस्तरों वाले नए अस्पताल के निर्माण और प्रचालन की प्रकृति का है;

(कग) 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात्, जहां विनिर्दिष्ट कारबार, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा गंदी बस्ती के पुनर्विकास या पुनर्वास के लिए विरचित किसी स्कीम के अधीन किसी आवास परियोजना के विकास और निर्माण की प्रकृति का है और जिसे बोर्ड द्वारा ऐसे मार्गदर्शी सिद्वांतों के अनुसार जो विहित किए जाएं; इस निमित्त अधिसूचित किया गया है, और";

(iii) खंड (ख) में, "खंड (क)" शब्द, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, "खंड (क), खंड (कक)" खंड (कख) और खंड (कग) शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(घ) उपधारा (8) के खंड (ग) में, उपखंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2011 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iv) भारत में कहीं भी केंद्रीय सरकार द्वारा यथावर्गीकृत दो-सितारा या उच्च प्रवर्ग के नए होटल का सन्निर्माण और प्रचालन;

(v) भारत में कहीं भी, मरीजों के लिए कम से कम एक सौ बिस्तरों वाले नए अस्पताल का निर्माण और प्रचालन;

(iv) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा गंदी बस्ती के पुनर्विकास या पुनर्वास के लिए विरचित और बोर्ड द्वारा ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, इस निमित्त अधिसूचित की गई, किसी स्कीम के अधीन किसी आवास परियोजना का विकास का निर्माण;"।

धारा 35घघक का संशोधन।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 35घघक में, 1 अप्रैल, 2011 से,—

(क) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(4क) जहां कारबार का पुनर्गठन हुआ हो, जिसके द्वारा कोई प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी की धारा 47 के खंड (xiiiख) के परंतुक में अधिकथित शर्तों को पूरा करने वाली कोई सीमित दायित्व भागीदारी उत्तरवर्ती हो जाती है, वहां इस धारा के उपबंध, जहां तक हो सके उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी को ऐसे लागू होंगे जैसे वे उक्त कंपनी को तब लागू हुए होते, यदि कारबार का पुनर्गठन न हुआ होता।";

(ख) उपधारा (5) में, "उपधारा (3) में निर्दिष्ट अविलयित कंपनी की दशा में और उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "उपधारा (3) में निर्दिष्ट अविलयित कंपनी की दशा में, उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में और उपधारा (4क) में निर्दिष्ट किसी कंपनी की दशा में" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (iक) में,— धारा 40 का संशोधन।

(क) "कटौती के पश्चात्,—" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "उसका संदाय नहीं किया गया है।" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सम्यक् तारीख को या उसके पूर्व उसका संदाय नहीं किया गया है" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु जहां किसी ऐसी राशि की बाबत, कर की किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में कटौती की गई है या पूर्ववर्ष के दौरान कटौती की गई है किन्तु धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सम्यक् तारीख के पश्चात् उसका संदाय किया गया है वहां उस राशि को उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसे कर का संदाय किया गया है, आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।"।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 43 में, 1 अप्रैल, 2011 से,— धारा 43 का संशोधन।

(क) खंड (1) के स्पष्टीकरण 13 के खंड (ख) के उपखंड (iii) में, "उपखंड (xiii) और उपखंड (xiv)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "उपखंड (xiii), उपखंड (xiiiख) और उपखंड (xiv)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) खंड (6) के स्पष्टीकरण 2ख के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण 2ग**—जहां किसी पूर्ववर्ष में कोई समूह आस्तियां किसी प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध कंपनी द्वारा किसी सीमित दायित्व भागीदारी को अंतरित की जाती हैं और धारा 47 के खंड (xiiiख) के परंतुक में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाता है वहां खंड (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, आस्ति समूह की वास्तविक लागत आस्ति समूह की वह अवलिखित लागत होगी, जो कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन की तारीख को उक्त कंपनी की दशा में थी।"।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 44कख में, 1 अप्रैल, 2011 से,— धारा 44कख का संशोधन।

(क) खंड (क) में, "चालीस लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "साठ लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ख) में, "दस लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पन्द्रह लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 44कघ [वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 की धारा 20 द्वारा यथसंशोधित], के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (ii) में, "चालीस लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "साठ लाख रुपए" शब्द 1 अप्रैल, 2011 से रखे जाएंगे। धारा 44कघ का संशोधन। 2009 का 33

16. आय-कर अधिनियम की धारा 44खख की उपधारा (1) के परंतुक में, "धारा 44घ या" शब्दों, अंकों और अक्षर के पश्चात्, "धारा 44घक या" शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2011 से अंतःस्थापित किए जाएंगे। धारा 44खख का संशोधन।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 44घक की उपधारा (1) के, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2011 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 44घक का संशोधन।

"परंतु यह और कि धारा 44खख के उपबंध इस धारा में निर्दिष्ट आय की बाबत लागू नहीं होंगे।"।

धारा 47 का संशोधन ।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 47 के खंड (xiiiक) के पश्चात्, निम्नलिखित 1 अप्रैल, 2011 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(xiiiख) किसी पूंजी आस्ति या अमूर्त आस्ति का, किसी प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी द्वारा (जिसे इस खंड में इसके पश्चात् कंपनी कहा गया है) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 56 या धारा 57 के उपबंधों के अनुसार कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप, किसी सीमित दायित्व भागीदारी को कोई अंतरण या किसी शेयर धारक द्वारा कंपनी में धारित शेयर या शेयरों का कोई अन्तरण: 2009 का 6

परंतु यह कि,—

(क) संपरिवर्तन के ठीक पूर्व कंपनी की सभी आस्तियां और दायित्व सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियां और दायित्व बन जाएंगे;

(ख) संपरिवर्तन के ठीक पूर्व कंपनी के सभी शेयरधारक, सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार बन जाएंगे और सीमित दायित्व भागीदारी में उनके पूंजी अभिदाय और लाभ में हिस्सा बंटाने का अनुपात उसी अनुपात में होगा जो संपरिवर्तन की तारीख को कंपनी में उनके हिस्सा बंटाने का अनुपात था;

(ग) कंपनी के शेयरधारक सीमित दायित्व भागीदारी में लाभों और पूंजी अभिदायों में शेयर के रूप से भिन्न किसी रूप या रीति में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रतिफल या फायदा प्राप्त नहीं करते हों;

(घ) सीमित दायित्व भागीदारी में कंपनी के शेयरधारकों के लाभ में हिस्सा बंटाने के अनुपात का योग संपरिवर्तन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय पचास प्रतिशत से कम नहीं होगा;

(ङ) उस पूर्ववर्ष के, जिसमें संपरिवर्तन हुआ है पूर्ववर्ती तीन पूर्ववर्षों में से किसी में कंपनी के कारबार का कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां साठ लाख रुपए से अधिक नहीं हैं; और

(च) संपरिवर्तन की तारीख को, कंपनी के खातों में विद्यमान संचित लाभ के अतिशेष में से किसी भागीदार को संपरिवर्तन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए कोई रकम, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संदत्त नहीं की गई है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "प्राइवेट कंपनी" और "असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी" पदों के वही अर्थ होंगे, जो सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 में क्रमशः उनके हैं।'। 2009 का 6

धारा 47क का संशोधन ।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 47क की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा, 1 अप्रैल, 2011 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) जहां धारा 47 के खंड (xiiiख) के परंतुक में अधिकथित शर्तों में से किसी शर्त का पालन नहीं किया जाता है, वहां ऐसी पूंजी आस्ति या अमूर्त आस्ति या शेयर या शेयरों के अन्तरण से, जो उक्त परन्तुक में अधिकथित शर्तों के आधार पर धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं हैं, उद्भूत लाभ या अभिलाभ की रकम को उस पूर्व वर्ष में, जिसमें उक्त परन्तुक की उपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया है, उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी या पूर्ववर्ती कंपनी के शेयरधारक के कर से प्रभार्य लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा।"।

धारा 49 का संशोधन ।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 49 में,—

(क) उपधारा (1) के खंड (iii) के उपखंड (ङ) में, "खंड (viगख)" शब्द, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "खंड (viगख) या खंड (xiiiख)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2011 से रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2कक) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2011 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

2009 का 6

"(2ककक) जहां ऐसी पूंजी अस्ति, जो सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 42 में निर्दिष्ट किसी भागीदार के अधिकार हैं, धारा 47 के खंड (xiii ख) में यथानिर्दिष्ट संपरिवर्तन पर निर्धारिती की संपत्ति बन गई थी, वहां आस्ति के अर्जन की लागत को उसके संपरिवर्तन से ठीक पूर्व कंपनी में शेयर या शेयरों के उसे अर्जित होने की लागत समझा जाएगा;";

(ग) उपधारा (4) में, "खंड (vii)" शब्द, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात्, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "या खंड (viiक)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर 1 जून, 2010 से अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 56 का संशोधन।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में,—

(क) खंड (vii) में,—

(i) उपखंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा और 1 अक्तूबर, 2009 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) कोई स्थावर संपत्ति, प्रतिफल के बिना, जिसका स्टांप शुल्क मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, ऐसी संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य,";

(ii) स्पष्टीकरण के खंड (घ) में,—

(अ) प्रारंभिक भाग में "अभिप्रेत है" शब्दों के स्थान पर, "निर्धारिती की निम्नलिखित पूंजी आस्तियां अभिप्रेत हैं, अर्थात् :—" शब्द रखे जाएंगे और 1 अक्तूबर, 2009 से रखे गए समझे जाएंगे;

(आ) उपखंड (vii) में, "या" शब्द का 1 जून, 2010 से लोप किया जाएगा;

(इ) उपखंड (viii) के अंत में, "या" शब्द 1 जून, 2010 से अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ई) उपखंड (viii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड 1 जून, 2010 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ix) बुलियन;";

(ख) खंड (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित 1 जून, 2010 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(viiक) जहां कोई फर्म या कंपनी, जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता सारतः हितबद्ध है, 1 जून, 2010 को या उसके पश्चात् किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से किसी पूर्ववर्ती वर्ष में कोई संपत्ति, जो किसी कंपनी, जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता सारतः हितबद्ध है, के शेयर हैं ,—

(i) प्रतिफल के बिना, प्राप्त करती है, जिसका सकल उचित बाजार मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है,ऐसी संपत्ति का संपूर्ण सकल बाजार मूल्य;

(ii) प्रतिफल के लिए, प्राप्त करती है, जो पचास हजार रुपए से अधिक किसी रकम द्वारा संपत्ति के सकल उचित बाजार मूल्य से कम है, ऐसी संपत्ति का वह सकल उचित बाजार मूल्य, जो ऐसे प्रतिफल से अधिक है:

परंतु यह खंड धारा 47 के खंड (viक) या खंड (viग) या खंड (viगख) या खंड (viघ) या खंड (vii) के अधीन अंतरण न समझे जाने वाले संव्यवहार के रूप में प्राप्त किसी ऐसी संपत्ति को लागू नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, कोई संपत्ति, जो किसी कंपनी, जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता सारतः हितबद्ध है, के शेयर हैं, के "उचित बाजार मूल्य" का वही अर्थ होगा, जो खंड (vii) के स्पष्टीकरण में है।'।

धारा 72क का संशोधन।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 72क में, 1 अप्रैल, 2011 से,—

(क) उपधारा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(6क) जहां कारबार का पुनर्गठन हुआ है, जिसके कारण कोई प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी की धारा 47 के खंड (xiiiख) के परतुंक में अधिकथित शर्तों को पूरा करने वाली सीमित दायित्व भागीदारी उत्तरवर्ती होती है, वहां इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पूर्ववर्ती कंपनी की संचित हानि और शेष अवक्षयण को उस पूर्ववर्ती वर्ष के प्रयोजन के लिए, जिसमें कारबार का पुनर्गठन किया गया था, उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी के अवक्षयण के लिए हानि या मोक समझा जाएगा और अवक्षयण के लिए हानि या मोक का मुजरा करने और उसे अग्रनीत करने से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे:

परंतु यदि धारा 47 के खंड (xiiiख) के परंतुक में अधिकथित शर्तों में से किसी शर्त का पालन नहीं किया जाता है तो उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी की किसी पूर्ववर्ती वर्ष में किए गए अवक्षयण की हानि या मोक के मुजरा को उस वर्ष में, जिसमें ऐसी शर्तों का पालन नहीं किया गया है, कर से प्रभार्य सीमित दायित्व भागीदारी की आय समझा जाएगा।";

(ख) उपधारा (7) के खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(क) "संचित हानि" से, यथास्थिति, पूर्ववर्ती फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान या प्राइवेट कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन से पूर्व असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी या समामेलक कंपनी या निर्विलयन कंपनी की "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" (जो सट्टे के कारबार से हुई हानि नहीं है) शीर्ष के अधीन उतनी हानि अभिप्रेत है जो ऐसी पूर्ववर्ती फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान या कंपनी या समामेलक कंपनी या निर्विलयन कंपनी धारा 72 के उपबंधों के अधीन अग्रनीत करने और मुजरा करने की हकदार होती, यदि कारबार का पुनर्गठन या संपरिवर्तन या समामेलन या निर्विलयन न हुआ होता;

(ख) "शेष अवक्षयण" से, यथास्थिति, पूर्ववर्ती फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान या प्राइवेट कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन से पूर्व असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी या समामेलक कंपनी या निर्विलयन कपनी का उतना अवक्षयण मोक अभिप्रेत है, जो अनुज्ञात रहता है और जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, पूर्ववर्ती फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान या कंपनी या समामेलक कंपनी या निर्विलयन कंपनी को अनुज्ञात हुआ होता यदि कारबार का पुनर्गठन या संपरिवर्तन या समामेलन या निर्विलयन न हुआ होता।'।

धारा 80क का संशोधन।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 80क की उपधारा (6) और उसके स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2011 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'(7) जहां किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 35कघ की उपधारा (8) के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट कारबार के लाभों की बाबत "ग—कतिपय आय की बाबत कटौतियां" शीर्षक के अधीन इस अध्याय के किसी उपबंध के अधीन किसी

कटौती का दावा किया जाता है और उसे अनुज्ञात किया जाता है वहां उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में धारा 35कघ के उपबंधों के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।'।

नई धारा 80गगच का अंतःस्थापन ।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगङ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2011 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों के अभिदाय की बाबत कटौती ।

"80गगच. किसी निर्धारिती की, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, कुल आय की संगणना करने में, 1 अप्रैल, 2011 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए यथा अधिसूचित दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों के अभिदाय के रूप में संदत्त या जमा की गई संपूर्ण रकम की, उस सीमा तक कटौती की जाएगी, जहां तक ऐसी रकम बीस हजार रुपए से अधिक नहीं है।"।

धारा 80घ का संशोधन ।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 80घ की उपधारा (2) के खंड (क) में "संदत्त संपूर्ण रकम" शब्दों के पश्चात्, "या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम को किया गया कोई अभिदाय" शब्द 1 अप्रैल, 2011 से अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 80छछक का संशोधन ।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 80छछक की उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2011 से,—

(क) खंड (क) में, "वैज्ञानिक अनुसंधान संगम" शब्दों के स्थान पर, "अनुसंधान संगम" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (कक) में,—

(अ) "किसी विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे अनुसंधान संगम, जिसका उद्देश्य समाज विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान करना है या किसी विश्वविद्यालय" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) परंतुक में, "ऐसे विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर "ऐसे संगम, विश्वविद्यालय" शब्द रखे जाएंगे;

(इ) स्पष्टीकरण में, "वैज्ञानिक अनुसंधान संगम" शब्दों के स्थान पर, "अनुसंधान संगम" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 80झख का संशोधन ।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 80झख की उपधारा (10) में,—

(i) खंड (क) में,—

(क) उपखंड (ii) में, "1 अप्रैल, 2004" अंकों और शब्द के पश्चात् "किन्तु 31 मार्च, 2005 के अपश्चात्" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपखंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) उस दशा में, जहां आवासन परियोजना को स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् अनुमोदित किया गया है, वहां उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें आवासन परियोजना को स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है, पांच वर्ष के भीतर।";

(ii) खंड (घ) में,—

(क) "पांच प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "तीन प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "दो हजार वर्ग फुट, इनमें से जो भी कम हो," शब्दों के स्थान पर, "पांच हजार वर्ग फुट, इनमें से जो भी अधिक हो" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 80झघ का संशोधन।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 80झघ की उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2011 से,—

(क) खंड (i) में, "31 मार्च, 2010" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 जुलाई, 2010" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ii) में, "31 मार्च, 2010" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 जुलाई, 2010" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

धारा 115जकक का संशोधन।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 115जकक की उपधारा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित 1 अप्रैल, 2011 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(7) किसी प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन की दशा में, इस धारा के उपबंध उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी को लागू नहीं होंगे। 2009 का 6

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "प्राइवेट कंपनी" और "असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी" पदों के वही अर्थ होंगे, जो सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 में क्रमशः उनके हैं।'। 2009 का 6

धारा 115जख का संशोधन।

30. आय-कर अधिनियम की धारा 115जख की उपधारा (1) में 1 अप्रैल, 2011 से,—

(क) "1 अप्रैल, 2010" अंकों और शब्द के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2011" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "पन्द्रह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "अठारह प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 115बङ का संशोधन।

31. आय-कर अधिनियम की धारा 115बङ की उपधारा (1ख) में, "31 मार्च, 2010 के पश्चात्" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 मार्च, 2011 के पश्चात्" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

धारा 139 का संशोधन।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) में "वैज्ञानिक अनुसंधान संगम" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, "अनुसंधान संगम" शब्द 1 अप्रैल, 2011 से रखे जाएंगे।

धारा 142क का संशोधन।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 142क की उपधारा (1) में, "मूल्यवान वस्तु के मूल्य का" शब्दों के स्थान पर, "मूल्यवान वस्तु के मूल्य का या धारा 56 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का" शब्द, अंक और कोष्ठक 1 जुलाई, 2010 से रखे जाएंगे।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 143 में,— धारा 143 का संशोधन।

(क) उपधारा (1ख) में, "31 मार्च, 2010 के पश्चात्" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 मार्च, 2011 के पश्चात्" अंक और शब्द से रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (3) के पहले परंतुक में "वैज्ञानिक अनुसंधान संगम" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "अनुसंधान संगम" शब्द 1 अप्रैल, 2011 से रखे जाएंगे।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 194ख में, "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार रुपए" शब्द 1 जुलाई, 2010 से रखें जाएंगे। धारा 194ख का संशोधन।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 194खख में, "दो हजार पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच हजार रुपए" शब्द 1 जुलाई, 2010 से रखे जाएंगे। धारा 194खख का संशोधन।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 194ग की उपधारा (5) में, 1 जुलाई, 2010 से,— धारा 194ग का संशोधन।

(क) "बीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) परंतुक में "पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पचहत्तर हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 194घ के दूसरे परंतुक में, "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "बीस हजार रुपए" शब्द 1 जुलाई, 2010 से रखे जाएंगे। धारा 194घ का संशोधन।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 194ज के पहले परंतुक में, "दो हजार पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच हजार रुपए" शब्द 1 जुलाई, 2010 से रखे जाएंगे। धारा 194ज का संशोधन।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 194झ के पहले परंतुक में, "एक लाख बीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख अस्सी हजार रुपए" शब्द 1 जुलाई, 2010 से रखे जाएंगे। धारा 194झ का संशोधन।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 194ञ की उपधारा (1) के पहले परंतुक के खंड (आ) में, "बीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "तीस हजार रुपए" शब्द 1 जुलाई, 2010 से रखे जाएंगे। धारा 194ञ का संशोधन।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 201 की उपधारा (1क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा 1 जुलाई, 2010 से रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 201 का संशोधन।

"(1क) जहां उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ऐसा कोई व्यक्ति, प्रधान अधिकारी या कंपनी, जो उस उपधारा में निर्दिष्ट है, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन यथा अपेक्षित संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती नहीं करती है या कटौती करने के पश्चात् कर का संदाय करने में असफल रहती है वहां वह,—

(i) उस तारीख से, जिसको ऐसे कर की कटौती की जानी थी, उस तारीख तक, जिसको ऐसे कर की कटौती की गई है, ऐसे कर की रकम पर प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से; और

(ii) उस तारीख से, जिसको ऐसे कर की कटौती की गई थी, उस तारीख तक, जिसको ऐसा कर वास्तव में संदत्त किया गया है, ऐसे कर की रकम पर प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए एक सही एक बटा दो प्रतिशत की दर से,

साधारण ब्याज का संदाय करने के दायित्वाधीन होगा या होगी और ऐसे ब्याज का संदाय धारा 200 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार विवरण प्रस्तुत किए जाने से पूर्व किया जाएगा।"।

धारा 203 का संशोधन।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 203 की उपधारा (3) का लोप किया जाएगा।

धारा 206ग का संशोधन।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (5) में,—

(क) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ख) दूसरे परंतुक में, "परंतु यह और" शब्दों के स्थान पर, "परंतु यह" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 245क का संशोधन।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 245क के खंड (ख) में, 1 जून, 2010 से,—

(i) परंतुक के खंड (ii) और खंड (iii) का लोप किया जाएगा;

(ii) स्पष्टीकरण में, —

(क) खंड (ii) का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iiiक) धारा 153क या धारा 153ग में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की दशा में, धारा 153क की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट निर्धारण वर्षों में से किसी के लिए निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाही, ऐसी कार्यवाहियां आरंभ करने की सूचना जारी करने की तारीख को प्रारंभ और उस तारीख को, जिसको निर्धारण किया गया है, समाप्त हुई समझी जाएंगी;";

(ग) खंड (iv) में "परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) या खंड (iv)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "परंतुक के खंड (iv) या स्पष्टीकरण के खंड (iiiक)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 245ग का संशोधन।

46. आय-कर अधिनियम की धारा 245ग की उपधारा (1) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक 1 जून, 2010 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु ऐसा कोई आवेदन तभी किया जाएगा, जब,—

(i) उस दशा में, जहां धारा 153क या धारा 153ग में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के मामले में धारा 153क की उपधारा (1) के खंड (ख) या धारा 153ख की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट निर्धारण वर्षों में से किसी के लिए निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाहियां आरंभ कर दी गई हैं, वहां आवेदन में प्रकट की गई आय पर संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम पचास लाख रुपए से अधिक है;

(ii) किसी अन्य दशा में, आवेदन में प्रकट की गई आय पर संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम दस लाख रुपए से अधिक है;

और ऐसे कर और उस पर ब्याज का, जिनका यदि आवेदन में प्रकट की गई वह आय आवेदन की तारीख को निर्धारण अधिकारी के समक्ष आय की विवरणी में घोषित की गई होती तो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदाय किया गया होता, आवेदन करने की तारीख को या उसके पूर्व संदाय कर दिया गया है और ऐसे संदाय का सबूत आवेदन के साथ संलग्न किया गया है;"।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 245घ की उपधारा (4क) में,—

धारा 245घ का संशोधन।

(क) खंड (ii) में, "या उसके पश्चात्" शब्दों के पश्चात्, "किंतु 1 जून, 2010 से पूर्व" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 जून, 2010 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) 1 जून, 2010 को या उसके पश्चात् किए गए आवेदन की बाबत, उस मास के अंत से, जिसमें आवेदन किया गया था, अठारह मास के भीतर,"।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 256 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 जून, 1981 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 256 का संशोधन।

"(2क) उच्च न्यायालय, उपधारा (2) में निर्दिष्ट छह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी आवेदन को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर उसे फाइल न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था।"।

49. आय-कर अधिनियम की धारा 260क की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अक्तूबर, 1998 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 260क का संशोधन।

"(2क) उच्च न्यायालय, उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट एक सौ बीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर उसे फाइल न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था।"।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 271ख में, "एक लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख पचास हजार रुपए" शब्द 1 अप्रैल, 2011 से रखे जाएंगे।

धारा 271ख का संशोधन।

2009 का 33

51. आय-कर अधिनियम की [वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 की धारा 78 द्वारा यथा अंतःस्थापित] धारा 282ख में, 1 अक्तूबर, 2010 से,—

धारा 282ख का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, "आय-कर प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "आय-कर प्राधिकारी 1 जुलाई, 2011 को या उसके पश्चात्" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (3) में, "द्वारा प्राप्त" शब्दों के स्थान पर, "द्वारा 1 जुलाई, 2011 को या उसके पश्चात् प्राप्त" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

2009 का 33

52. आय-कर अधिनियम की पहली अनुसूची के नियम 5 के, खंड (ख) [वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 की धारा 80 के खंड (ii) द्वारा यथा अंतःस्थापित] के स्थान पर, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2011 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

पहली अनुसूची का संशोधन।

"(ख)(i) विनिधानों की वसूली पर किसी अभिलाभ या हानि को, यथास्थिति, जोड़ा जाएगा या उसकी कटौती की जाएगी, यदि ऐसे अभिलाभ या हानि को लाभ-हानि खाते में जमा या उससे विकलित नहीं किया गया है;

(ii) लाभ-हानि लेखे से विकलित किए गए विनिधान के मूल्य में कमी के किसी उपबंध को वापस जोड़ा जाएगा;"।

धन-कर

धारा 22क का संशोधन।

53. धन-कर अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 22क के खंड (ख) में 1 जून, 2010 से,— 1957 का 27

(i) खंड (ख) के परंतुक के खंड (iii) का लोप किया जाएगा;

(ii) स्पष्टीकरण में,—

(क) खंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) धारा 37क के अधीन आरंभ की गई किसी तलाशी या धारा 37ख के अधीन की गई किसी अध्यपेक्षा के परिणामस्वरूप निर्धारण वर्षों में किसी के लिए निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाही को, ऐसी कार्यवाहियों को आरंभ करने की सूचना की तारीख को आरंभ हुआ और उस तारीख को, जिसको निर्धारण किया जाता है, समाप्त हुआ समझा जाएगा।";

(ख) खंड (iv) में "या परंतुक के खंड (iii)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "या परंतुक के या स्पष्टीकरण के खंड (iii)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

धारा 22घ का संशोधन।

54. धन-कर अधिनियम की धारा 22घ की उपधारा (4क) में,—

(क) खंड (ii) में, "या उसके पश्चात्" शब्दों के पश्चात्, "किंतु 1 जून, 2010 से पूर्व" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (ii) के पश्चात्,, निम्नलिखित खंड 1 जून, 2010 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) 1 जून, 2010 को या उसके पश्चात् किए गए आवेदन की बाबत, उस मास के अंत से, जिसमें आवेदन किया गया था, अठारह मास के भीतर।"।

धारा 27 का संशोधन।

55. धन-कर अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (3क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 जून, 1981 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

"(3ख) उच्च न्यायालय, उपधारा (3) में निर्दिष्ट नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी आवेदन को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर उसे फाइल न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था।"।

धारा 27क का संशोधन।

56. धन-कर अधिनियम की धारा 27क की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अक्तूबर, 1998 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) उच्च न्यायालय, उपधारा (1) में निर्दिष्ट एक सौ बीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर अपील फाइल न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था।"।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

1962 का 52

धारा 127ख का संशोधन ।

57. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 127ख की उपधारा (1) में, "कम उद्ग्रहण स्वीकार किया है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसा माल नहीं है, जो इस अधिनियम के अधीन की गई प्रविष्टि में सम्मिलित नहीं है" शब्दों के स्थान पर, "या अन्यथा कम उद्ग्रहण स्वीकार किया है" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 127ग का संशोधन ।

58. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ग की उपधारा (6) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि को समझौता आयोग द्वारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, तीन मास से अनधिक की और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा ।"।

धारा 127ठ का संशोधन ।

59. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ठ में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "1 जून, 2007 से पूर्व" अंकों और शब्दों का लोप किया जाएगा ;

2007 का 22

(ii) खंड (i) में, "धारा 127ग की उपधारा (7)" शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठकों के पश्चात्, ",जैसी वह वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 102 के प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान थी या धारा 127ग की उपधारा (5)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

2007 का 22

(iii) खंड (ii) में, "उपधारा (7)" शब्द, अंक और कोष्ठकों के पश्चात्, "जैसी वह वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 102 के प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान थी या धारा 127ग की उपधारा (5)" शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचनाओं का संशोधन।

60. (1) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 118(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 और संख्यांक सा0का0नि0 92(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 से ही संशोधित हो जाएगी और दूसरी अनुसूची के स्तंभ (3) यथा विनिर्दिष्ट रीति में उस अनुसूची के स्तभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अधिसूचना के सामने उस अधिसूचना के स्तभ (4) में विनिर्दिष्ट तत्सथानी तारीख भूतलक्षी रुप से संशोधित की गई समझी जाएगी।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार को, उक्त उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति होगी और यह माना जाएगा कि उसे इस प्रकार संशोधित करने की शक्ति है, मानो केंद्रीय सरकार को सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचनाओं का सभी तात्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति थी ।

(3) कोई वाद या अन्य कार्यवाही ऐसे किसी नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन किसी माल की बाबत की गई किसी कार्यवाही या किसी बात के लिए या किए गए लोप के लिए किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के समक्ष इस प्रकार संस्थित नहीं की जाएगी, चालू या जारी नहीं रखी जाएगी और की गई ऐसी

किसी कार्रवाई या किसी बात या किए गए ऐसे लोप से संबंधित किसी डिक्री या आदेश का किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तन नहीं किया जाएगा, मानो उक्त अधिसूचनाओं में किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में था ।

(4) उस रकम की वसूली की जाएगी, जिसका संदाय नहीं किया गया है, किंतु उसका तब संदाय किया गया होता, यदि उक्त उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट रीति से किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में था ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई कार्य या लोप अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता, यदि इस धारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को भूतलक्षी रूप से संशोधित नहीं किया गया होता ।

सीमाशुल्क टैरिफ

धारा 3 का संशोधन ।

61. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (2) में, पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :— (1975 का 51)

"परंतु भारत में आयातित किसी वस्तु की दशा में, —

(क) जिसके संबंध में बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसी वस्तु का फुटकर विक्रय मूल्य उसके पैकेज पर घोषित करने की अपेक्षा है ; और (1976 का 60)

(ख) जहां भारत में उत्पादित या विनिर्मित समान वस्तु, या ऐसे मामले में, जहां ऐसी समान वस्तु, इस प्रकार उत्पादित या विनिर्मित नहीं है, उन वस्तुओं का वर्ग या वर्णन, जिससे आयातित वस्तु संबंधित है,—

(i) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4क की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट माल है, वहां आयातित वस्तु का मूल्य, उस पर घोषित ऐसी फुटकर विक्रय कीमत से उपशमन, यदि कोई हो, की ऐसी रकम को जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस अधिनियम की धारा 4क की उपधारा (2) के अधीन वैसी ही वस्तु की बाबत अनुज्ञात करे, घटाकर आई रकम को आयातित वस्तु की फुटकर विक्रय कीमत समझा जाएगा ; या (1944 का 1)

(ii) औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955 की अनुसूची के स्पष्टीकरण 3 के खंड (1) के साथ पठित धारा 3 के अधीन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट माल है, वहां आयातित वस्तु का मूल्य उस पर घोषित ऐसी फुटकर विक्रय कीमत से उपशमन, यदि कोई हो, की ऐसी रकम को, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उक्त स्पष्टीकरण के खंड (2) के अधीन ऐसी समान वस्तु की बाबत अनुज्ञात करे, घटाकर आई रकम को आयातित वस्तु की फुटकर विक्रय कीमत समझा जाएगा । (1955 का 16)

स्पष्टीकरण—जहां किसी आयातित वस्तु की एक से अधिक फुटकर विक्रय कीमत घोषित की जाती है वहां ऐसी फुटकर विक्रय की अधिकतम कीमत इस धारा के प्रयोजनों के लिए फुटकर विक्रय कीमत समझी जाएगी ।"।

पहली अनुसूची का संशोधन ।

62. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा।

दूसरी अनुसूची का संशोधन।

63. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, शीर्ष सं0 16 के सामने स्तंभ (3) में की प्रविष्टि "2500 रुपए प्रति टन" के स्थान पर "10,000 रुपए प्रति टन" प्रविष्टि रखी जाएगी।

उत्पाद-शुल्क

धारा 11क का संशोधन।

64. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 11क की उपधारा (2ख) में स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— (1944 का 1)

"**स्पष्टीकरण 3**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन कोई शास्ति इस उपधारा के अधीन शुल्क और उस पर ब्याज के संदाय की बाबत अधिरोपित नहीं की जाएगी"।

धारा 32ङ का संशोधन ।

65. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ङ की उपधारा (1) में, "कम उद्ग्रहण स्वीकार किया है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसा माल नहीं है, जिसकी बाबत निर्धारिती द्वारा अपने दैनिक स्टॉक रजिस्टर में कोई उचित अभिलेख नहीं रखे गए हैं," शब्दों के स्थान पर, "या अन्यथा कम उद्ग्रहण स्वीकार किया है" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 32च का संशोधन ।

66. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32च की उपधारा (6) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि को समझौता आयोग द्वारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, तीन मास से अनधिक की और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा ।"।

धारा 32ण का संशोधन ।

67. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ण में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "1 जून, 2007 से पूर्व" अंकों और शब्दों का लोप किया जाएगा;

2007 का 22

(ii) खंड (i) में, "धारा 32च की उपधारा (7)" शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठकों के पश्चात्, "जैसी वह वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 122 के प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान थी और धारा 32च की उपधारा (5)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

2007 का 22

(iii) खंड (ii) में, "उपधारा (7)" शब्द, अंक और कोष्ठकों के पश्चात्, "जैसी वह वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 122 के प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान थी या धारा 32च की उपधारा (5)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

धारा 37 का संशोधन ।

68. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (2) के खंड (xiii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(xiiiक) शुल्क के अपवंचन या केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के दुरुपयोग के संबंध में सुविधाओं को वापस लिए जाने या विनिर्माता या निर्यातकर्ता पर निर्बंधनों के अधिरोपण (जिसके अंतर्गत केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के उपयोजन पर निर्बन्धन भी है) या व्यौहारी के रजिस्ट्रीकरण के निलंबन के लिए उपबंध करना ;"।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का नए नियम 57गगग के अंतःस्थापन द्वारा संशोधन ।

69. (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944, चौथी अनुसूची के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट रीति में उस अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट नियम के सामने उस अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही और तक संशोधित हो जाएगा और भूतलक्षी रूप से संशोधन किया गया समझा जाएगा।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा यथा संशोधित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के उपबंधों के अनुसार राशि का संदाय करने का विकल्प देता है, वहां वह उसके अधीन विनिर्दिष्ट रकम का ब्याज सहित संदाय करेगा और दस्तावेजी साक्ष्य और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल से अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त या उसके संबंध में अंतःनिवेश समझे जाने वाले अंतःनिवेश प्रत्यय की ऐसी रकम को,

जो उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है या शुल्क की शून्य दर पर प्रभार्य है, प्रमाणित करने वाले एक प्रमाणपत्र के साथ उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को आवेदन करेगा ।

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त, उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर संदत्त रकम की शुद्धता को सत्यापित करेगा और यदि इस प्रकार संदत्त रकम संदेय रकम से कम पाई जाती है तो वह आवेदक से इस संबंध में आयुक्त से संसूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर ब्याज सहित अंतर की रकम का संदाय करने की मांग करेगा ।

(4) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) द्वारा यथा संशोधित उपबंधों के संबंध में, 1 सितंबर, 1996 से ही प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में था ।

(5) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अधिक्रमण के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए भूतलक्षी प्रभाव से इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति होगी और यह माना जाएगा कि उसे इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति है मानो केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन सभी तात्त्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति थी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो, यदि यह धारा प्रवृत्त नहीं हुई होती तो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57कघ का संशोधन ।

70. (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 298(अ), तारीख 31, मार्च, 2000 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित और तत्पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क [दूसरा संशोधन (संशोधन)] नियम, 2000 के नियम 5 द्वारा नियम 57कघ, के रूप में यथासंशोधित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 203(अ), तारीख 1 मार्च, 2000 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 2000 के नियम 2 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया नियम 57घ, पांचवीं अनुसूची के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट रीति में उस अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट नियमों के सामने उस अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही संशोधित हो जाएगा और भूतलक्षी रूप से संशोधित किया गया समझा जाएगा ।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार राशि का संदाय करने का विकल्प देता है, वहां वह उसके अधीन विनिर्दिष्ट रकम का ब्याज सहित संदाय करेगा और दस्तावेजी साक्ष्य और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल से अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त या उसके संबंध में अंतःनिवेश समझे जाने वाले अंतःनिवेश प्रत्यय की ऐसी रकम को, जो उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है या शुल्क की शून्य दर पर प्रभार्य है, प्रमाणित करने वाले एक प्रमाणपत्र के साथ उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को आवेदन करेगा ।

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर संदत्त रकम की शुद्धता को सत्यापित करेगा और यदि इस प्रकार संदत्त रकम संदेय रकम से कम पाई जाती है तो वह आवेदक से इस संबंध में आयुक्त से संसूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर ब्याज सहित अंतर की रकम का संदाय करने की मांग करेगा ।

(4) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) द्वारा यथा संशोधित उपबंधों के संबंध में, 1 अप्रैल, 2000 से ही प्रारंभ होने वाली और 30 जून, 2001 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में था ।

(5) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अधिक्रमण के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए भूतलक्षी प्रभाव से इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति होगी और यह माना जाएगा कि उसे इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति है मानो केन्द्रीय सरकार को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन सभी तात्त्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति थी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो, यदि यह धारा प्रवृत्त नहीं हुई होती तो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता।

केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 के नियम 6 का संशोधन।

71. (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 445(अ), तारीख 21 जून, 2001 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 का नियम 6, छठी अनुसूची के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट रीति में उस अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट नियमों के सामने उस अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही संशोधित हो जाएगा और भूतलक्षी रूप से संशोधित किया गया समझा जाएगा ।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार राशि का संदाय करने का विकल्प देता है वहां वह उसके अधीन विनिर्दिष्ट रकम का संदाय करेगा और सभी दस्तावेजी साक्ष्य और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल से अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त या उसके संबंध में अंतःनिवेश समझे जाने वाले अंतःनिवेश प्रत्यय की ऐसी रकम को, जो उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है या शुल्क की शून्य दर पर प्रभार्य है, प्रमाणित करने वाले एक प्रमाणपत्र के साथ उस दिन से, जिसको वित्त विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को आवेदन करेगा ।

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर संदत्त रकम की शुद्धता को सत्यापित करेगा और यदि इस प्रकार संदत्त रकम संदेय रकम से कम पाई जाती है तो वह आवेदक से इस संबंध में आयुक्त से संसूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर ब्याज सहित अंतर की रकम का संदाय करने की मांग करेगा ।

(4) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) द्वारा यथा संशोधित उपबंधों के संबंध में, 1 जुलाई, 2001 से ही प्रारंभ होने वाली और 28 फरवरी, 2002 को समाप्त होने

वाली अवधि के दौरान किसी भी समय की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में था ।

(5) केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 के अधिक्रमण के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए भूतलक्षी प्रभाव से इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति होगी और यह माना जाएगा कि उसे इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति है मानो केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन सभी तात्त्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति थी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो, यदि यह धारा प्रवृत्त नहीं हुई होती तो, इस प्रकार दंडनीय नहीं होता।

केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के नियम 6 का संशोधन।

72. (1) केन्द्रीय-उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 144(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 का नियम 6, सातवीं अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रीति में उस अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट नियमों के सामने उस अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही, संशोधित हो जाएगा और भूतलक्षी रूप से संशोधित किया गया समझा जाएगा ।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार राशि का संदाय करने का विकल्प देता है वहां वह उसके अधीन विनिर्दिष्ट रकम का ब्याज सहित संदाय करेगा और सभी दस्तावेजी साक्ष्य और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल से अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त या उसके संबंध में अंतःनिवेश समझे जाने वाले अंतःनिवेश प्रत्यय की ऐसी रकम को, जो उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त हैं या शुल्क की शून्य दर पर प्रभार्य है, प्रमाणित करने वाले एक प्रमाणपत्र के साथ उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को आवेदन करेगा ।

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर संदत्त रकम की शुद्धता को सत्यापित करेगा और यदि इस प्रकार संदत्त रकम संदेय रकम से कम पाई जाती है तो वह आवेदक से इस संबंध में आयुक्त से संसूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर ब्याज सहित अंतर की रकम का संदाय करने की मांग करेगा ।

(4) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) द्वारा यथा संशोधित उपबंधों के संबंध में, 1 मार्च, 2002 से ही प्रारंभ होने वाली और 9 सितम्बर, 2004 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में था ।

(5) केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के अधिक्रमण के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए भूतलक्षी प्रभाव से इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति होगी और यह माना जाएगा कि उसे इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति है मानो केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन सभी तात्त्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति थी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो, यदि यह धारा प्रवृत्त नहीं हुई होती तो, इस प्रकार दंडनीय नहीं होता।

केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 6 का संशोधन।

73. (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 600(अ), तारीख 10 सितंबर, 2004 द्वारा राजपत्र में यथा प्रकाशित उसका नियम 6, आठवीं अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रीति में उस अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट नियम के सामने उस अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से और तक संशोधित हो जाएगा और भूतलक्षी रूप से संशोधित किया गया समझा जाएगा ।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा संशोधित उपबंधों के अनुसार राशि का संदाय करने का विकल्प देता है वहां वह उसके अधीन विनिर्दिष्ट रकम का संदाय करेगा और दस्तावेजी साक्ष्य और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल से अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त या उसके संबंध में अंतःनिवेश समझे जाने वाले अंतःनिवेश प्रत्यय की ऐसी रकम को, जो उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त हैं या शुल्क की शून्य दर पर प्रभार्य है, प्रमाणित करने वाले एक प्रमाणपत्र के साथ उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को आवेदन करेगा ।

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर संदत्त रकम की शुद्धता को सत्यापित करेगा और यदि इस प्रकार संदत्त रकम संदेय रकम से कम पाई जाती है तो वह आवेदक से इस संबंध में आयुक्त से संसूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर ब्याज सहित अंतर की रकम का संदाय करने की मांग करेगा ।

(4) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) द्वारा यथा संशोधित उपबंधों के संबंध में, 10 सितंबर, 2004 से ही प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानों उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में था ।

(5) केन्द्रीय सरकार को उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए भूतलक्षी प्रभाव से इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति होगी और यह माना जाएगा कि उसे इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति है मानो केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन सभी तात्त्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति थी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो, यदि यह धारा प्रवृत्त नहीं हुई होती तो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता।

केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 5 के अधीन जारी अधिसूचना का संशोधन।

74. केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 156(अ), तारीख 14 मार्च, 2006 में, 14 मार्च, 2006 से,—

(अ) आरंभिक भाग में,—

(i) खंड (क) में, "में प्रयुक्त" शब्दों के स्थान पर, "में या उसके संबंध में प्रयुक्त" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में, "में प्रयुक्त" शब्दों के स्थान पर, "के लिए प्रयुक्त" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(आ) परिशिष्ट की शर्त 5 में, "अर्थात् अधिकतम प्रतिदाय" शब्दों से आरंभ होने वाले और "अर्थात् 50 रुपए" शब्दों और अंकों पर समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा और लोप किया गया समझा जाएगा ।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ

1986 के अधिनियम 5 की पहली अनुसूची का संशोधन।

75. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची का नौवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

अध्याय 5

सेवा कर

1994 के अधिनियम 32 का संशोधन।

76. वित्त अधिनियम, 1994 में,—

(अ) धारा 65 में, यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसी तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे,—

(1) खंड (19) के उपखंड (ii) के स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा;

(2) खंड (19क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(19ख) "कारबार अस्तित्व" के अंतर्गत व्यक्तियों का संगम, व्यष्टियों का निकाय, कंपनी या फर्म भी है, किंतु इसके अंतर्गत कोई व्यष्टि नहीं है;';

(3) खंड (25ख) में, "वाणिज्यिक या औद्योगिक सन्निर्माण सेवा" शब्दों के स्थान पर "वाणिज्यिक या औद्योगिक सन्निर्माण" शब्द रखे जाएंगे;

(4) खंड (77ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(77ग) "यात्री" से घरेलू यात्रा या अन्तरराष्ट्रीय यात्रा करने के लिए भारत में वायुयान में चढ़ने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;'।

(5) खंड (82) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(82) "पत्तन सेवा" से किसी पत्तन या अन्य पत्तन के भीतर किसी रीति से प्रदान की गई कोई सेवा अभिप्रेत है ;';

(6) खंड (105) में,—

(क) उपखंड (यढ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(यढ) किसी व्यक्ति को, किसी पत्तन में पत्तन सेवा के संबंध में किसी रीति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा:

परंतु धारा 65क के उपबंध किसी सेवा को तब लागू नहीं होंगे, जब वह पूर्णतः पत्तन के भीतर प्रदान की गई हो ;";

(ख) उपखंड (ययग) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जुलाई, 2003 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस उपखंड और खंड (26), खंड (27) और खंड (90क) में आने वाले "वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग केंद्र" पद के अंतर्गत कोई केंद्र या संस्थान, चाहे जिस नाम से

ज्ञात हो, होगा जहां प्रशिक्षण या कोचिंग प्रतिफल के लिए प्रदान की जानी है, चाहे ऐसा केंद्र या संस्थान तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी न्यास या किसी सोसाइटी या अन्य संगठन के रूप में रजिस्ट्रीकृत है या नहीं और अपने क्रियाकलाप लाभ हेतुक के लिए या इसके बिना कर रहा है और "वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;';

(ग) उपखंड (ययठ) और उपखंड (ययड) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ययठ) किसी व्यक्ति को, अन्य पत्तन में पत्तन सेवाओं के संबंध में किसी रीति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा :

परंतु धारा 65क के उपबंध ऐसी किसी सेवा को तब लागू नहीं होंगे, जब वह पूर्णतः अन्य पत्तन के भीतर प्रदान की गई हो;

(ययड) किसी व्यक्ति को, किसी विमानपत्तन या किसी सिविल एन्कलेव में, विमानपत्तन प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा:

परंतु धारा 65क के उपबंध किसी सेवा को तब लागू नहीं होंगे, जब वह पूर्णतः विमानपत्तन या सिविल एन्कलेव के भीतर प्रदान की गई हो ;";

(घ) उपखंड (ययथ) में,—

(i) "सेवा" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, किसी ऐसे नए भवन का सन्निर्माण, जो किसी भवननिर्माता या भवननिर्माता द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा सन्निर्माण के पूर्व, के दौरान या इसके पश्चात् (ऐसे मामलों के सिवाय, जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाणपत्र के मंजूर किए जाने के पूर्व बिल्डर या बिल्डर द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को भावी क्रेता से या उसकी ओर से कोई रकम प्राप्त नहीं हुई है) पूर्णतः या भागतः विक्रय के लिए आशयित है, बिल्डर द्वारा क्रेता को उपलब्ध कराई गई सेवा समझा जाएगा ;";

(ङ) उपखंड (यययज) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, किसी ऐसे परिसर का सन्निर्माण, जो किसी भवननिर्माता या भवननिर्माता द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा सन्निर्माण के पूर्व, के दौरान या इसके पश्चात् (ऐसे मामलों के सिवाय, जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाणपत्र के मंजूर किए जाने के पूर्व भवननिर्माता या भवननिर्माता द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को भावी क्रेता से या उसकी ओर से कोई रकम प्राप्त नहीं हुई है) पूर्णतः या भागतः विक्रय के लिए

आशयित है, भवननिर्माता द्वारा क्रेता को उपलब्ध कराई गई सेवा समझा जाएगा ;";

(च) उपखंड (यययढ) और उपखंड (यययण) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(यययढ) किसी व्यक्ति को, किसी रीति में ऐसे प्रायोजन के संबंध में, प्रायोजन प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा ;

(यययण) किसी यात्री को, ऐसे यात्री के समयबद्ध या असमयबद्ध वायुमार्ग द्वारा परिवहन के संबंध में, भारत में वायुयान द्वारा घरेलू यात्रा के लिए या अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए यात्रा आरंभ करने के लिए किसी वायुयान प्रचालक द्वारा ;";

(छ) उपखंड (यययद) के अंत में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "सरकार द्वारा नीलामी" से नीलामीकर्ता के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा नीलाम की जा रही सरकारी संपत्ति अभिप्रेत है ;';

(ज) उपखंड (ययय) में,—

(i) "किसी व्यक्ति को" शब्दों से आरंभ होने वाले और "किसी अन्य व्यक्ति द्वारा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा और 1 जून, 2007 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"किसी व्यक्ति को, कारबार या वाणिज्य के प्रक्रम में उपयोग या अग्रसरण के लिए, ऐसे किराए के संबंध में स्थावर संपत्ति या किसी अन्य सेवा को किराए पर देना, किसी व्यक्ति द्वारा ।";

(ii) स्पष्टीकरण 1 में, मद (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(v) कारबार या वाणिज्य के अग्रसरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली, पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर भवनों या अस्थायी संरचना के सन्निर्माण के लिए पट्टा या अनुज्ञप्ति ५र दी गई, रिक्त भूमि;";

(झ) उपखंड (ययययङ) में, "कारबार या वाणिज्य के प्रक्रम या अग्रसरण में प्रयोग के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ञ) उपखंड (ययययच) के स्पष्टीकरण में, उपखंड (ii) और उपखंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) पालिसीधारक से, उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली उक्त सेवा के लिए बीमाकर्ता द्वारा प्रभारित सकल रकम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 के अधीन स्थापित बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा नियत की गई उस अधिकतम रकम के, जो यूनिटबद्ध बीमा योजना के लिए निधि प्रबंध प्रभारों के रूप में या

1999 का 41

पालिसीधारक से बीमाकर्ता द्वारा प्रभारित वास्तविक रकम, इनमें से जो अधिक हो, समान होगी ;";

(ट) उपखंड (ययययड) के स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा;

(ठ) उपखंड (ययययड) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ययययढ) किसी व्यक्ति को, किसी भी रूप में या किसी भी नाम से ज्ञात, संयोग प्रधान खेलों के, जिसके अंतर्गत लाटरी, बिंगो या लोटो भी है, संवर्धन, विपणन, आयोजन या किसी अन्य रीति में आयोजन में सहायता करने के लिए, चाहे इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रानिक नेटवर्कों द्वारा संचालित किया गया हो या नहीं, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(ययययण) किसी अस्पताल, परिचर्या गृह या बहु-विशेषज्ञ क्लिनिक द्वारा,—

(i) किसी कारबार अस्तित्व के किसी कर्मचारी को, स्वास्थ्य जांच या प्रतिरोधी देखभाल के संबंध में, जहां ऐसी जांच या प्रतिरोधी देखभाल के लिए संदाय सीधे ऐसे अस्पताल, परिचर्या गृह या बहु-विशेषज्ञ क्लिनिक को ऐसे कारबार अस्तित्व द्वारा किया गया है ; या

(ii) स्वास्थ्य बीमा स्कीम के अंतर्गत आने वाले किसी व्यक्ति को, किसी स्वास्थ्य जांच या उपचार के लिए, जहां ऐसी स्वास्थ्य जांच या उपचार का संदाय बीमा कंपनी द्वारा सीधे ऐसे अस्पताल, परिचर्या गृह या बहु-विशेषज्ञ क्लिनिक को किया गया है ;

(ययययत) किसी कारबार अस्तित्व को कारबार अस्तित्व के कर्मचारियों के चिकित्सा अभिलेखों के भंडारण, रखरखाव या अनुरक्षण के संबंध में, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(ययययथ) किसी व्यक्ति को, किसी माल, सेवा या वृत्तांत के ऐसे ब्रांड के संवर्धन या विपणन के लिए या विज्ञापन में और वृत्तांत में उपस्थित होकर या ऐसे माल, सेवा या वृत्तांत के लिए कोई संवर्धनकारी क्रियाकलाप करके किसी कारबार अस्तित्व जिसके अंतर्गत कोई व्यापार नाम, लोगो या गृह चिह्न भी है, के नाम के समर्थन के लिए किसी संविदा के अधीन किसी कारबार अस्तित्व या अन्यथा, के माध्यम से, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "ब्रांड" के अंतर्गत प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या ऐसे बनाए गए शब्द हैं जो उक्त माल, सेवा, आयोजन या कारबार अस्तित्व के साथ संबंध उपदर्शित करते हैं;

(ययययद) किसी व्यक्ति को, किसी वृत्तांत के, जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित कला, मनोरंजन, कारबार, खेलकूद या विवाह से संबंधित कोई वृत्तांत भी है, वाणिज्यिक उपयोग या लाभ समुपयोजन का अधिकार या अनुज्ञा देकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा;

(ययययध) किसी व्यक्ति को, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 76 के अधीन गठित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित किसी विद्युत केंद्र द्वारा, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, तत्काल संविदाओं, अवधि पूर्व संविदाओं, मौसमी संविदाओं, व्युत्पादित या किसी अन्य विद्युत संबंधित संविदा का व्यापार करने, प्रसंस्करण करने या समाशोधन या समाधान के संबंध में ; 2003 का 36

(ययययन) किसी व्यक्ति को, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 13 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन आने वाले अधिकारों के सिवाय, उक्त अधिनियम में परिभाषित किसी प्रतिलिप्यधिकार को,— 1957 का 14

(क) अस्थायी रूप से अंतरित करने ; या

(ख) उपयोग या उपभोग की अनुज्ञा देने के लिए,

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(ययययप) किसी क्रेता को, किसी रिहायशी परिसर या किसी वाणिज्यिक परिसर के किसी भवन निर्माता या ऐसे भवन निर्माता द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे परिसर के अधिमानी अवस्थान या विकास उपलब्ध कराने के लिए किंतु इसके अंतर्गत उपखंड (ययछ), उपखंड (ययथ), उपखंड (यययज) के अधीन आने वाली और पार्किंग स्थल से संबंधित सेवाएं नहीं हैं ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "अधिमानी अवस्थान" से अतिरिक्त फायदे वाला कोई अवस्थान अभिप्रेत है, जो मूल विक्रय कीमत से अधिक अतिरिक्त संदाय प्राप्त कराता है ;'।

(आ) धारा 66 में, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, "और उपखंड (ययययड)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "उपखंड (ययययड), उपखंड (ययययढ), उपखंड (ययययण), उपखंड (ययययत), उपखंड (ययययथ), उपखंड (ययययद), उपखंड (ययययध), उपखंड (ययययन) और उपखंड (ययययप)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(इ) धारा 73 की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में रांख्यांकित किया जाएगा और इरा प्रकार रांख्यांकित रपष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण 2**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन कोई शास्ति इस उपधारा के अधीन सेवा कर और उस पर ब्याज के संदायों की बाबत अधिरोपित नहीं की जाएगी ।";

(ई) धारा 95 की उपधारा (1च) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1छ) यदि वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा इस अध्याय में सम्मिलित किसी कराधेय सेवा के मूल्य के क्रियान्वयन करने, वर्गीकरण करने या निर्धारण करने की बाबत कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हो, कठिनाई दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश, ऐसी तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।"।

1994 का 32

धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (ययय) के अधीन की गई कार्रवाइयों का विधिमान्यकरण।

77. वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (ययय) के अधीन की गई कोई कार्रवाई या की गई कोई बात या किए जाने या लोप की जाने के लिए की गई कोई बात या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई किसी समय 1 जून, 2007 से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको वित्त विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई या लोप की गई समझी जाएगी और सदैव समझी जाएगी मानो वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 76 के खंड (अ) के उपखंड (6) की मद (ज) की उपमद (i) द्वारा धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (ययय), में किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में था और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) स्थावर संपत्ति को किराए पर देने की कराधेय सेवा पर उक्त अवधि के दौरान सेवा कर के उद्‌ग्रहण और संग्रहण के संबंध में की गई कोई कार्रवाई या कोई बात या किया गया या किया जाने वाला कोई लोप विधिमान्य रूप से इस प्रकार किया गया या लोप किया गया और सदैव किया गया समझा जाएगा मानों उक्त संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त था ;

(ख) कोई वाद या अन्य कार्यवाही, ऐसे सेवा कर के उद्‌ग्रहण और संग्रहण के लिए किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी और की गई ऐसी कार्रवाई या की गई कोई बात या किए गए लोप से संबंधित किसी डिक्री या आदेश का कोई प्रवर्तन किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा मानो उक्त संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त था ;

(ग) सेवा कर, ब्याज या शास्ति या जुर्माना या अन्य प्रभारों की ऐसी सभी रकमों की वसूली की जाएगी, जिन्हें संगृहीत नहीं किया जा सका है या, यथास्थिति, जिनका प्रतिदाय किया गया है, किंतु जिनका संग्रहण किया जाना था, या, यथास्थिति, प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, मानो उक्त संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त था ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई कार्य या लोप अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता, यदि यह संशोधन प्रवृत्त नहीं हुआ होता।

अध्याय 6

केंद्रीय विक्रय कर

1956 का 74

धारा 6क का संशोधन।

78. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 6क में,—

(क) उपधारा (2) में, "विशिष्टियां सही हैं" शब्दों से आरंभ होने वाले और "जिसकी बाबत घोषणा है, संचलन" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "विशिष्टियां सही हैं और कोई अंतरराज्यिक विक्रय नहीं किया गया है तो वह इस अधिनियम के अधीन व्यौहारी द्वारा संदेय कर का निर्धारण करते समय या कर के निर्धारण से पूर्व किसी भी समय, उस आशय का आदेश कर सकेगा और तदुपरांत उस माल का, जिसकी बाबत घोषणा है, संचलन, उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विक्रय के परिणामस्वरूप होने से अन्यथा हुआ समझा जाएगा ।" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट कोई बात निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पुनर्निर्धारण को नए तथ्यों के प्रकटीकरण के आधार पर या किसी उच्चतर प्राधिकारी द्वारा इस आधार पर पुनरीक्षण को प्रविरत नहीं करेगी कि निर्धारण प्राधिकारी के निष्कर्ष विधि के प्रतिकूल हैं और ऐसा पुनर्निर्धारण या पुनरीक्षण राज्य की साधारण विक्रय कर विधि के उपबंधों के अनुसार किया जा सकेगा ।"।

नए अध्याय 5क का अंतःस्थापन ।

79. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम के अध्याय 5 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'अध्याय 5क

राज्य के उच्चतम अपील प्राधिकरण को अपीलें

राज्य के उच्चतम अपील प्राधिकरण को अपीलें ।

18क. (1) किसी राज्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा धारा 6क की उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी आदेश या उस धारा की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, समुचित राज्य की साधारण विक्रय कर विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे आदेश के विरुद्ध राज्य के उच्चतम अपील प्राधिकरण को अपील कर सकेगा :

परंतु ऐसी अपील में किन्हीं आनुषंगिक मुद्दों को, जिनके अंतर्गत कर की दर, निर्धारणीय आवर्त की संगणना और शास्ति भी है, उठाया जा सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील उस तारीख से, जिसको उस उपधारा में निर्दिष्ट आदेश व्यथित व्यक्ति को संसूचित किया जाता है, साठ दिन के भीतर फाइल की जाएगी :

परंतु किसी राज्य के उच्चतम अपील प्राधिकरण द्वारा धारा 25 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन प्रथम अपील प्राधिकरण को अग्रेषित की गई और नियत दिन से ठीक पूर्व उस प्राधिकरण के समक्ष लंबित किसी अपील को ऐसे नियत दिन को राज्य के उच्चतम अपील प्राधिकरण को अंतरित किया जाएगा और उसे उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई अपील समझा जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "नियत दिन" से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

(3) राज्य का उच्चतम अपील प्राधिकरण, दोनों पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात्, समुचित आदेश पारित कर सकेगा ।

(4) राज्य का उच्चतम अपील प्राधिकरण, जहां तक व्यवहार्य हो, ऐसी अपील की सुनवाई और विनिश्चय, अपील फाइल करने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर कर सकेगा ।

(5) किसी राज्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का उच्चतम अपील प्राधिकरण, आवेदक के आवेदन पर और सुसंगत तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, जिसके अंतर्गत उसी माल के संबंध में अन्य राज्यों में स्थानीय या केंद्रीय विक्रय कर मद्दे किसी रकम का निक्षेप भी है, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह ठीक समझे, रोकादेश पारित कर सकेगा और ऐसे आदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ, अपील के ग्रहण किए जाने से पूर्व निक्षिप्त किए जाने वाले, यथानिर्धारित कर के भाग को उपदर्शित किया जा सकेगा ।

(5) उपधारा (3) के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर दसवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उद्ग्रहणीय किसी उपकर या शुल्क के अतिरिक्त होगा ।

(6) उपधारा (3) के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर संघ के प्रयोजनों के लिए होगा और उसके आगमों को राज्यों के बीच वितरित नहीं किया जाएगा तथा उपकर के संबंध में निर्धारण, संग्रहण, उपयोजन की रीति और कोई अन्य विषय ऐसा होगा, जो नियमों द्वारा विहित किया जाए ।

(7) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण और उससे छूट, प्रतिदाय, अपराध और शास्तियों, अधिहरण और अपराधों तथा अपीलों से संबंधित प्रक्रिया से संबंधित केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क अधिनियम, 1944 के कोई उपबंध, ऐसे उपांतरणों और परिवर्तनों सहित, जो वह आवश्यक समझे, उपधारा (3) के अधीन उद्गृहीत उपकर की बाबत लागू होंगे । 1944 का 1

नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति ।

84. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे,—

(क) धारा 83 की उपधारा (6) के अधीन उपकर के निर्धारण, संग्रहण और उपयोग की रीति; या

(ख) धारा 83 की उपधारा (6) के अधीन उपकर से संबंधित कोई अन्य विषय ।

(3) इस अध्याय के अधीन बनाया प्रत्येक नियम या जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा/रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा/होगी । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए अथवा अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो वह निष्प्रभाव हो जाएगा/जाएगी । किन्तु उस नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उस नियम या अधिसूचना के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

1955 के अधिनियम 16 की धारा 3 का संशोधन।

85. औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) में, "शुल्क्य माल" शब्दों के पश्चात् "(जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन में उत्पादित या विनिर्मित माल नहीं है)" कोष्ठक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

2001 के अधिनियम 14 का संशोधन ।

86. वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची का ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा।

2005 के अधिनियम 18 का संशोधन ।

87. वित्त अधिनियम, 2005 की सातवीं अनुसूची का बारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 20, धारा 21, धारा 22 और धारा 25 के प्रयोजनों के लिए, "किसी राज्य के उच्चतम अपील प्राधिकरण" से उसके व्याकरणिक रूपभेदों सहित, किसी राज्य की साधारण विक्रय कर विधि के अधीन स्थापित या गठित, उच्च न्यायालय के सिवाय, कोई प्राधिकरण या अधिकरण या न्यायालय, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है ।'।

धारा 20 का संशोधन ।

80. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) और उसके अधीन स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य के उच्चतम अपील प्राधिकरण द्वारा स्टाक अंतरण या माल के पारेषण से संबंधित विवाद्यकों का, जहां तक उनमें अंतरराज्यिक प्रकृति का कोई विवाद अंतर्वलित है, अवधारण करने के लिए पारित किए गए किसी आदेश के विरुद्ध, अपील, प्राधिकरण को होगी ।"।

धारा 22 का संशोधन ।

81. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 22 में,—

(क) "पूर्व निक्षेप" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "निक्षेप" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1ख) प्राधिकरण, किसी राज्य द्वारा संगृहीत ऐसे कर के, जो प्राधिकरण द्वारा उस राज्य को देय नहीं अभिनिर्धारित किया गया है, प्रतिदाय के लिए निदेश जारी कर सकेगा या वैकल्पिक रूप से, उस राज्य को प्रतिदेय रकम को उस राज्य को अंतरित करने का निदेश दे सकेगा, जिसको उसी संव्यवहार के संबंध में केंद्रीय विक्रय कर देय है :

परंतु राज्य द्वारा प्रतिदाय किए जाने के लिए निदेश की गई कर की रकम उसी संव्यवहार पर अपीलार्थी द्वारा संदेय केंद्रीय विक्रय कर की रकम से अधिक नहीं होगी ।"।

धारा 25 का संशोधन ।

82. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) के परंतुक का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 7

स्वच्छ ऊर्जा उपकर

स्वच्छ ऊर्जा उपकर ।

83. (1) इस अध्याय का विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

(3) इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार दसवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर, जो भारत में उत्पादित माल है, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में, स्वच्छ ऊर्जा प्रारंभिक उपाय निधि अनुसंधान के वित्त-पोषण और संवर्धन के प्रयोजन के लिए या उससे संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए स्वच्छ ऊर्जा उपकर नामक उपकर, उक्त अनुसूची में वर्णित दरों पर उत्पाद-शुल्क के रूप में उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन उद्गृहीत उपकर के आगमों को सर्वप्रथम भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा और केंद्रीय सरकार संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् उपकर की ऐसी धनराशियों को उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक है किंतु 20,000 रु० से अधिक नहीं है	1,000 रु० **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु० से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु० से अधिक है	3,000 रु० **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु० से अधिक हो जाती है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत ।

पैरा ङ

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में कुल आय का 30 प्रतिशत;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व; अथवा

(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त फीस,

और जहां, दोनों में से किसी भी दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है 50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो 40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, निम्नलिखित दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ढाई प्रतिशत की दर से :

पहली अनुसूची
(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,60,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 1,60,000 रु0 से अधिक है किंतु 3,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,60,000 रु0 से अधिक हो जाती है;
(3) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	14,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है	54,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,90,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 1,90,000 रु0 से अधिक है किंतु 3,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,90,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	11,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है	51,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,40,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 2,40,000 रु0 से अधिक है किंतु 3,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,40,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	6,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है	46,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

परंतु प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, उस आय की रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम से अधिक नहीं होगी ।

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी:—

	आय-कर की दर
1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,—	
(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, तांश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) बीमा कमीशन के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(v) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर—	10 प्रतिशत ;
(अ) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियां ;	
(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं ;	
(इ) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति ;	
(vi) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;
(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,—	
(i) अनिवासी भारतीय की दशा में,—	
(अ) विनिधान से किसी आय पर	20 प्रतिशत ;
(आ) धारा 115ङ में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(इ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(ई) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में अन्य आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं]	20 प्रतिशत ;
(उ) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उपगत उधार लिए गए धन या ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(ऊ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां	

आय-कर की दर

ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में,—

(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है — 20 प्रतिशत ;

(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है — 10 प्रतिशत ;

(ऋ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(i)(ऊ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर,—

(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है — 20 प्रतिशत ;

(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है — 10 प्रतिशत ;

(ए) सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर,—

(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है — 20 प्रतिशत ;

(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है — 10 प्रतिशत ;

(ऐ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर — 30 प्रतिशत ;

(ओ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर — 30 प्रतिशत ;

(औ) अन्य सम्पूर्ण आय पर — 30 प्रतिशत ;

(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,—

(अ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर — 20 प्रतिशत ;

(आ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में,—

(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है — 20 प्रतिशत ;

	आय-कर की दर
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(इ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां यह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(ii)(आ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर,—	
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(ई) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा प्रत्येक तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर,—	
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(उ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऋ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(ए) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में अन्य आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत ;
(ऐ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत।
2. किसी कंपनी की दशा में,—	
(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;
(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,—	
(i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;

	आय-कर की दर
(ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(iv) 31 मार्च, 1976 के पश्चात् उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामित्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामित्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है—	
(अ) जहां करार 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(इ) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(v) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामित्व के रूप में [जो उपमद (ख)(iv) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामित्व नहीं है] आय पर—	
(अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात्, किन्तु 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;
(इ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(ई) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,—	
(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात्, किन्तु 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;
(इ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(ई) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;

	आय-कर की दर
(vii) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(viii) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है] आय पर	20 प्रतिशत ;
(ix) किसी अन्य आय पर	40 प्रतिशत।

स्पष्टीकरण—इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजन के लिए, "विनिधान से आय" और "अनिवासी भारतीय" के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में हैं ।

आय-कर पर अधिभार

इस भाग की मद 2(ख) के उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, संघ के प्रयोजनों के लिए, जहां संदत्त या संभवतः संदत्त की जाने वाली आय या आय का योग है और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक होता है, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर पर परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाई जाएगी ।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या अग्रिम कर [जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में अग्रिम कर नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खख या धारा 115खखक या धारा 115खखग या धारा 115ङ या धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसे अग्रिम कर पर अधिभार नहीं है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :—

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,60,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 1,60,000 रु0 से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,60,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 8,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	34,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 8,00,000 रु0 से अधिक है	94,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 8,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,90,000 रु० से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 1,90,000 रु० से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु० से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,90,000 रु० से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक है, किंतु 8,00,000 रु० से अधिक नहीं है	31,000 रु० **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 8,00,000 रु० से अधिक है	91,000 रु० **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 8,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,40,000 रु० से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 2,40,000 रु० से अधिक है, किन्तु 5,00,000 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,40,000 रु० से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक है किंतु 8,00,000 रु० से अधिक नहीं है	26,000 रु० **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक हो जाती है;
(4) जहां कुल आय 8,00,000 रु० से अधिक है	86,000 रु० **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 8,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक है, किंतु 20,000 रु० से अधिक नहीं है	1,000 रु० **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु० से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु० से अधिक है	3,000 रु० **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु० से अधिक हो जाती है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर — 30 प्रतिशत ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर — 30 प्रतिशत ।

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में — कुल आय का 30 प्रतिशत ।

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामित्व; या

(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए फीस,

और जहां, दोनों में से प्रत्येक दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है — 50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो — 40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के साढ़े सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ढाई प्रतिशत की दर से :

परंतु प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम उस आय की रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम से अधिक नहीं होगी ।

भाग 4

[धारा 2(13)(ग) देखिए]

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

नियम 1—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

परंतु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतर के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश नहीं हैं ।

नियम 2—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3) और उपधारा (4) से भिन्न] धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 3—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "गृह-संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 4—इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में,—

(क) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा;

(ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबड़ के सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स या सिनेक्स या क्रेप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्मोक्ड ब्लेन्केट क्रेप या फ्लेट बार्क क्रेप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैंसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा;

(ग) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, साठ प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ।

नियम 5—जहां निर्धारिती किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिंदू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा ।

नियम 6—जहां कृषि-आय के किसी स्रोत के संबंध में पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परंतु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 7—राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्गृहीत किसी कर मद्धे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी ।

नियम 8—(1) जहां निर्धारिती की, 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्वनर्ष में कोई कृषि-आय है और 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,

(i) 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम

दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी।

(2) जहां निर्धारिती की, 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, आय-कर उस पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में, कोई कृषि-आय है और 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की

(iii) 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी ।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2003 (2003 का 32) की पहली अनुसूची के या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2006 (2006 का 21) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2008 (2008 का 18) की पहली अनुसूची के या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 (2009 का 33) की पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 9—जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है, वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा ।

नियम 10—आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं ।

नियम 11—निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन हैं ।

दूसरी अनुसूची

[धारा 60(1) देखिए]

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सा0का0नि0 सं0 118(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 [21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002]	उक्त अधिसूचना की सारणी में क्र0 सं0 573 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र0 सं0 और प्रविष्टियां रखी जाएंगी और रखी गई समझी जाएंगी, अर्थात् :—	26 जून, 2009

क्र0 सं0	अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष	माल का वर्णन	मानक दर	अतिरिक्त शुल्क दर	शर्त सं0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"573	2716 00 00	विशेष आर्थिक जोन से विशेष आर्थिक जोन के घरेलू टैरिफ क्षेत्र या गैर-प्रसंस्कृत क्षेत्रों को हटाई गई विद्युत ऊर्जा	16%	-	-
573क	2716 00 00	क्र0 सं0 573 पर वर्णित माल से भिन्न सभी माल	कुछ नहीं	-	-"।

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
2.	सा0का0नि0 सं0 92(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 [20/2006-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006]।	उक्त अधिसूचना की सारणी में क्र0 सं0 66 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र0 सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी और अंतःस्थापित की गई समझी जाएंगी, अर्थात् :—	26 जून, 2009

क्र0 सं0	पहली अनुसूची का अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का वर्णन	मानक दर
(1)	(2)	(3)	(4)
" 67	2716 00 00	सभी माल	कुछ नहीं"।

तीसरी अनुसूची

(धारा 62 देखिए)

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 24 के शीर्ष 2402 में,—

(i) टैरिफ मद 2402 20 30 के सामने आने वाली स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "---60 मिलीमीटर से अनधिक की लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लम्बाई सम्मिलित है, फिल्टर की लम्बाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो)" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 2402 20 40 के सामने आने वाली स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "---60 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 70 मिलीमीटर से अनधिक की लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लम्बाई सम्मिलित है, फिल्टर की लम्बाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो)" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 2402 20 50 के सामने आने वाली स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "---70 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 75 मिलीमीटर से अनधिक की लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लम्बाई सम्मिलित है, फिल्टर की लम्बाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो)" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 2402 20 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"2402 20 60	---75 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 85 मिलीमीटर से अनधिक की लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लम्बाई सम्मिलित है, फिल्टर की लम्बाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो)	संख्या हजार में	30%	-";

(2) अध्याय 27 में,—

(क) उपशीर्ष 2712 20 और टैरिफ मद 2712 20 10 और 2712 20 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"2712 20 00	---पैराफिन मोम, जिसमें तेल के भार के रूप में तेल का अंश 0.75% से कम हो	कि.ग्रा.	10%"	-";

(ख) टैरिफ मद 2712 90 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"2712 90 40	---पैराफिन मोम, जिसमें तेल के भार के रूप में तेल का अंश 0.75% या उससे अधिक हो	कि.ग्रा.	10%	-";

चौथी अनुसूची

[धारा 69(1) देखिए]

क्रम सं0	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के संशोधित किए जाने वाले उपबंध	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नए नियम 57गगग का अंतःस्थापन।	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57गग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : "57गगग. **वास्तविक प्रत्यय का प्रत्यावर्तन**—जहां 1 सितम्बर, 1996 को प्रारंभ होने वाली और 28 फरवरी, 1997 को (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित है) समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित छूट प्राप्त अंतिम उत्पादों में या उसके संबंध में प्रयुक्त अंतःनिवेशों पर प्रत्यय के समायोजन से संबंधित विवाद, उस तारीख को जिसको वित्त विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, लंबित हैं, वहां नियम 57ग के उपनियम (1) और उपनियम (2) तथा नियम 57गग के उपनियम (1) और उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ईंधन के रूप में प्रयुक्त अंतःनिवेशों से भिन्न किन्हीं अंतःनिवेशों की बाबत विनिर्दिष्ट शुल्क के प्रत्यय का उपभोग करने वाला और ऐसे अंतिम उत्पादों का, जो शुल्क के लिए प्रभार्य हैं और ऐसे अन्य अंतिम उत्पादों का भी जो इस प्रकार शुल्क के लिए प्रभार्य नहीं हैं या शुल्क की कुछ नहीं दर पर की रकम के लिए प्रभार्य हैं, विनिर्माण करने वाला विनिर्माता ऐसे अंतिम उत्पाद के, जो शुल्क के लिए प्रभार्य नहीं है, या शुल्क की कुछ नहीं दर से प्रभार्य है विनिर्माण में या उसके संबंध में प्रयुक्त अंतःनिवेशों के रूप में मान्य ऐसे प्रत्यय के बराबर रकम का, ऐसे माल की निकासी से पूर्व या पश्चात् संदाय करेगा: परंतु विनिर्माता माल की निकासी की तारीख से उक्त रकम के संदाय की तारीख तक चौबीस प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का संदाय करेगा ।"।	1 सितंबर, 1996 से 28 फरवरी, 1997 (जिसमें दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) ।
2.	वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 68 द्वारा अंतःस्थापित किया गया केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का नियम 57गगग ।	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57गगग के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :— "57गगग. **वास्तविक प्रत्यय का प्रत्यावर्तन**— जहां 1 मार्च, 1997 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2000 को (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित छूट प्राप्त अंतिम उत्पादों में या उसके संबंध में प्रयुक्त अंतःनिवेशों पर प्रत्यय के समायोजन से संबंधित विवाद उस तारीख को जिसको वित्त विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, लंबित हैं, वहां नियम 57ग के उपनियम (1) और उपनियम (2) तथा नियम 57गग के उपनियम (1) और उपनियम (9) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ईंधन के रूप में प्रयुक्त अंतःनिवेशों से भिन्न किन्हीं अंतःनिवेशों की बाबत विनिर्दिष्ट शुल्क के प्रत्यय का उपभोग करने वाला और ऐसे अंतिम उत्पादों का, जो शुल्क के लिए प्रभार्य हैं और ऐसे अन्य अंतिम उत्पादों का भी जो इस प्रकार शुल्क के लिए प्रभार्य नहीं हैं विनिर्माण करने वाला विनिर्माता ऐसे अंतिम उत्पाद के, जो शुल्क के लिए प्रभार्य नहीं है, विनिर्माण में या उसके संबंध में प्रयुक्त अंतःनिवेशों के रूप में मान्य ऐसे प्रत्यय के बराबर रकम का, ऐसे माल की निकासी से पूर्व या पश्चात् संदाय करेगा : परंतु विनिर्माता माल की निकासी की तारीख से उक्त रकम के संदाय की तारीख तक चौबीस प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का संदाय करेगा ।"।	1 मार्च, 1997 से 31 मार्च, 2000 (जिसमें दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) ।

पांचवीं अनुसूची

[धारा 70(1) देखिए]

क्रम सं0	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के संशोधित किए जाने वाले उपबंध	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
	अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 298(अ), तारीख 31 मार्च, 2000 [27/2000-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 31 मार्च, 2000] द्वारा अंतःस्थापित किया गया केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का नियम 57कघ ।	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57कघ के उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "(5) जहां 1 अप्रैल, 2000 को प्रारंभ होने वाली और 30 जून, 2001 को (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित छूट प्राप्त अंतिम उत्पादों में या उसके संबंध में प्रयुक्त अंतःनिवेशों पर प्रत्यय के समायोजन से संबंधित विवाद उस तारीख को जिसको वित्त विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, लंबित हैं, वहां उपनियम (1) और उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई विनिर्माता, ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित अंतःनिवेशों के सिवाय किन्हीं अंतःनिवेशों की बाबत केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय का उपभोग करने वाला विनिर्माता और ऐसे अंतिम उत्पादों का, जो शुल्क के लिए प्रभार्य हैं तथा ऐसे अन्य अंतिम उत्पादों का भी, जो छूट प्राप्त माल हैं, विनिर्माण करने वाला विनिर्माता ऐसे छूट प्राप्त माल या शुल्क की कुछ नहीं दर से प्रभार्य माल के संबंध में प्रयुक्त अंतःनिवेशों के रूप में मान्य केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के बराबर रकम का, ऐसे माल की निकासी से पूर्व या पश्चात् संदाय करेगा : परंतु विनिर्माता माल की निकासी की तारीख से उक्त रकम के संदाय की तारीख तक चौबीस प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का संदाय करेगा ।"।	1 अप्रैल, 2000 से 30 जून, 2001 (जिसमें दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) ।

छठी अनुसूची

[धारा 71(1) देखिए]

क्रम सं0	केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 के संशोधित किए जाने वाले उपबंध	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
	अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 445(अ), तारीख 21 जून, 2001 [31/2001-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 21 जून, 2001] द्वारा प्रकाशित किए गए केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 का नियम 6 ।	केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 के नियम 6 के उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— '(6) जहां 1 जुलाई, 2001 को प्रारंभ होने वाली और 28 फरवरी, 2002 को (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित छूट प्राप्त अंतिम उत्पादों में या उसके संबंध में प्रयुक्त अंतःनिवेशों पर प्रत्यय के समायोजन से संबंधित विवाद उस तारीख को, जिसको वित्त विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है लंबित हैं, वहां उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई विनिर्माता, ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित अंतःनिवेशों के सिवाय किन्हीं अंतःनिवेशों की बाबत केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय का उपभोग करने वाला और ऐसे अंतिम उत्पादों का, जो शुल्क के लिए प्रभार्य हैं तथा ऐसे अन्य अंतिम उत्पादों का भी, जो छूट प्राप्त माल हैं, विनिर्माण करने वाला विनिर्माता ऐसे छूट प्राप्त माल या उसके संबंध में प्रयुक्त अंतःनिवेशों के रूप में मान्य केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के बराबर रकम का, ऐसे माल की निकासी से पूर्व या पश्चात् संदाय कर सकेगा : परंतु विनिर्माता नियत तारीख से उक्त रकम के संदाय की तारीख तक चौबीस प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का संदाय करेगा । **स्पष्टीकरण**— इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, "नियत तारीख" से उस मास के जिसमें कारखाने से माल की निकासी की गई है, आगामी मास का 5वां दिन अभिप्रेत है ।'।	1 जुलाई, 2001 से 28 फरवरी, 2002 (जिसमें दोनों दिन भी सम्मिलित हैं)।

सातवीं अनुसूची

[धारा 72(1) देखिए]

क्र॰ सं॰	केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के संशोधित किए जाने वाले उपबंध	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
	अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 144(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 [5/2002-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 1 मार्च, 2002] द्वारा प्रकाशित किए गए केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 का नियम 6 ।	केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के नियम 6 के उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— '(6) जहां 1 मार्च, 2002 को प्रारंभ होने वाली और 9 सितम्बर, 2004 (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित छूट प्राप्त अंतिम उत्पादों में या उसके संबंध में प्रयुक्त अंतःनिवेशों पर प्रत्यय के समायोजन से संबंधित विवाद उस तारीख को जिसको वित्त विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, लंबित हैं, वहां उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई विनिर्माता, ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित अंतःनिवेशों के सिवाय किन्हीं अंतःनिवेशों की बाबत केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय का उपभोग करने वाला और ऐसे अंतिम उत्पादों का, जो शुल्क के लिए प्रभार्य हैं तथा ऐसे अन्य अंतिम उत्पादों का भी, जो छूट प्राप्त माल हैं, विनिर्माण करने वाला विनिर्माता ऐसे छूट प्राप्त माल या उसके संबंध में प्रयुक्त अंतःनिवेशों के रूप में मान्य केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के बराबर रकम का, ऐसे माल की निकासी से पूर्व या पश्चात् संदाय कर सकेगा : परंतु विनिर्माता नियत तारीख से उक्त रकम के संदाय की तारीख तक चौबीस प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का संदाय करेगा । **स्पष्टीकरण**— इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, "नियत तारीख" से उस मास के जिसमें कारखाने से माल की निकासी की गई है, आगामी मास का 5वां दिन अभिप्रेत है ।'।	1 मार्च, 2002 से 9 सितंबर, 2004 (जिसमें दोनों दिन भी सम्मिलित हैं)।

आठवीं अनुसूची

[धारा 73(1) देखिए]

क्र० सं०	केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के संशोधित किए जाने वाले उपबंध	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
	अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 600 (अ), तारीख 10 सितंबर, 2004 [23/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 10 सितंबर, 2004] द्वारा प्रकाशित किए गए केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 का नियम 6 ।	केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 6 के उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— '(7) जहां 10 सितम्बर, 2004 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2008 (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित छूट प्राप्त अंतिम उत्पादों में या उसके संबंध में प्रयुक्त अंतःनिवेशों या अंतःनिवेश सेवाओं पर प्रत्यय के समायोजन से संबंधित विवाद उस तारीख को जिसको वित्त विधेयक, 2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, लंबित हैं, वहां उपनियम (1) और उपनियम (2) तथा उपनियम (3) के खंड (क) और खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई विनिर्माता, किन्हीं अंतःनिवेशों या अंतःनिवेश सेवाओं की बाबत केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय का उपभोग करने वाला और ऐसे अंतिम उत्पादों का, जो शुल्क के लिए प्रभार्य हैं तथा ऐसे अन्य अंतिम उत्पादों का भी, जो छूट प्राप्त माल हैं, विनिर्माण करने वाला विनिर्माता ऐसे छूट प्राप्त माल या उसके संबंध में प्रयुक्त अंतःनिवेशों या अंतःनिवेश सेवाओं के रूप में मान्य केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के बराबर रकम का, ऐसे माल की निकासी से पूर्व या पश्चात् संदाय कर सकेगा : परंतु विनिर्माता नियत तारीख से उक्त रकम के संदाय की तारीख तक चौबीस प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का संदाय करेगा । **स्पष्टीकरण**—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, "नियत तारीख" से उस मास के, जिसमें कारखाने से माल की निकासी की गई है, आगामी मास का 5वां दिन अभिप्रेत है ।'।	10 सितंबर, 2004 से 31 मार्च, 2008 (जिसमें दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) ।

नौवीं अनुसूची

(धारा 75 देखिए)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 24 में,—

(i) 2401 शीर्ष की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "50%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 2402 10 10 और 2402 10 20 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 1227 रुपए प्रति हजार, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 2402 20 10 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "509 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 2402 20 20 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "1218 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 2402 20 30 के सामने आने वाली स्तंभ (2) और स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "---60 मिलीमीटर से अनधिक की लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लंबाई सम्मिलित है, फिल्टर की लम्बाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो)" और "509 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(vi) टैरिफ मद 2402 20 40 के सामने आने वाली स्तंभ (2) और स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "---60 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 70 मिलीमीटर से अनधिक की लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लम्बाई सम्मिलित है, फिल्टर की लम्बाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो)" और "809 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(vii) टैरिफ मद 2402 20 50 के सामने आने वाली स्तंभ (2) और स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "---70 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 75 मिलीमीटर से अनधिक की लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लम्बाई सम्मिलित है, फिल्टर की लम्बाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो)" और "1218 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(viii) टैरिफ मद 2402 20 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
"2402 20 60	--- 75 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 85 मिलीमीटर से अनधिक की लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लम्बाई सम्मिलित है, फिल्टर की लम्बाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो)	संख्या हजार में	1624 रुपए प्रति हजार";

(ix) टैरिफ मद 2402 20 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "1948 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) टैरिफ मद 2402 90 10 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "1258 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) टैरिफ मद 2402 90 20 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 1473 रुपए प्रति हजार, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) टैरिफ मद 2402 90 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 1473 रुपए प्रति हजार, इनमें से जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) टैरिफ मद 2403 10 10 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "60%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) टैरिफ मद 2403 10 20 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "360%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) टैरिफ मद 2403 10 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "40%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) टैरिफ मद 2403 91 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "60%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) टैरिफ मद 2403 99 10, 2403 99 20, 2403 99 30, 2403 99 40, 2403 99 50 और 2403 99 60 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "60%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) टैरिफ मद 2403 99 70 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "60 रुपए प्रति किलोग्राम" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) टैरिफ मद 2403 99 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "60%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) अध्याय 27 में,—

(क) उपशीर्ष 2712 20 और टैरिफ मद, 2712 20 10 और 2712 20 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

टैरिफ मद	माल का विवरण	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
"2712 20 00	- पैराफिन मोम, जिसमें तेल के भार के रूप में तेल का अंश 0.75% से कम हो	कि.ग्रा.	16%" ;

(ख) टैरिफ मद 2712 90 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

टैरिफ मद	माल का विवरण	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
"2712 90 40	--- पैराफिन मोम, जिसमें तेल के भार के रूप में तेल का अंश 0.75% या उससे अधिक हो	कि.ग्रा.	16%" ;

(3) अध्याय 48 के शीर्ष 4818 में,—

(i) टैरिफ मद 4818 40 10 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 4818 40 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(4) अध्याय 50 के शीर्ष 5004, 5005, 5006 और 5007 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(5) अध्याय 51 के शीर्ष 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5112 और 5113 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(6) अध्याय 52 के शीर्ष 5204, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5211 और 5212 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(7) अध्याय 53 के शीर्ष 5302, 5305, 5306, 5308 (5308 10 10 और 5308 10 90 के सिवाय), 5309, 5310 और 5311 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(8) अध्याय 54 के शीर्ष 5401, 5404 (5404 11 00, 5404 12 00, 5404 19 10, 5404 19 20 और 5404 19 90 के सिवाय), 5405, 5407 (5407 10 15, 5407 10 25, 5407 10 35, 5407 10 45, 5407 10 95, 5407 20 10, 5407 20 20, 5407 20 30, 5407 20 40, 5407 20 90, 5407 30 10, 5407 30 20, 5407 30 30, 5407 30 40, 5407 30 90, 5407 41 19, 5407 41 29, 5407 42 90, 5407 43 00, 5407 44 90, 5407 71 10, 5407 71 20, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 81 19, 5407 81 29, 5407 82 90, 5407 83 00, 5407 84 90, 5407 91 10, 5407 91 20, 5407 92 00, 5407 93 00 और 5407 94 00 के सिवाय) और 5408 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(9) अध्याय 55 के शीर्ष 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515 और 5516 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(10) अध्याय 56 के शीर्ष 5601 (5601 10 00 और 5601 22 00 के सिवाय), 5602,, 5603, 5604, 5605, 5606, 5607 (5607 50 10 के सिवाय), 5608 (5608 11 10 और 5608 11 90 के सिवाय) और 5609 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(11) अध्याय 57 के शीर्ष 5701, 5702, 5703, 5704 और 5705 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(12) अध्याय 58 के शीर्ष 5801 (5801 35 00 के सिवाय) 5802, 5803, 5804 (5804 30 00 के सिवाय), 5806, 5808, 5809, 5810 और 5811 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(13) अध्याय 59 के शीर्ष 5901, 5902 (5902 10 10 और 5902 10 90 के सिवाय), 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5910 और 5911 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(14) अध्याय 60 के शीर्ष 6001, 6002, 6003, 6004, 6005 और 6006 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(15) अध्याय 61 के शीर्ष 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116 और 6117 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(16) अध्याय 62 के शीर्ष 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6216 और 6217 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(17) अध्याय 63 के शीर्ष 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307 और 6308 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(18) अध्याय 68 में, टिप्पण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'3. शीर्ष 6802 और 6810 के उत्पादों के संबंध में, प्रस्तर समूहों के स्लैबों या टाइलों में संपरिवर्तन के लिए कर्तन या घर्षण या शाणन या पालिशकरण की प्रक्रिया या कोई अन्य प्रक्रिया "विनिर्माण" की कोटि में आएगी ।'।

(19) अध्याय 76 में,—

(i) "टिप्पण" को उसके "टिप्पण 1" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित टिप्पण 1 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'2. शीर्ष 7608 के उत्पादों के संबंध में, तैयार करने या पुनः तैयार करने की प्रक्रिया "विनिर्माण" की कोटि में आएगी ।'।

(ii) उपशीर्ष टिप्पण 2 में, "टिप्पण" शब्द के स्थान पर, "टिप्पण 1" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(20) अध्याय 90 के शीर्ष 9001 30 00 की टैरिफ मद के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(21) अध्याय 95 के शीर्ष 9504 40 00 की टैरिफ मद के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

दसवीं अनुसूची

[धारा 83(3) और (5) देखिए]

टिप्पण :

1. इस अनुसूची में, "अध्याय" "शीर्ष", "उपशीर्ष" और "टैरिफ मद" से, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का क्रमशः अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष और टैरिफ मद अभिप्रेत हैं ।

2. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची, धारा और अध्याय टिप्पणों तथा पहली अनुसूची के निर्वचन के लिए साधारण नियम इस अनुसूची के निर्वचन को लागू होंगे ।

क्र॰ सं॰	अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का वर्णन	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2701	कोयला; कोयले से विनिर्मित इष्टिका, अण्डाभ और इसी प्रकार के ठोस ईंधन	100 रुपए प्रति टन
2.	2702	लिग्नाइट, चाहे संपीडित है या नहीं, जैट को छोड़कर	100 रुपए प्रति टन
3.	2703	पीट (जिसके अंतर्गत पीट लिटर भी है) चाहे संपीड़ित है या नहीं	100 रुपए प्रति टन

ग्यारहवीं अनुसूची

(धारा 86 देखिए)

वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में,—

(i) टैरिफ मद 2402 20 30 के सामने आने वाली स्तंभ (2) और स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "---60 मिलीमीटर से अनधिक की लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लंबाई सम्मिलित है, फिल्टर की लम्बाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो)" और "90 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(ii) टैरिफ मद 2402 20 40 के सामने आने वाली स्तंभ (2) और स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "---60 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 70 मिलीमीटर से अनधिक की लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लम्बाई सम्मिलित है, फिल्टर की लम्बाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो)" और "90 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(iii) टैरिफ मद 2402 20 50 के सामने आने वाली स्तंभ (2) और स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "---70 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 75 मिलीमीटर से अनधिक की लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लम्बाई सम्मिलित है, फिल्टर की लम्बाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो)" और "145 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(iv) टैरिफ मद 2402 20 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
"2402 20 60	--- 75 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 85 मिलीमीटर से अनधिक की लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लम्बाई सम्मिलित है, फिल्टर की लम्बाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो)	संख्या हजार में	190 रुपए प्रति हजार"।

बारहवीं अनुसूची

(धारा 87 देखिए)

वित्त अधिनियम, 2005 की सातवीं अनुसूची में,—

(i) टैरिफ मद 2402 20 30 के सामने आने वाली स्तंभ (2) और स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "---60 मिलीमीटर से अनधिक की लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लंबाई सम्मिलित है, फिल्टर की लम्बाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो)" और "70 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(ii) टैरिफ मद 2402 20 40 के सामने आने वाली स्तंभ (2) और स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, क्रमशः "---60 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 70 मिलीमीटर से अनधिक की लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लम्बाई सम्मिलित है, फिल्टर की लम्बाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो)" और "70 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(iii) टैरिफ मद 2402 20 50 के सामने आने वाली स्तंभ (2) और स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "---70 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 75 मिलीमीटर से अनधिक की लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लम्बाई सम्मिलित है, फिल्टर की लम्बाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो)" और "110 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(iv) टैरिफ मद 2402 20 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
"2402 20 60	--- 75 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 85 मिलीमीटर से अनधिक की लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लम्बाई सम्मिलित है, फिल्टर की लम्बाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो)	संख्या हजार में	145 रुपए प्रति हजार"।

उपदान संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2010

(2010 का अधिनियम संख्यांक 15)

[17 मई, 2010]

उपदान संदाय अधिनियम, 1972
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उपदान संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

1972 के अधिनियम 39 की धारा 4 का संशोधन।

2. उपदान संदाय अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उपधारा (3) में, ''तीन लाख पचास हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दस लाख रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

तमिलनाडु विधान परिषद् अधिनियम, 2010

(2010 का अधिनियम संख्यांक 16)

[18 मई, 2010]

तमिलनाडु राज्य के लिए विधान परिषद के सृजन तथा उसके
अनुपूरक, उससे आनुषंगिक और पारिणामिक
विषयों का उपबंध
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम तमिलनाडु विधान परिषद् अधिनियम, 2010 है। संक्षिप्त नाम।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ऐसे प्रत्येक शब्द और पद का, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो अधिनियम में हैं। परिभाषाएं। 1950 का 43

3. (1) ऐसी तारीख से, जो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा नियत करें, तमिलनाडु राज्य के लिए एक विधान परिषद् होगी, और उस तारीख से ही, अनुच्छेद 168 के खंड (1) के उपखंड (क) में, "कर्नाटक," शब्द के पश्चात्, "तमिलनाडु" शब्द अन्त:स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु के लिए विधान परिषद् का सृजन।

(2) उक्त परिषद् में, 78 स्थान होंगे, जिनमें से,—

(क) अनुच्छेद 171 के खंड (3) के उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (ग) में निर्दिष्ट निर्वाचक मण्डलों निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या क्रमश: 26, 7 और 7 होगी;

(ख) उक्त खंड के उपखंड (घ) के उपबंधों के अनुसार तमिलनाडु विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या 26 होगी; और

(ग) उस खंड के उपखंड (ङ) के उपबंधों के अनुसार तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा नामनिर्देशित व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या 12 होगी।

(3) राष्ट्रपति, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, आदेश द्वारा, निम्नलिखित का अवधारण करेंगे—

(क) वे निर्वाचन-क्षेत्र, जिनमें तमिलनाडु राज्य को अनुच्छेद 171 के खंड (3) के उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (ग) में से प्रत्येक उपखंड के अधीन उक्त परिषद् के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए विभाजित किया जाएगा;

(ख) प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार; और

(ग) प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र को आबंटित किए जाने वाले स्थानों की संख्या।

(4) ऐसे अवधारण के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, इस अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अनुसार उक्त परिषद् का गठन करने के लिए उपाय किए जाएंगे। 1950 का 43 1951 का 43

4. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में,— 1950 के अधिनियम 43 की तृतीय और चतुर्थ अनुसूची का संशोधन।

(क) तृतीय अनुसूची में, कर्नाटक से संबंधित प्रविष्टि सं॰ 6 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"7. तमिलनाडु 78 26 7 7 26 12";

(ख) चतुर्थ अनुसूची में, ''कर्नाटक'' शीर्षक और उसके अधीन प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''**तमिलनाडु**

1. संविधान के अनुच्छेद 243थ में यथानिर्दिष्ट नगरपालिकाएं।
2. पंचायत संघ परिषदें।
3. छावनी बोर्ड।
4. तमिलनाडु पंचायत अधिनियम, 1994 में निर्दिष्ट जिला पंचायतें।''।

1994 का तमिलनाडु अधिनियम 21

1951 के अधिनियम 43 की धारा 15क का संशोधन।

5. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 15क में, ''आंध्र प्रदेश की विधान परिषद् के गठन'' शब्दों के पश्चात् ''और तमिलनाडु विधान परिषद् अधिनियम, 2010 के अधीन तमिलनाडु राज्य की विधान परिषद् के गठन'' शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे।

बागान श्रम (संशोधन) अधिनियम, 2010

(2010 का अधिनियम संख्यांक 17)

[18 मई, 2010]

बागान श्रम अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बागान श्रम (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे तथा इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का, किसी राज्य के संबंध में, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है।

1951 का 69

धारा 2 का संशोधन।

2. बागान श्रम अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(क) खंड (ङ) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ''वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका उस बागान के कार्यकलापों पर अंतिम नियंत्रण है'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) किसी कंपनी, फर्म या अन्य व्यष्टि संगम, चाहे निगमित हो अथवा नहीं, के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी बागान की दशा में, प्रत्येक निदेशक, भागीदार या व्यष्टि ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी बागान की दशा में, बागान के कार्यकलापों का प्रबंध करने के लिए नियुक्त व्यक्ति ; और

(iii) किसी पट्टेदार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी बागान की दशा में, पट्टेदार ;';

(ख) खंड (ङङ) में, ''और जहां कि कर्मकार नर है वहां इसके अंतर्गत उस पर आश्रित उसके माता-पिता आते हैं'' शब्दों के स्थान पर, ''और इसके अंतर्गत उस पर आश्रित उसके माता-पिता और विधवा बहन भी हैं'' शब्द रखे जाएंगे;

(ग) खंड (ट) में,—

(i) प्रारंभिक भाग में, ''इनाम पर नियोजित है'' शब्दों के पश्चात्, ''और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो एक वर्ष में साठ दिन से अधिक के लिए ठेके पर नियोजित है'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपखंड (ii) में, ''सात सौ पचास रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''दस हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपखंड (iii) में, ''प्रबंधकीय हैसियत में नियोजित कोई व्यक्ति, भले ही उसकी मासिक मजदूरी सात सौ पचास रुपए से अधिक न हो'' शब्दों के स्थान पर, ''प्रबंधकीय या

प्रशासनिक हैसियत में नियोजित कोई व्यक्ति, भले ही उसकी मासिक मजदूरी दस हजार रुपए से अधिक न हो'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 7 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के खंड (ख) में, ''और बालक नियोजित हैं या नियोजित होने वाले हैं'' शब्दों के स्थान पर, ''नियोजित हैं'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 10 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) में, ''मुख्य निरीक्षक'' शब्दों के स्थान पर ''मुख्य निरीक्षक द्वारा किए गए अनुरोध पर राज्य सरकार'' शब्द रखे जाएंगे।

नए अध्याय 4क का अंतःस्थापन।

5. मूल अधिनियम के अध्याय 4 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''अध्याय 4क

सुरक्षा के बारे में उपबंध

सुरक्षा।

18क. (1) प्रत्येक बागान में नियोजक द्वारा कीटनाशियों, रसायनों और विषैले पदार्थों के उपयोग, उनकी उठाई-धराई, भंडारण और परिवहन के संबंध में कर्मकारों की सुरक्षा का उपबंध करने के लिए प्रभावी इंतजाम किए जाएंगे।

(2) राज्य सरकार परिसंकटमय रसायनों का उपयोग करने या उनकी उठाई-धराई में स्त्रियों या कुमारों के नियोजन को प्रतिषिद्ध या निर्बंधित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(3) नियोजक अपने बागान में कीटनाशियों, रसायनों और विषैले पदार्थों के उपयोग, उनकी उठाई-धराई, भंडारण और परिवहन का पर्यवेक्षण करने के लिए विहित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करेगा।

(4) प्रत्येक नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि कीटनाशियों, रसायनों और विषैले पदार्थों की उठाई-धराई, मिश्रण, संम्मिश्रण और उपयोजन के लिए बागान में नियोजित प्रत्येक कर्मकार ऐसी विभिन्न संक्रियाओं, जिनमें उसे लगाया गया है, में अन्तर्वलित परिसंकटों, ऐसे कीटनाशियों, रसायनों और विषैले पदार्थों के बिखरने से उत्पन्न होने वाली आपात स्थितियों में अपनाए जाने वाले विभिन्न सुरक्षा उपायों तथा सुरक्षित कार्य पद्धतियों और ऐसे अन्य विषयों, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, के बारे में प्रशिक्षित है।

(5) ऐसे प्रत्येक कर्मकार की, जो कीटनाशियों, रसायनों और विषैले पदार्थों के सम्पर्क में रहता है, कालिक रूप से ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, चिकित्सीय जांच कराई जाएगी।

(6) प्रत्येक नियोजक, ऐसे प्रत्येक कर्मकार के स्वास्थ्य का अभिलेख रखेगा, जो ऐसे कीटनाशियों, रसायनों और विषैले पदार्थों के सम्पर्क में रहता है, जिनका बागान में उपयोग किया जाता है, उठाई-धराई की जाती है, जिनका भंडारण या परिवहन किया जाता है और ऐसे प्रत्येक कर्मकार की ऐसे अभिलेख तक पहुंच होगी।

(7) प्रत्येक नियोजक कीटनाशियों, रसायनों या विषैले पदार्थों की उठाई-धराई में नियोजित प्रत्येक कर्मकार को—

(क) धोने, नहाने और क्लॉक रूम की सुविधाएं; और

(ख) संरचनात्मक वस्त्र और उपस्कर,

ऐसी रीति में प्रदान करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

(8) प्रत्येक नियोजक बागान में ऐसे कीटनाशियों, रसायनों और विषैले पदार्थों की उठाई-धराई और उपयोजन में लगे कर्मकारों के श्वास लेने के क्षेत्र में कीटनाशियों, रसायनों और विषैले पदार्थों के अनुज्ञेय सांद्रणों की सूची संप्रदर्शित करेगा।

(9) प्रत्येक नियोजक ऐसी पूर्वावधानी संबंधी सूचनाएं प्रदर्शित करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, जिनमें कीटनाशियों, रसायनों और विषैले पदार्थों के परिसंकटों को उपदर्शित किया जाएगा।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

18ख. (1) राज्य सरकार, इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 18क की उपधारा (2) के अधीन परिसंकटमय रसायनों की उठाई-धराई के लिए स्त्रियों और कुमारों के नियोजन पर निर्बंधन;

(ख) धारा 18क की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त पर्यवेक्षक की अर्हताएं;

(ग) धारा 18क की उपधारा (4) के अधीन कर्मकार के प्रशिक्षण के लिए विषय;

(घ) धारा 18क की उपधारा (5) के अधीन कर्मकारों की चिकित्सीय जांच;

(ङ) धारा 18क की उपधारा (7) के अधीन कीटनाशियों, रसायनों और विषैले पदार्थों की उठाई-धराई में लगे हुए कर्मकारों को दी जाने वाली सुविधाएं और उपस्कर;

(च) धारा 18क की उपधारा (9) के अधीन संप्रदर्शित की जाने वाली पूर्वावधानी संबंधी सूचनाएं।"।

धारा 19 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) में, "या बालक" शब्दों का लोप किया जाएगा।

नई धारा 24 का अंत:स्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 23 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।

"24. किसी बालक को किसी बागान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।"।

धारा 25 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 25 में,—

(क) "या बालक" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) पार्श्व शीर्ष में, "और बालकों" शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 26 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 26 में,—

(क) प्रारंभिक भाग में "किसी भी बालक से और" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (ख) में, "ऐसे बालक या" शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 27 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) में, "या तो बालक के रूप में या" शब्दों का लोप किया जाएगा।

नई धारा 32ग का अंत:स्थापन।

11. मूल अधिनियम की धारा 32ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

प्रतिकर।

1923 का 8

"32ग. नियोजक बागान में किसी कर्मकार को दुर्घटना की दशा में प्रतिकर देगा और ऐसे प्रतिकर से संबंधित ज्ञापन को नियोजक द्वारा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबंधों के अनुसार आयुक्त के पास रजिस्ट्रीकृत करवाया जाएगा।"।

धारा 33, धारा 35 और धारा 36 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 33, धारा 35 और धारा 36 में, "कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा" शब्दों

के स्थान पर जहां-जहां वे आते हैं, ''कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 34 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 34 में, ''कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा'' शब्दों के स्थान पर, ''कारावास से, जो दो मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 37 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 37 में, ''कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा'' शब्दों के स्थान पर, ''कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 39 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन।

15. मूल अधिनियम की धारा 39 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:-

अपराधों का संज्ञान।

''39. कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, किसी कर्मकार या ऐसे व्यवसाय संघ के जिसका ऐसा कर्मकार सदस्य है, किसी पदधारी या किसी निरीक्षक द्वारा किए गए परिवाद पर करने के सिवाय न करेगा और महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

39क. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।''।

धारा 43 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।''।

कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2010

(2010 का अधिनियम संख्यांक 18)

[24मई, 2010]

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) धारा 18, 3 जुलाई, 2008 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

1948 का 34

धारा 1 का संशोधन।

2. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (5) में, ''छह मास'' शब्दों के स्थान पर, ''एक मास'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 2 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(अ) खंड (6क) में,—

(क) उपखंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(i) विधवा, धर्मज या दत्तक पुत्र, जिसने पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, अविवाहिता धर्मज या दत्तक पुत्री;'';

(ख) उपखंड (ii) में, ''अठारह वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''पच्चीस वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे;

(आ) खंड (9) में, ''या स्थापन के स्थायी आदेशों के अधीन रखा गया शिक्षु नहीं है'' शब्दों के स्थान पर ''रखा गया शिक्षु नहीं है और इसके अंतर्गत शिक्षु के रूप में लगा हुआ ऐसा व्यक्ति भी है, जिसकी प्रशिक्षण अवधि किसी समय काल तक विस्तारित की गई है'' शब्द रखे जाएंगे;

(इ) खंड (11) में, उपखंड (v) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

''(v) आश्रित माता-पिता जिनकी सभी स्रोतों से आय ऐसी आय से अधिक नहीं होती है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए;

(vi) यदि बीमाकृत व्यक्ति अविवाहित है और उसके माता-पिता जीवित नहीं हैं तो बीमाकृत व्यक्ति के उपार्जनों पर पूर्ण रूप से आश्रित अवयस्क भाई या बहिन;'';

(ई) खंड (12) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(12) ''कारखाना'' से ऐसा कोई परिसर अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत उसकी ऐसी प्रसीमाएं भी हैं, जिसमें दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी भी दिन नियोजित थे और जिसके किसी भाग में कोई विनिर्माण प्रक्रिया की जा रही है या मामूली तौर से इस प्रकार की जाती है किन्तु इसके अंतर्गत कोई खान, जो खान अधिनियम, 1952 के प्रवर्तन के अधीन है, या रेल इंजन शेड नहीं है;'।

1952 का 35

धारा 10 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) में खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक, पदेन, अध्यक्ष;

(ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, पदेन, सह-अध्यक्ष;"।

धारा 12 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) जैसे ही, धारा 4 के खंड (झ) में निर्दिष्ट व्यक्ति, मंत्री या लोक सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या राज्य सभा का उपसभापति बन जाता है अथवा जब वह संसद् का सदस्य नहीं रहता है, सदस्य नहीं रहेगा।"।

धारा 17 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (क) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि यह उपधारा विभिन्न क्षेत्रों में संविदा के आधार पर नियुक्त परामर्शियों और विशेषज्ञों की नियुक्ति को लागू नहीं होगी।"।

धारा 37 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 37 में "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "तीन वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 45 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 45 में,—

(क) "निरीक्षक" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "सामाजिक सुरक्षा अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(4) निगम द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अधिकारी किसी सामाजिक सुरक्षा अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण की शुद्धता और क्वालिटी का सत्यापन करने के प्रयोजन के लिए धारा 44 के अधीन प्रस्तुत किए गए अभिलेखों और विवरणियों का पुन:निरीक्षण या परीक्षण निरीक्षण कर सकेगा।"।

धारा 45क का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 45क की उपधारा (1) में,—

(i) "निरीक्षक" शब्द के स्थान पर, "सामाजिक सुरक्षा अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि निगम द्वारा उस तारीख से जिसको अभिदाय शोध्य हो जाएगा, पांच वर्ष से परे की अवधि की बाबत ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।"।

नई धारा 45कक का अंत:स्थापन।

10. मूल अधिनियम की धारा 45क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अपील प्राधिकारी।

"45कक. यदि कोई नियोजक धारा 45क में निर्दिष्ट आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर इस प्रकार आदेशित अभिदाय का या अपने स्वयं के परिकलन के अनुसार अभिदाय का, इनमें से जो भी अधिक हो, पच्चीस प्रतिशत निगम के पास जमा करने के पश्चात्, विनियमों द्वारा यथा उपबंधित अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा:

परंतु यदि नियोजक अंतिम रूप से अपील में सफल हो जाता है तो निगम ऐसे जमा को नियोजक को ऐसे ब्याज के साथ वापस करेगा जो विनियम में विनिर्दिष्ट किया जाए।"।

धारा 51क और धारा 51ख का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 51क और धारा 51ख में, "बीमाकृत व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर, "कर्मचारी" शब्द रखा जाएगा।

12. मूल अधिनियम की धारा 51ग और धारा 51घ में, ''बीमाकृत व्यक्ति'' शब्दों के स्थान पर, ''कर्मचारी'' शब्द रखा जाएगा।

धारा 51ग और धारा 51घ का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 51घ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

नई धारा 51ङ का अंत:स्थापन।

''51ङ. किसी कर्मचारी के साथ, कर्तव्य के लिए उसके निवास से नियोजन के स्थान तक आते समय या कर्तव्य पालन करने के पश्चात् नियोजन के स्थान से उसके निवास तक जाते समय होने वाली किसी दुर्घटना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह नियोजन के अनुक्रम में हुई है यदि उन परिस्थितियों, समय और स्थान, जिन पर दुर्घटना हुई है और नियोजन के बीच संबंध स्थापित हो जाता है।''।

काम के स्थान पर आते समय और वापस जाते समय होने वाली दुर्घटनाएं।

14. मूल अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (3) में, तीसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

धारा 56 का संशोधन।

''परंतु यह भी कि कोई ऐसा बीमाकृत व्यक्ति जिसने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर ली है, ऐसा कोई व्यक्ति जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन सेवानिवृत्त हो जाता है या समयपूर्व सेवानिवृत्ति ले लेता है और उसकी पत्नी या उसका पति अभिदाय के संदाय और ऐसी अन्य शर्तों के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, अधीन रहते हुए, चिकित्सा-प्रसुविधाएं प्राप्त करने के पात्र होंगे।''।

15. मूल अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

धारा 58 का संशोधन।

''(5) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन निगम के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, बीमारी, प्रसूति और नियोजन क्षति की दशा में कर्मचारियों के लिए कतिपय फायदों का उपबंध करने के लिए ऐसे संगठन (चाहे जिस नाम से ज्ञात) की स्थापना कर सकेगी:

परंतु अधिनियम में राज्य सरकार के प्रति किसी निर्देश में, जब कभी ऐसा संगठन राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है, उस संगठन के प्रति निर्देश भी सम्मिलित होगा।

(6) उपधारा (5) में निर्दिष्ट संगठन की संरचना ऐसी होगी और वह ऐसे कृत्यों का निर्वहन, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे क्रियाकलाप करेगा, जो विहित किए जाएं।''।

16. मूल अधिनियम की धारा 59 में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

धारा 59 का संशोधन।

''(3) निगम बीमाकृत व्यक्तियों को और जहां ऐसी चिकित्सा प्रसुविधा उनके कुटुंबों के लिए भी विस्तारित की गई है, वहां उनके कुटुंबों के लिए चिकित्सीय उपचार और परिचर्या का उपबंध किए जाने के बारे में तृतीय पक्ष की भागीदारी के माध्यम से कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों को कमीशन करने और उन्हें चलाने के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय निकाय या प्राइवेट निकाय के साथ समझौता भी कर सकेगा।''।

17. मूल अधिनियम की धारा 59क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

नई धारा 59ख का अंत:स्थापन।

''59ख. निगम, कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अधीन प्रदान की जा रही सेवाओं की क्वालिटी में सुधार करने की दृष्टि से अपने पराचिकित्सीय कर्मचारिवृंद और अन्य कर्मचारियों के लिए चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय तथा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर सकेगा।''।

चिकित्सीय और पराचिकित्सीय शिक्षा।

18. अध्याय 5क के स्थान पर निम्नलिखित नया अध्याय रखा जाएगा, अर्थात्:—

अध्याय 5क के स्थान पर नए अध्याय का प्रतिस्थापन।

'अध्याय 5क

अन्य हिताधिकारियों के लिए स्कीम

परिभाषाएं।

73क. इस अध्याय में,—

(क) "अन्य हिताधिकारियों" से इस अधिनियम के अधीन बीमाकृत व्यक्तियों से भिन्न व्यक्ति अभिप्रेत हैं;

(ख) "स्कीम" से केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य हिताधिकारियों के संबंध में चिकित्सा सुविधा के लिए धारा 73ख के अधीन समय-समय पर विरचित की गई कोई स्कीम अभिप्रेत है;

(ग) "अल्प उपयोगित अस्पताल" से ऐसा अस्पताल अभिप्रेत है जिसका इस अधिनियम के अधीन बीमाकृत व्यक्तियों द्वारा पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जाता है;

(घ) "उपयोक्ता प्रभार" से वह रकम अभिप्रेत है जो ऐसी चिकित्सा सुविधाओं के लिए, जो समय-समय पर निगम द्वारा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से अधिसूचित की जाएं, अन्य हिताधिकारियों से प्रभारित की जानी है।

स्कीम विरचित करने की शक्ति।

73ख. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अन्य हिताधिकारियों और उनके कुटुंब के सदस्यों के लिए किसी क्षेत्र में निगम द्वारा स्थापित ऐसे किसी अस्पताल में, जो अल्प उपयोगिता वाला है, उपयोक्ता प्रभारों के संदाय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्कीम विरचित कर सकेगी ।

उपयोक्ता प्रभारों का संग्रहण।

73ग. अन्य हिताधिकारियों से संगृहीत उपयोक्ता प्रभार अभिदाय समझे जाएंगे और कर्मचारी राज्य बीमा निधि का भाग होंगे।

अन्य हिताधिकारियों के लिए स्कीम।

73घ. स्कीम निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेगी, अर्थात्:—

(i) ऐसे अन्य हिताधिकारी जो इस स्कीम के अंतर्गत आते हों;

(ii) वह समय और रीति जिसमें अन्य हिताधिकारियों द्वारा चिकित्सा-सुविधाएं प्राप्त की जा सकेंगी;

(iii) वह प्ररूप जिसमें अन्य हिताधिकारी स्वयं के बारे में और अपने कुटुम्ब के बारे में ऐसी विशिष्टियां, जब भी अपेक्षित हों, देंगे जो निगम द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं;

(iv) कोई अन्य विषय जिसके लिए स्कीम में उपबंध किया जाना है या जो स्कीम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक या उचित हो।

स्कीम का संशोधन करने की शक्ति।

73ङ. केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, स्कीम में जोड़ सकेगी, संशोधन, परिवर्तन कर सकेगी या उसे विखंडित कर सकेगी।

इस अध्याय के अधीन विरचित स्कीम का रखा जाना।

73च. इस अध्याय के अधीन विरचित की गई प्रत्येक स्कीम, विरचित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस स्कीम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो, तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह स्कीम नहीं बनाई जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह स्कीम निष्प्रभाव हो जाएगी। तथापि, स्कीम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।'।

विधिमान्यकरण।

19. 3 जुलाई, 2008 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली और कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रारंभ की तारीख से ठीक पूर्व समाप्त होने वाली अवधि के दौरान की गई या किए जाने से लोप की गई सभी बातें और सभी कार्रवाइयां या किए गए या न किए गए सभी उपाय, जहां तक वे कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के

अनुरूप है, कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन इस प्रकार की गई या लोप की गई या किए गए या न किए गए समझे जाएंगे मानो ऐसे उपबंध उस समय प्रवर्तन में थे जब उक्त अवधि के दौरान ऐसी बातें और कार्रवाइयां की गई थीं या जिनका किए जाने से लोप किया गया था या ऐसे उपाए किए गए थे या नहीं किए गए थे।

धारा 87 का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 87 के अंत में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"परंतु ऐसी छूटें केवल तभी दी जा सकेंगी जब ऐसे कारखानों या स्थापनों में कर्मचारी इस अधिनियम के अधीन दी जाने वाली प्रसुविधाओं के सारभूत रूप से समान या उससे अच्छी प्रसुविधाएं अन्यथा प्राप्त कर रहे हैं:

परंतु यह और कि नवीकरण के लिए आवेदन छूट की अवधि की समाप्ति की तारीख से तीन मास पूर्व किया जाएगा और उस पर विनिश्चय समुचित सरकार द्वारा ऐसे आवेदन की प्राप्ति के दो मास के भीतर किया जाएगा।"।

धारा 91क का संशोधन।

21. मूल अधिनियम की धारा 91क में "या तो भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से" शब्दों के स्थान पर, "भविष्यलक्षी रूप से" शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 91कक का अंत:स्थापन।

22. मूल अधिनियम की धारा 91क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

केन्द्रीय सरकार का समुचित सरकार होना।

"91कक. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे राज्यों में जिनमें चिकित्सा प्रसुविधा निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, अवस्थित स्थापनों की बाबत केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार होगी।"।

धारा 95 का संशोधन।

23. मूल अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ङच) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ङचच) आश्रित माता-पिता की सभी स्रोतों से आय;";

(ii) खंड (ङच) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ङजज) वे शर्तें जिनके अधीन बीमाकृत व्यक्ति और ऐसे बीमाकृत व्यक्ति के, जिसने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर ली है, पति या पत्नी को ऐसे व्यक्ति को जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन सेवानिवृत्त होता है और ऐसे व्यक्ति को जो समयपूर्व सेवानिवृत्ति लेता है, चिकित्सा प्रसुविधाएं संदेय होंगी।"।

धारा 96 का संशोधन।

24. मूल अधिनियम की धारा 96 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ङङ) संगठन की स्थापना के लिए, संगठनात्मक संरचना, कृत्य, शक्तियां, क्रियाकलाप और अन्य विषय;"।

धारा 97 का संशोधन।

25. मूल अधिनियम की धारा 97 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (xx) में, "निरीक्षकों" शब्द के स्थान पर, "सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (xx) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(xxक) अपील प्राधिकारी का गठन और निगम के पास नियोजक द्वारा जमा की गई रकम पर ब्याज।"।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010

पर्यावरणीय संरक्षा और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के जिनके अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित किसी विधिक अधिकार का प्रवर्तन और व्यक्तियों और संपत्ति को नुकसानियों के लिए अनुतोष और प्रतिकर देना भी है, प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

और भारत जून, 1972 में स्टाकहॉम में हुए मानव पर्यावरण से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में लिए गए विनिश्चयों का एक पक्षकार है, जिसके द्वारा राज्यों से मानव पर्यावरण की संरक्षा और उन्नयन के लिए समुचित कदम उठाने हेतु कहा गया था;

और जून, 1992 में रियो डे जेनेरो में हुए पर्यावरण और विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विनिश्चय लिए गए थे, जिसमें भारत ने भाग लिया था, और जिसके द्वारा राज्यों से न्यायिक और प्रशासनिक कार्यवाहियों में प्रभावी पहुंच प्रदान करने के लिए, जिनके अंतर्गत प्रतितोष और उपचार भी है तथा प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय नुकसान से पीड़ित व्यक्तियों के लिए दायित्व और प्रतिकर से संबंधित राष्ट्रीय विधियों का विकास करने के लिए कहा गया था;

और भारत में एक न्यायिक निर्णय में स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन के अधिकार के एक भाग के रूप में लगाया गया है;

और पूर्वोक्त सम्मेलनों में लिए गए विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए और पर्यावरण से संबंधित बहु प्रकार के विवाद्यकों के अंतर्वलित होने को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय हरित अधिकरण का होना समीचीन समझा गया है;

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "दुर्घटना" से ऐसी घटना अभिप्रेत है जिसमें किसी परिसंकटमय पदार्थ या उपस्कर या संयंत्र या यान को संभालते समय कोई आकस्मिक या अचानक या अनाशयित घटना अंतर्वलित है जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु का निरंतर या आंतरायिक या बार-बार भय बना रहता है या किसी संपत्ति या पर्यावरण को किसी नुकसान का भय बना रहता है किन्तु इसके अंतर्गत केवल युद्ध या सिविल उपद्रव के कारण कोई दुर्घटना नहीं आती है;

(ख) "अध्यक्ष" से राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) ''पर्यावरण'' के अंतर्गत जल, वायु और भूमि तथा ऐसा पारस्परिक संबंध अभिप्रेत है जो जल, वायु और भूमि तथा मनुष्यों, अन्य जीवित प्राणियों, पेड़-पौधों, सूक्ष्म जीव और गुण के बीच विद्यमान होता है;

(घ) ''विशेषज्ञ सदस्य'' से अधिकरण का ऐसा सदस्य अभिप्रेत है जो उस रूप में नियुक्त किया गया है और धारा 5 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अर्हताएं रखता है और न्यायिक सदस्य नहीं है;

(ङ) किसी परिसंकटमय पदार्थ के संबंध में ''संभालना'' से ऐसे परिसंकटमय पदार्थ या उसी तरह के किसी पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, उपचार, पैकेज, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रहण, नाशन, संपरिवर्तन, विक्रय के लिए प्रस्थापना और अंतरण अभिप्रेत है;

(च) ''परिसंकटमय पदार्थ'' से ऐसा कोई पदार्थ या निर्मिति अभिप्रेत है जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में परिसंकटमय पदार्थ के रूप में परिभाषित है और ऐसी मात्रा से अधिक है जो लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट है या विनिर्दिष्ट की जाए;

1986 का 29
1991 का 6

(छ) ''क्षति'' के अंतर्गत किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप स्थायी, आंशिक या पूर्ण निःशक्तता या रुग्णता भी है;

(ज) ''न्यायिक सदस्य'' से अधिकरण का ऐसा सदस्य अभिप्रेत है जो धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन उस रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है;

(झ) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ञ) ''व्यक्ति'' के अंतर्गत निम्नलिखित हैं:—

(i) व्यष्टि,

(ii) हिन्दू अविभक्त कुटुंब,

(iii) कंपनी,

(iv) फर्म,

(v) व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे निगमित हो अथवा नहीं,

(vi) किसी न्यास का न्यासी,

(vii) कोई स्थानीय प्राधिकारी, और

(viii) प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति जो पूर्ववर्ती उपखंडों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता;

(ट) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ठ) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची 1, अनुसूची 2 और अनुसूची 3 अभिप्रेत है;

(ड) ''पर्यावरण से संबंधित सारवान प्रश्न'' के अंतर्गत ऐसा वाद भी है जिसमें—

(i) किसी व्यक्ति द्वारा किसी विनिर्दिष्ट कानूनी पर्यावरणीय बाध्यता का प्रत्यक्ष

उल्लंघन है जिसके द्वारा,—

(अ) किसी व्यष्टि या व्यष्टि समूह से भिन्न बृहत समुदाय पर्यावरणीय परिणामों से प्रभावित होता है या उसके प्रभावित होने की संभावना है; या

(आ) पर्यावरण या संपत्ति को नुकसान की गंभीरता सारवान् है; या

(इ) लोक स्वास्थ्य का नुकसान मोटे तौर पर नापने योग्य है;

(ii) पर्यावरणीय परिणाम प्रदूषण के विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप या मुख्य स्रोत से संबंधित हैं;

(ढ) ''अधिकरण'' से धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण अभिप्रेत है;

1923 का 8

(ण)''कर्मकार'' का वही अर्थ है जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में है।

1974 का 6
1977 का 36
1980 का 69
1981 का 14
1986 का 29
1991 का 6
2003 का 18

(2) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 और जैव विविधता अधिनियम, 2002 तथा पर्यावरण से संबंधित अन्य अधिनियमों में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो क्रमश: उनके उन अधिनियमों में हैं।

अध्याय 2

अधिकरण की स्थापना

अधिकरण की स्थापना।

3. केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा,उसमें विनिर्दिष्ट तारीख से राष्ट्रीय हरित अधिकरण नामक एक अधिकरण की स्थापना करेगी जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन ऐसे अधिकरण को प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा।

अधिकरण की संरचना।

4. (1) अधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(क) एक पूर्णकालिक अध्यक्ष;

(ख) दस से अन्यून किन्तु अधिकतम बीस के अधीन रहते हुए पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे;

(ग) दस से अन्यून किन्तु अधिकतम बीस के अधीन रहते हुए पूर्णकालिक विशेषज्ञ सदस्य जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, अधिसूचित करे।

(2) अधिकरण का अध्यक्ष, यदि आवश्यक समझे, किसी विशिष्ट मामले में अधिकरण की सहायता करने के लिए ऐसे एक या अधिक व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेगा जिनके पास अधिकरण के समक्ष उस मामले में विशेषज्ञतायुक्त ज्ञान और अनुभव हो।

(3) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, अधिकरण के अधिविष्ठ होने के सामान्य स्थान या स्थानों और अधिविष्ठ होने के प्रत्येक ऐसे स्थान के अंतर्गत आने वाली क्षेत्रीय अधिकारिता को विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(4) केन्द्रीय सरकार अधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से, अधिकरण की पद्धतियों और प्रक्रिया को सामान्य रूप से विनियमित करने वाले नियम, बना सकेगी जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

(क) ऐसे व्यक्तियों के बारे में नियम जो अधिकरण के समक्ष उपसंजात होने के लिए हकदार होंगे;

(ख) आवेदनों और अपीलों तथा आवेदनों और अपीलों से संबंधित विषयों की सुनवाई की प्रक्रिया के बारे में नियम [जिसके अंतर्गत उपधारा (3) में निर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर आने वाले उसके अधिविष्ठ होने के सामान्य स्थान से भिन्न किसी स्थान पर सुनवाई के लिए सर्किट प्रक्रिया भी है];

(ग) ऐसे सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो आवेदनों और अपीलों के किसी वर्ग या वर्गों से संबंधित आवेदनों और अपीलों की सुनवाई करेंगे:

परंतु किसी आवेदन या अपील की सुनवाई में विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या ऐसे आवेदन या अपील की सुनवाई करने वाले न्यायिक सदस्यों की संख्या के बराबर होगी;

(घ) अध्यक्ष द्वारा अधिविष्ठ होने के एक स्थान से (जिसके अंतर्गत अधिविष्ठ होने का सामान्य स्थान भी है) अधिविष्ठ होने के अन्य स्थान को मामलों के अंतरण से संबंधित नियम।

अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हताएं।

5. (1) कोई व्यक्ति अधिकरण के अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है:

परंतु ऐसा व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित होगा।

(2) कोई व्यक्ति विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब उसके पास,—

(क) डाक्टरेट उपाधि के साथ भौतिक विज्ञान या प्राण विज्ञान में मास्टर ऑफ साइंस या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नालाजी में डिग्री और सुसंगत क्षेत्र में पंद्रह वर्ष का अनुभव हो जिसके अंतर्गत किसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की संस्था में पर्यावरण और वन के क्षेत्र में (जिसके अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण, परिसंकटमय पदार्थ प्रबंधन, पर्यावरण समाघात निर्धारण, जलवायु परिवर्तन प्रबंधन और जैव विविधता प्रबंधन और वन संरक्षण भी हैं,) पांच वर्ष का अनुभव भी हो; या

(ख) केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार में या किसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय या राज्य स्तर की संस्था में पर्यावरण संबंधी विषयों में पांच वर्ष के अनुभव सहित पंद्रह वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो।

(3) अधिकरण का अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य उस रूप में अपनी पदावधि के दौरान कोई अन्य पद धारण नहीं करेंगे।

(4) अध्यक्ष और अन्य न्यायिक तथा विशेषज्ञ सदस्य, उस तारीख से जिसको वे पद पर नहीं रहते हैं, दो वर्ष की अवधि के लिए ऐसे किसी व्यक्ति के प्रबंध या प्रशासन में या उसके संबंध में कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे जो इस अधिनियम के अधीन अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही के पक्षकार रहा है:

परंतु इस धारा की कोई बात केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के अधीन या किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी कानूनी प्राधिकारी या किसी निगम में या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी में किसी नियोजन को लागू नहीं होगी।

1956 का 1

अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य की नियुक्ति।

6. (1) धारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अधिकरण के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्यों और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।

(2) अध्यक्ष की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से की जाएगी।

(3) अधिकरण के न्यायिक सदस्यों और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति ऐसी चयन समिति की सिफ़ारिशों पर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, की जाएगी।

अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य की पदावधि और उनकी सेवा की अन्य शर्तें।

7. अधिकरण का अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य उस तारीख से जिसको वे अपना पदभार ग्रहण करते हैं, पांच वर्ष की पदावधि के लिए उस रूप में पद धारण करेंगे किन्तु वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे:

परंतु यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, अधिकरण के अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है तो वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा:

परंतु यह और कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है, अधिकरण के अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है तो वह सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा:

परंतु यह भी कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, अधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है तो वह सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा:

परंतु यह भी कि कोई विशेषज्ञ सदस्य, उसके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

पदत्याग।

8. अधिकरण का अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य, केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा, अपने पद त्याग सकेंगे।

वेतन भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें।

9. अधिकरण के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें (पेंशन, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति फायदों सहित) वे होंगी जो विहित की जाएं:

परंतु अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य के न तो वेतन और भत्तों में और न उनकी सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में, उनकी नियुक्ति के पश्चात्, उनके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य का पद से हटाया जाना और उनका निलंबन।

10. (1) केन्द्रीय सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, अधिकरण के ऐसे अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य को पद से हटा सकेगी,—

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) जिसे ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ग) जो शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(2) अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा की गई ऐसी जांच के पश्चात्, जिसमें ऐसे अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य को उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दे दी गई है और उन आरोपों की बाबत सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिया गया है, किए गए किसी आदेश के सिवाय उसके पद से नहीं हटाया जाएगा।

(3) केन्द्रीय सरकार ऐसे अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य को पद से उस समय तक निलंबित कर सकेगी जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जांच किए जाने का निर्देश भेजा गया है, जब तक केन्द्रीय सरकार ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट की प्राप्ति पर कोई आदेश पारित नहीं करती।

(4) केन्द्रीय सरकार, नियमों द्वारा, उपधारा (2) में निर्दिष्ट जांच की प्रक्रिया को विनियमित कर सकेगी।

(5) विशेषज्ञ सदस्य को उसके पद से उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आधारों पर और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा हटाया जा सकेगा:

परंतु विशेषज्ञ सदस्य को तभी पद से हटाया जाएगा जब उसे उस विषय में सुने जाने का अवसर प्रदान कर दिया गया हो।

कतिपय परिस्थितियों में अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या अपने कृत्यों का निर्वहन करना।

11. अधिकरण के अध्यक्ष के पद में उसकी मृत्यु, पद त्याग के कारण या अन्यथा कोई रिक्ति होने की दशा में, अधिकरण का ऐसा न्यायिक सदस्य, जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करे, अध्यक्ष के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जिसको इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए।

अधिकरण के कर्मचारिवृंद।

12. (1) केन्द्रीय सरकार अधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करने के लिए अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रवृत्ति और प्रवर्ग अवधारित करेगी।

(2) अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती अध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी जो विहित की जाए।

(3) अधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण के अधीन करेंगे।

(4) अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां।

13. अधिकरण का अध्यक्ष ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन उसमें निहित की जाएं:

परन्तु अध्यक्ष अपनी ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, अधिकरण के किसी न्यायिक सदस्य या विशेषज्ञ सदस्य या अधिकारी को इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगा कि सदस्य या ऐसा अधिकारी, ऐसी प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग करते समय, अध्यक्ष के निदेशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करता रहेगा।

अध्याय 3

अधिकरण की अधिकारिता, शक्तियां और कार्यवाहियां

अधिकरण द्वारा विवादों का हल।

14. (1) अधिकरण को, ऐसे सभी सिविल मामलों पर अधिकारिता होगी जिनमें पर्यावरण से संबंधित कोई सारभूत प्रश्न अंतर्वलित है (जिसके अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित किसी विधिक अधिकार का प्रवर्तन भी है) और ऐसा प्रश्न अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के कार्यान्वयन से उद्भूत हुआ हो।

(2) अधिकरण उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रश्नों से उद्भूत विवादों की सुनवाई करेगा और ऐसे विवादों का हल करेगा तथा उन पर आदेश पारित करेगा।

(3) इस धारा के अधीन विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए कोई आवेदन अधिकरण द्वारा तभी ग्रहण किया जाएगा जब वह उस तारीख से, जिसको ऐसे विवाद के लिए वाद हेतुक पहले उद्भूत हुआ है, छह मास की अवधि के भीतर दिया गया हो :

परंतु यदि अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक उक्त अवधि के भीतर आवेदन फाइल करने से पर्याप्त हेतुक द्वारा निवारित हुआ था, अधिकरण साठ दिन से अनधिक की और अवधि के भीतर आवेदन फाइल करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

अनुतोष, प्रतिकर और प्रत्यास्थापन।

15. (1) अधिकरण, आदेश द्वारा,—

(क) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के अधीन उद्भूत प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय नुकसान के (जिसके अंतर्गत किसी परिसंकटमय पदार्थ के हथालने के समय घटित दुर्घटना भी है) पीड़ित व्यक्तियों को अनुतोष और प्रतिकर का;

(ख) क्षतिग्रस्त संपत्ति के प्रत्यास्थापन के लिए;

(ग) ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए पर्यावरण के प्रत्यास्थापन के लिए, जिन्हें अधिकरण ठीक समझे,

उपबंध कर सकेगा।

1991 का 6

(2) उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट संपत्ति और पर्यावरण का अनुतोष और प्रतिकर तथा प्रत्यास्थापन लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के अधीन संदत्त या संदेय अनुतोष के अतिरिक्त होगा।

(3) इस धारा के अधीन किसी प्रतिकर या अनुतोष के अनुदान या संपत्ति अथवा पर्यावरण के प्रत्यास्थापन के लिए कोई आवेदन अधिकरण द्वारा तभी ग्रहण किया जाएगा जब वह ऐसे प्रतिकर या अनुतोष के लिए वाद हेतुक के पहली बार उद्भूत होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर किया जाए:

परंतु यदि अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक उक्त अवधि के भीतर आवेदन फाइल करने से पर्याप्त हेतुक द्वारा निवारित हुआ था, तो अधिकरण साठ दिन से अनधिक की और अवधि के भीतर आवेदन फाइल करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

(4) अधिकरण, लोक स्वास्थ्य, संपत्ति और पर्यावरण के नुकसान को ध्यान में रखते हुए अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पृथक् शीर्ष के अधीन संदेय प्रतिकर या अनुतोष को विभाजित कर सकेगा जिससे दावेदारों के प्रतिकर या अनुतोष का और क्षतिग्रस्त संपत्ति या पर्यावरण के सत्यापन के लिए जो वह ठीक समझे उपबंध किया जा सके।

(5) इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर या अनुतोष का प्रत्येक दावेदार अधिकरण को किसी अन्य न्यायालय या प्राधिकरण को किए गए, यथास्थिति, प्रतिकर या अनुतोष के लिए आवेदन या उसे प्राप्त अनुतोष के बारे में इत्तिला देगा।

अधिकरण को अपीली अधिकारिता का होना।

1974 का 6

16. (क) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 28 के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् किए गए किसी आदेश या विनिश्चय से;

1974 का 6

(ख) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 29 के अधीन राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् किए गए किसी आदेश से;

1974 का 6

(ग) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33क के अधीन किसी बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् जारी किए गए निदेशों से;

(घ) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 की धारा 13 के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् किए गए किसी आदेश या विनिश्चय से; 1977 का 36

(ङ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् किए गए किसी आदेश या विनिश्चय से; 1980 का 69

(च) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् किए गए किसी आदेश या विनिश्चय से; 1981 का 14

(छ) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अधीन राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् जारी किए गए किसी निदेश से, 1986 का 29

(ज) ऐसे क्षेत्र में, जिसमें कोई उद्योग, संक्रियाएं या प्रसंस्करण या उद्योगों का वर्ग, संक्रियाएं और प्रसंस्करण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन कतिपय सुरक्षापायों के अधीन रहते हुए नहीं किए जाएंगे या उनके अधीन रहते हुए किए जाएंगे, पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् किए गए किसी आदेश से; 1986 का 29

(झ) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन कोई क्रियाकलाप या संक्रिया या प्रसंस्करण करने के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने से इंकार करते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् किए गए किसी आदेश से; 1986 का 29

(ञ) जैव विविधता अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या किसी राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् फायदे में हिस्सा बटाने का कोई अवधारण या किए गए किसी आदेश से, 2003 का 18

व्यथित कोई व्यक्ति उस तारीख से जिसको कोई आदेश या विनिश्चय या निदेश या अवधारण उसे संसूचित किया जाता है तीस दिन की अवधि के भीतर अधिकरण को कोई अपील कर सकेगा:

परंतु अधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी, उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित था तो उसे साठ दिन से अनधिक की और अवधि के भीतर इस धारा के अधीन फाइल करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

कतिपय मामलों में अनुतोष या प्रतिकर का संदाय करने का दायित्व।

17. (1) जहां किसी व्यक्ति की (किसी कर्मकार से भिन्न) मृत्यु हो जाती है या क्षति हो जाती है या किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी संपत्ति या पर्यावरण का नुकसान हो जाता है या अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किसी अधिनियमिति के अधीन किसी क्रियाकलाप या संक्रिया या प्रसंस्करण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वहां उत्तरदायी व्यक्ति अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट सभी या किसी शीर्ष के अधीन ऐसी मृत्यु, क्षति या नुकसान के लिए ऐसा अनुतोष या प्रतिकर का संदाय करने का दायी होगा।

(2) यदि अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किसी अधिनियमिति के अधीन किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु, क्षति या नुकसान होता है अथवा किसी क्रियाकलाप या संक्रिया या प्रसंस्करण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उसे किसी एकल क्रियाकलाप या संक्रिया या प्रसंस्करण के कारण नहीं समझा जा सकता किन्तु वह विभिन्न ऐसे क्रियाकलापों या संक्रिया या प्रसंस्करण के संयुक्त या पारिणामिक प्रभाव है तो अधिकरण, ऐसे क्रियाकलापों, संक्रियाओं और प्रसंस्करण के लिए उत्तरदायी उन व्यक्तियों के बीच प्रतिकर के दायित्व का साम्यता के आधार पर आबंटन कर सकेगा।

(3) अधिकरण, किसी दुर्घटना के मामले में, दोष न होने का सिद्धांत लागू करेगा।

अधिकरण को आवेदन या अपील।

18. (1) अधिकरण को धारा 14 या धारा 15 के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन या धारा 16 के अधीन की गई अपील ऐसे प्ररूप में होगी और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी तथा उसके साथ ऐसे दस्तावेज और ऐसी फीस लगी होगी जो विहित की जाए।

(2) धारा 16 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अधिकरण को अनुतोष या प्रतिकर मंजूर करने या विवाद के परिनिर्धारण के लिए निम्नलिखित द्वारा कोई आवेदन किया जा सकेगा—

(क) व्यक्ति, जिसको क्षति हुई है; या

(ख) उस संपत्ति का स्वामी जिसको नुकसान कारित हुआ है; या

(ग) जहां पर्यावरणीय नुकसान के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई है, वहां मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा; या

(घ) यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अभिकर्ता या ऐसी संपत्ति का स्वामी या मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि; या

(ङ) व्यथित कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत कोई प्रतिनिधि निकाय या संगठन भी है; या

1986 का 29

(च) केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन गठित या स्थापित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या कोई प्रदूषण नियंत्रण समिति या कोई स्थानीय प्राधिकरण या कोई पर्यावरणीय प्राधिकरण:

परंतु जहां मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधि किसी ऐसे आवेदन में प्रतिकर या अनुतोष या विवाद के हल के लिए सम्मिलित नहीं हुए हैं, वहां आवेदन मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधियों की ओर से या उनके फायदे के लिए किया जाएगा और ऐसे विधिक प्रतिनिधि जो इस प्रकार सम्मिलित नहीं हुए हैं, आवेदन के प्रत्यर्थियों के रूप में पक्षकार होंगे:

परंतु यह और कि, व्यक्ति, स्वामी, विधिक प्रतिनिधि, अभिकर्ता, प्रतिनिधि निकाय या संगठन, अनुतोष या प्रतिकर को मंजूर करने के लिए या विवाद के हल के लिए कोई आवेदन करने का हकदार नहीं होगा, यदि ऐसे व्यक्ति, स्वामी, या विधिक प्रतिनिधि, अभिकर्ता, प्रतिनिधि निकाय या संगठन ने धारा 16 के अधीन कोई अपील की है।

(3) इस अधिनियम के अधीन अधिकरण के समक्ष, यथास्थिति, आवेदन या अपील का उसके द्वारा यथासंभव शीघ्रता से निपटान किया जाएगा और उसके द्वारा, यथास्थिति, आवेदन या अपील का संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् फाइल करने की तारीख से छह मास के भीतर अंतिम रूप से निपटान करने का प्रयास किया जाएगा।

अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियां।

1908 का 5

19. (1) अधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा अधिकथित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं होगा किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए अधिकरण को अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

1872 का 1

(3) अधिकरण, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में अंतर्विष्ट साक्ष्य के नियमों द्वारा भी बाध्य नहीं होगा।

1908 का 5

(4) अधिकरण को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए वही शक्तियां होंगी जो उसे निम्नलिखित विषयों की बाबत किसी वाद का विचारण करने के दौरान सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों का पता लगाने और प्रस्तुत करने की अध्यपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य स्वीकार करना;

1872 का 1

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और 124 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज या किसी कार्यालय से ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की अध्यपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन करना;

(छ) व्यतिक्रम के लिए किसी आवेदन को खारिज करना या उसका एकपक्षीय विनिश्चय करना;

(ज) व्यतिक्रम के लिए किसी आवेदन को खारिज करने के किसी आदेश या उसके द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित किसी आदेश को अपास्त करना;

(झ) इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आवेदन या फाइल की गई किसी अपील पर संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् कोई अंतरिम आदेश (जिसके अंतर्गत कोई व्यादेश या रोक मंजूर करना भी है) पारित करना;

(ञ) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किसी अधिनियमिति के किसी उल्लंघन को न करने या कारित न करने तथा उससे प्रविरत रहने के लिए किसी व्यक्ति से अपेक्षा करते हुए कोई आदेश पारित करना;

(ट) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

(5) अधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता की धारा 196 के प्रयोजनों के लिए धारा 193, धारा 219 और धारा 228 के अर्थांतर्गत न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी तथा अधिकरण को, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा। [1860 का 45] [1974 का 2]

अधिकरण द्वारा कतिपय सिद्धांत लागू करना।

20. अधिकरण, कोई आदेश या विनिश्चय या अधिनिर्णय पारित करते समय, पोषणीय विकास के सिद्धांतों, पूर्वावधानी सिद्धांत और प्रदूषक द्वारा क्षतिपूर्ति सिद्धांत लागू करेगा।

विनिश्चय का बहुमत द्वारा किया जाना।

21. सदस्यों के बहुमत द्वारा अधिकरण का विनिश्चय आबद्धकर होगा:

परंतु यदि किसी आवेदन या अपील की सुनवाई करने वाले सदस्यों के बीच राय की भिन्ता है और राय बराबर विभाजित होती है तो अध्यक्ष (यदि उसने ऐसे आवेदन या अपील की पूर्व में सुनवाई नहीं की है) ऐसे आवेदन या अपील की सुनवाई करेगा और उसका विनिश्चय करेगा:

परंतु यह और कि अध्यक्ष ने अधिकरण के अन्य सदस्यों के साथ उस आवेदन या अपील की स्वयं सुनवाई की है और यदि ऐसे मामले में सदस्यों के बीच राय की भिन्नता है और राय बराबर विभाजित होती है तो वह उस मामले को अधिकरण के अन्य सदस्य को भेजेगा, जो उस आवेदन या अपील की सुनवाई करेगा और उसका विनिश्चय करेगा।

उच्चतम न्यायालय को अपील।

22. अधिकरण के किसी अधिनिर्णय, विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अधिकरण के अधिनिर्णय, विनिश्चय या आदेश की उसको संसूचना की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक आधारों पर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल कर सकेगा: [1908 का 5]

परंतु उच्चतम न्यायालय नब्बे दिन की समाप्ति के पश्चात् किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारण से अपील करने से निवारित रहा था।

लागत।

23. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी आवेदन या किसी अपील का निपटान करते समय अधिकरण को लागत के संबंध में ऐसा आदेश करने की शक्ति होगी जो वह आवश्यक समझे।

(2) जहां अधिकरण यह अभिनिर्धारित करता है कि कोई दावा पोषणीय नहीं है या मिथ्या है या तंग करने वाला है और ऐसे दावे को पूर्णत: या भागत: अनुज्ञात किया जाता है वहां अधिकरण, यदि वह ऐसा उपयुक्त समझता है, ऐसे दावे को मिथ्या या तंग करने वाला अभिनिर्धारित करने के लिए कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् लागत का निर्णय करने का आदेश कर सकेगा जिसके अंतर्गत किसी अंतरिम व्यादेश के कारण गुम हो गए फायदे भी हैं।

पर्यावरण को नुकसान के लिए संदेय रकम का जमा किया जाना।

24. (1) जहां पर्यावरण को हुए किसी नुकसान के आधार पर अधिकरण द्वारा दिए गए किसी अधिनिर्णय या आदेश के अधीन प्रतिकर या अनुतोष के रूप में किसी रकम का संदत्त किए जाने के लिए आदेश दिया जाता है वहां उस रकम को उस धारा के अधीन स्थापित पर्यावरण अनुतोष निधि में जमा करने के लिए, लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 7क की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकरण को विप्रेषित किया जाएगा। (1991 का 6)

(2) उपधारा (1) के अधीन पर्यावरण अनुतोष निधि में जमा की गई प्रतिकर या अनुतोष की रकम का, लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों या प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में और पर्यावरण के संबंध में ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकेगा जो विहित किए जाएं। (1991 का 6)

अधिकरण के अधिनिर्णय या आदेश या विनिश्चय का निष्पादन।

25. (1) इस अधिनियम के अधीन अधिकरण के किसी अधिनिर्णय या आदेश या विनिश्चय को अधिकरण द्वारा किसी सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में निष्पादित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए अधिकरण को किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण, अपने द्वारा किए गए किसी आदेश या अधिनिर्णय को स्थानीय अधिकारिता रखने वाले किसी सिविल न्यायालय को पारेषित कर सकेगा और ऐसा सिविल न्यायालय उस आदेश या अधिनिर्णय को इस प्रकार निष्पादित करेगा मानो वह उस न्यायालय द्वारा की गई कोई डिक्री हो।

(3) जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु या क्षति के लिए अथवा किसी संपत्ति और पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, जिसके विरुद्ध अधिकरण द्वारा अधिनिर्णय या आदेश किया गया है, अधिनिर्णय या आदेश में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अधिकरण द्वारा यथानिदेशित रकम का संदाय या निक्षेप करने में असफल रहता है वहां ऐसी रकम, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध के अभियोजन के लिए शिकायत फाइल करने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपर्युक्त व्यक्ति से, भू-राजस्व या लोक मांग के बकाया के रूप में वसूलनीय होगी।

अध्याय 4

शास्ति

अधिकरण के आदेशों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति।

26. (1) जो कोई इस अधिनियम के अधीन अधिकरण के किसी आदेश या अधिनिर्णय या विनिश्चय का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी जो जुर्माने से जो दस करोड़ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से और यदि असफलता या उल्लंघन जारी रहता है, अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान, पहली ऐसी असफलता या उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसी असफलता या उल्लंघन जारी रहता है पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा:

परंतु यदि कोई कंपनी इस अधिनियम के अधीन अधिकरण के किसी आदेश या अधिनिर्णय या विनिश्चय का पालन करने में असफल रहती हैं तो ऐसी कंपनी जुर्माने से जो पच्चीस करोड़ रुपए तक का हो सकेगा और यदि असफलता या उल्लंघन जारी रहता है, अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान, पहली ऐसी असफलता या उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसी असफलता या उल्लंघन जारी रहता है एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध, उक्त संहिता के अर्थांतर्गत अंसज्ञेय अपराध समझा जाएगा। (1974 का 2)

कंपनियों द्वारा अपराध।

27. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध होने के समय, कंपनी के कारबार का संचालन करने के लिए कंपनी का प्रत्यक्ष रूप से भारसाधक था और उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे तथा कार्यवाही किए जाने के लिए दायी होंगे और तदनुसार दंडित किए जाएंगे:

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात इस अधिनियम में उपबंधित किसी अपराध के लिए ऐसे किसी व्यक्ति को दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को होने से रोकने के लिए सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ''कंपनी'' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है; और

(ख) फर्म के संबंध में ''निदेशक'' से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

सरकारी विभाग द्वारा अपराध।

28. (1) जहां कोई सरकारी विभाग इस अधिनियम के अधीन अधिकरण के किसी आदेश या अधिनिर्णय या विनिश्चय का अनुपालन करने में असफल रहता है वहां विभागाध्यक्ष ऐसी असफलता का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अपराध करने के लिए कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा:

परंतु इस धारा की कोई बात ऐसे विभागाध्यक्ष को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी सरकारी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

अधिकारिता वर्जन।

29. (1) इस अधिनियम के अधीन अधिकरण की स्थापना की तारीख से किसी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे विषय की बाबत कोई अपील ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी, जिसको अपील अधिकरण अपनी अपीली अधिकारिता के अधीन अवधारित करने के लिए सशक्त है।

(2) किसी भी सिविल न्यायालय को क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए कोई अनुतोष या प्रतिकर या क्षतिग्रस्त पर्यावरण के प्रत्यास्थापन के लिए किसी दावे से संबंधित किसी विवाद को निपटाने या किसी प्रश्न को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसका न्यायनिर्णयन अधिकरण द्वारा किया जा सकेगा और क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए कोई अनुतोष या प्रतिकर या क्षतिग्रस्त पर्यावरण के प्रत्यास्थापन के लिए ऐसे विवाद या किसी ऐसे दावे के निपटान की बाबत अधिकरण द्वारा या अधिकरण के समक्ष की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई की बाबत कोई भी व्यादेश सिविल न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा।

अपराधों का संज्ञान।

30. (1) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान—

(क) केन्द्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा; या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसने केन्द्रीय सरकार या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत प्राधिकारी या अधिकारी को अभिकथित अपराध की और परिवाद करने के अपने आशय की ऐसी रीति में जो विहित की जाए, साठ दिन से अन्यून की सूचना दे दी है, किए गए परिवाद के सिवाय नहीं लेगा।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

अधिकरण के सदस्यों और कर्मचारिवृंद का लोक सेवक होना।

31. अधिकरण का अध्यक्ष, न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। (1860 का 45)

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

32. (1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी कानूनी प्राधिकरण के कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं होगी।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन, या अन्य विधिक कार्यवाही अधिकरण के अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या विशेषज्ञ सदस्य अथवा अध्यक्ष अथवा न्यायिक सदस्य या विशेषज्ञ सदस्य द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

33. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या इस अधिनियम से अन्यथा किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

अनुसूची 1 में संशोधन करने की शक्ति।

34. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा अनुसूची 1 का पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संसद् द्वारा अधिनियमित किसी अन्य अधिनियम को उसमें सम्मिलित करके या उसमें पहले से विनिर्दिष्ट किसी अधिनियम का उसमें से लोप करके संशोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को, ऐसा अधिनियम अनुसूची 1 में, यथास्थिति, सम्मिलित किया गया या उसमें से लोप किया गया समझा जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की जाने वाली प्रत्येक अधिसूचना की प्रति, प्रारूप में संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना को जारी करने का अननुमोदन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन अधिसूचना में उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं तो अधिसूचना, यथास्थिति, जारी नहीं की जाएगी या ऐसे उपांतरित रूप में जारी की जाएगी जिन पर दोनों सदनों की सहमति हुई है।

नियम बनाने की शक्ति।

35. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) ऐसे व्यक्तियों के लिए नियम जो धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन अधिकरण के समक्ष हाजिर होने के लिए हकदार होंगे;

(ख) धारा (4) की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन आवेदनों और अपीलों तथा आवेदनों और अपीलों से संबंधित अन्य विषयों की सुनवाई की प्रक्रिया;

(ग) सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन आवेदनों के वर्ग या वर्गों और अपीलों की बाबत आवेदनों और अपीलों की सुनवाई करेंगे;

(घ) अध्यक्ष द्वारा अधिविष्ठ होने के एक स्थान (जिसमें अधिविष्ठ होने का सामान्य स्थान सम्मिलित है) से अधिविष्ठ होने के दूसरे स्थान को मामलों का अन्तरण;

(ङ) ऐसी चयन समिति और धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन अधिकरण के न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य की नियुक्ति की रीति;

(च) धारा 9 के अधीन अधिकरण के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें (जिसके अंतर्गत पेंशन, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे भी हैं);

(छ) धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन अधिकरण के अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य के विरुद्ध आरोपों की जांच की प्रक्रिया;

(ज) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती; और उस धारा की उपधारा (4) के अधीन अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;

(झ) धारा 13 के अधीन अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां;

(ञ) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन या अपील का प्ररूप, ऐसी विशिष्टियां जो उसमें अंतर्विष्ट होंगी और उसके साथ संलग्न दस्तावेज और संदेय फीस;

(ट) ऐसा कोई अन्य विषय जिसकी बाबत अधिकरण को धारा 19 की उपधारा (4) के खंड (ट) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी;

(ठ) वह रीति और वे उद्देश्य जिनके लिए धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन पर्यावरण अनुतोष निधि में जमा प्रतिकर या अनुतोष की रकम का उपयोग किया जाएगा;

(ड) धारा 29 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिवाद करने की सूचना देने की रीति;

(ढ) कोई अन्य विषय जिसका नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या जो नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए अथवा जिसकी बाबत नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन।

36. इस अधिनियम की अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का, उसमें विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा और ऐसे संशोधन अधिकरण की स्थापना की तारीख को प्रभावी होंगे।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

37. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो:

परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

1995 का 27
1997 का 22

निरसन और व्यावृत्तियां।

38. (1) राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, 1995 और राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जिसे इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम कहा गया है) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

1997 का 22

(3) राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अधीन राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना पर समाप्त हो जाएगा।

1997 का 22

(4) राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण के विघटन पर उक्त राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति और सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक अन्य व्यक्ति, जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण, अधिनियम, 2010 के अधीन राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना से ठीक पूर्व उस रूप में पद धारण कर रहे हैं, अपने-अपने पद रिक्त कर देंगे और ऐसा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक अन्य व्यक्ति अपनी पदावधि के या सेवा की किसी संविदा के समय पूर्व पर्यवसान के लिए किसी प्रतिकर का दावा करने के लिए हकदार होगा।

1997 का 22

(5) राष्ट्रीय हरित अधिकरण, 2010 के अधीन राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना पर या उससे पूर्व राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण के समक्ष लंबित सभी मामले ऐसी स्थापना पर उक्त राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अंतरित हो जाएंगे और राष्ट्रीय हरित अधिकरण ऐसे मामलों का निपटारा इस प्रकार करेगा, मानो वे मामले उस अधिनियम के अधीन फाइल किए गए थे।

(6) ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जो राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण के विघटन के ठीक पूर्व राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण के प्रतिनियुक्ति के आधर पर नियुक्त किए गए थे, ऐसे विघटन पर, यथास्थिति, अपने मूल काडर, मंत्रालय या विभाग को प्रत्यावर्तित हो जाएंगे।

(7) राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण के विघटन पर राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण के अधीन संविदा के आधार पर नियुक्त अधिकारी और अन्य कर्मचारी और जो ऐसे विघटन के ठीक पूर्व उस रूप में पद धारण किए हुए हैं, अपने पदों को रिक्त कर देंगे और ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारी अपनी पदावधि के या सेवा की संविदा के समय पूर्व पर्यवसान के लिए तीन मास का वेतन और भत्ते, या सेवा की शेष अवधि का वेतन और भत्ते इनमें से जो भी कम हो, का प्रतिकर का दावा करने के लिए हकदार होंगे।

1897 का 10

(8) उपधारा (2) से उपधारा (7) में निर्दिष्ट विशिष्ट विषयों का उल्लेख निरसन के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 को साधारण लागू करने के प्रतिकूल या उसे प्रभावी करने वाला नहीं समझा जाएगा।

अनुसूची 1

[धारा 14(1), धारा 15(1), धारा 17(1), धारा 17(2), धारा 19(4)(ञ) और धारा 33 (1) देखिए]

1. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 ।
2. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 ।
3. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 ।
4. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 ।
5. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 ।
6. लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 ।
7. जैव विविधता अधिनियम, 2002 ।

अनुसूची 2

[धारा 15(4) और धारा 17(1) देखिए]

शीर्ष जिनके अधीन नुकसान के लिए प्रतिकर या अनुतोष हेतु दावा किया जा सकता है—

(क) मृत्यु;

(ख) स्थायी, अस्थायी, पूर्ण या आंशिक निःशक्तता या अन्य क्षति या बीमारी;

(ग) पूर्ण या आंशिक निःशक्तता या स्थायी अथवा अस्थायी निःशक्तता के कारण मजदूरी की हानि;

(घ) क्षतियों या बीमारी के उपचार के लिए उपगत चिकित्सा व्यय;

(ङ) प्राइवेट संपत्ति को नुकसान;

(च) प्रभावित व्यक्तियों को अनुतोष, सहायता और पुनर्वास प्रदान करने में सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उपगत व्यय;

(छ) किसी प्रशासनिक या विधिक कार्रवाई या किसी अपहानि अथवा नुकसान की भरपाई करने में सरकार द्वारा उपगत व्यय, जिसमें पर्यावरण क्षरण और पर्यावरण की क्वालिटी के पुनर्भरण के लिए प्रतिकर सम्मिलित है;

(ज) नुकसान करने वाले किसी क्रियाकलाप से उद्भूत या उससे संबंधित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को हानि;

(झ) दुधारु और भार ढ़ोने वाले पशुओं तथ जलीय जीवों समेत जन्तुओं को होने वाली किसी क्षति, नुकसान या विनाश के मद्दे दावे;

(ञ) जलीय वनस्पति, फसलों, सब्जियों, वृक्षों और फलोद्यानों सहित वनस्पति को होने वाली किसी क्षति, नुकसान या विनाश के मद्दे दावे;

(ट) मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण तथा पारिस्थितिकी-तंत्रों के प्रदूषण सहित पर्यावरण को होने वाली किसी क्षति या नुकसान के मद्दे पुनर्भरण की लागत सहित दावे;

(ठ) प्राइवेट संपत्ति से भिन्न किसी संपत्ति की हानि और विनाश;

(ड) कारबार या नियोजन या दोनों की हानि;

(ढ) परिसंकटमय पदार्थ के हथालन के किसी क्रियाकलाप से उद्भूत या संबंधित कोई अन्य दावा।

अनुसूची 3

[धारा 35 देखिए]

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन

भाग 1

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का संशोधन

(1974 का 6)

नई धारा 33ख का अंत:स्थापन। राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील।

धारा 33क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"33ख. कोई व्यक्ति जो,—

(क) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात्, धारा 28 के अधीन किए गए अपील प्राधिकारी के किसी आदेश या विनिश्चय;

(ख) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात्, धारा 29 के अधीन राज्य सरकार द्वारा पारित किसी आदेश; या

(ग) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात्, धारा 33क के अधीन किसी बोर्ड द्वारा जारी निदेश,

से व्यथित है, वह राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण को, उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपील फाइल कर सकेगा।"।

भाग 2

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 का संशोधन

(1977 का 36)

धारा 13 का संशोधन।

1. धारा 13 की उपधारा (4) में, "अन्तिम होगा" शब्दों के स्थान पर "यदि धारा 13क के अधीन कोई अपील फाइल नहीं की गई है, अन्तिम होगा" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

नई धारा 13क का अंत:स्थापन। राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील।

2. धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"13क. कोई व्यक्ति, जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात् धारा 13 के अधीन अपील प्राधिकारी के किसी आदेश या विनिश्चय से व्यथित है, वह राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण को, उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपील फाइल कर सकेगा।"।

भाग 3

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का संशोधन

(1980 का 69)

नई धारा 2क का अंत:स्थापन। राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील।

धारा 2 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"2क. कोई व्यक्ति, जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात् धारा 2 के अधीन राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी के किसी आदेश या विनिश्चय से व्यथित है, वह राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण को, उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, अपील फाइल कर सकेगा।"।

भाग 4

1981 का 14

वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का संशोधन

(1981 का 14)

नई धारा 31ख का अंत:स्थापन।

धारा 31क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील।

"31ख. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात् धारा 31 के अधीन अपील प्राधिकारी के आदेश या विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण को, उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, अपील फाइल कर सकेगा।"।

भाग 5

1986 का 29

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का संशोधन

(1986 का 29)

नई धारा 5क का अंत:स्थापन।

धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील।

"5क. कोई व्यक्ति जो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात् धारा 5 के अधीन जारी किन्हीं निदेशों से व्यथित है, वह राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण को, उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, अपील फाइल पर सकेगा।"।

भाग 6

2003 का 18

जैव विविधता अधिनियम, 2002 का संशोधन

(2003 का 18)

धारा 52 का संशोधन।

1. धारा 52 में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि इस धारा की कोई बात राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ से ही नहीं होगी:

परन्तु यह भी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ से पूर्व उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कोई अपील, उच्च न्यायालय द्वारा उसी प्रकार सुनी जाएगी और उसका निपटान किया जाएगा, मानो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अधीन राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना नहीं की गई हो।"।

नई धारा 52क का अंत:स्थापन।

2. धारा 52 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील।

"52क. कोई व्यक्ति, जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात् राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड के किसी लाभ में हिस्सा बाटने के अवधारण या आदेश से व्यथित है, वह राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण को, उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपील फाइल कर सकेगा।"।

भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1क, संख्याक 5, खंड XXXVI, तारीख 19 नवम्बर, 2000 में प्रकाशित मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) का शुद्धिपत्र :-

पृष्ठ सं 0	प्रविष्टि	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
470	चौथी अनुसूची भाग 8- मध्य प्रदेश	3	23. खरिया	23. खड़िया
471	चौथी अनुसूची भाग 20- छत्तीसगढ़	29	22. खरिया	22. खड़िया

विनोद कुमार भसीन,
सचिव, भारत सरकार।

GMGIPMRND—5911GI(S-3)—10.01.2011.

रायपुर, दिनांक 8 मई 2012

क्र. 3813/डी. 129/21-अ/प्रा./छ.ग./12.—भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक फा. सं. 1 (2)/2010-संशो./दिनांक 26-3-2012 के अनुसरण में केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु पुन: प्रकाशित की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2011/28 माघ, 1932 (शक)

दि लीगल मीटरोलोजी ऐक्ट, 2009; (2) दि नेशनल कमीशन फॉर माइनोरिटी एजूकेशनल इंस्टिट्यूशन्स (अमेन्डमेंट) ऐक्ट, 2009; (3) दि क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) ऐक्ट, 2010; (4) दि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2010; (5) दि फॉरेन ट्रेड (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2010; (6) दि इंडियन मेडिकल काउंसिल (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2010; (7) दि माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट ऐक्ट 2010; (8) दि रिप्रेजेन्टेशन ऑफ दि पीपुल (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2010; (9) दि सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डेमेज ऐक्ट, 2010; और (10) दि ट्रेड मार्क्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2010 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे :—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, February 17, 2011/Magha 28, 1932 (Saka)

The translation in Hindi of the following, namely :— (1) The Legal Metrology Act, 2009; (2) The National Commission for Minority Education Institutions (Amendment) Act, 2010; (3) The Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010; (4) The Industrial Disputes (Amendment) Act 2010; (5) The Foreign Trade (Development and Regulation) Amendment Act , 2010; (6) The Indian Medical Council (Amendment) Act, 2010; (7) The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2010; (8) The Representation of the People (Amendment) Act, 2010; (9) The Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010; (10) The Trade Marks (Amendment) Act, 2010 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963) :—

विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009

(2010 का अधिनियम संख्यांक 1)

[13 जनवरी, 2010]

बाटों और मापों के मानक नियत करने और प्रवृत्त करने, बाटों, मापों और ऐसे अन्य मालों में, जिनका विक्रय या वितरण तोल, माप या संख्या से किया जाता है, व्यापार या वाणिज्य को विनियमित करने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

परिभाषाएं। 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियंत्रक" से धारा 14 के अधीन नियुक्त विधिक मापविज्ञान नियंत्रक अभिप्रेत है;

(ख) किसी बाट या माप के संबंध में "व्यौहारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो चाहे नकदी के लिए या आस्थगित संदाय के लिए अथवा कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए प्रत्यक्षत: या अन्यथा किसी ऐसे बाट या माप के क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण का कारबार चलाता है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई कमीशन अभिकर्ता, कोई आयातकर्ता, कोई विनिर्माता भी है, जो उसके द्वारा विनिर्मित किसी बाट या माप का व्यौहारी से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय, प्रदाय, वितरण या अन्यथा परिदान करता है;

(ग) "निदेशक" से धारा 13 के अधीन नियुक्त विधिक मापविज्ञान निदेशक अभिप्रेत है;

(घ) "निर्यात" से उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित भारत से भारत के बाहर किसी स्थान को ले जाना अभिप्रेत है;

(ङ) "आयात" से उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में लाना अभिप्रेत है;

(च) "लेबल" से कोई ऐसी लिखित, चिन्हित, स्टांपित, मुद्रित या आलेखित सामग्री अभिप्रेत है, जो किसी पैकेज-पूर्व वस्तु पर चिपकाई गई है या दिखाई देती है;

(छ) "विधिक मापविज्ञान" से मापविज्ञान का वह भाग अभिप्रेत है जो तोलने और मापने की इकाइयों, तोलने और मापने की पद्धतियों तथा तोलने और मापने के उपकरणों को, ऐसी आज्ञापक तकनीकी और विधिक अपेक्षाओं की बाबत मानता है, जिनका उद्देश्य तोलों और मापों की सुरक्षा और शुद्धता की दृष्टि से लोक गारंटी सुनिश्चित करना है;

(ज) "विधिक मापविज्ञान अधिकारी" से धारा 13 और धारा 14 के अधीन नियुक्त अपर निदेशक, अपर नियंत्रक, संयुक्त निदेशक, संयुक्त नियंत्रक, उप निदेशक, उप नियंत्रक, सहायक निदेशक, सहायक नियंत्रक और निरीक्षक अभिप्रेत है;

(झ) किसी बाट या माप के संबंध में "विनिर्माता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो,—

(i) बाट या माप का विनिर्माण करता है,

(ii) ऐसे बाट या माप के एक या अधिक भागों का विनिर्माण करता है और अन्य भागों को अर्जित करता है तथा उन भागों को जोड़ने के पश्चात् , अंतिम उत्पाद का अपने द्वारा विनिर्मित, यथास्थिति, बाट या माप के रूप में, दावा करता है,

(iii) ऐसे बाट या माप के किसी भाग का विनिर्माण नहीं करता है किंतु दूसरों द्वारा विनिर्मित उसके भागों को जोड़ता है और अंतिम उत्पाद का अपने द्वारा विनिर्मित, यथास्थिति, बाट या माप के रूप में दावा करता है,

(iv) किसी ऐसे पूर्ण बाट या माप पर, जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्मित या विनिर्मित किया गया है, अपना चिह्न लगाता है या लगवाता है और ऐसे उत्पाद का अपने या उसके द्वारा निर्मित या विनिर्मित, यथास्थिति, बाट या माप के रूप में दावा करता है;

(ञ) "अधिसूचना" से, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ट) "संरक्षण" से यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि किसी मनुष्य या पशु की भलाई की सुरक्षा के लिए अथवा किसी वस्तु, वनस्पति या चीज की या तो अलग-अलग या सामूहिक रूप से संरक्षा के लिए कोई उपाय किए जाने की आवश्यकता है, किसी बाट या माप से प्राप्त पाठ्यांक का उपयोग अभिप्रेत है;

(ठ) ''पैकेज-पूर्व वस्तु'' से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो क्रेता के उपस्थित हुए बिना किसी भी प्रकृति के पैकेज में, चाहे सीलबंद हो या नहीं, रखी गई है, जिससे उसमें अंतर्विष्ट उत्पाद की पूर्व अवधारित मात्रा रहे;

(ड) ''व्यक्ति'' के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(i) कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब,

(ii) प्रत्येक विभाग या कार्यालय,

(iii) सरकार द्वारा स्थापित या गठित प्रत्येक संगठन,

(iv) भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी,

(v) कोई कंपनी, फर्म और व्यष्टि संगम,

(vi) किसी अधिनियम के अधीन गठित न्यास,

(vii) किसी अधिनियम के अधीन गठित प्रत्येक सहकारी सोसाइटी,

1860 का 21

(viii) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक अन्य सोसाइटी;

(ढ) ''परिसर'' के अंतर्गत निम्नलिखित हैं:—

(i) ऐसा कोई स्थान, जहां कोई कारबार, उद्योग, उत्पादन या संव्यवहार किसी व्यक्ति द्वारा चाहे स्वयं या किसी अभिकर्ता के माध्यम से चलाया जाता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जो ऐसे परिसरों में कारबार चलाता है,

(ii) ऐसा कोई भांडागार, गोदाम या अन्य स्थान, जहां कोई बाट या माप या अन्य माल भंडारित या प्रदर्शित किए जाते हैं,

(iii) ऐसा कोई स्थान, जहां किसी व्यापार या संव्यवहार से संबंधित लेखाबहियां या अन्य दस्तावेज रखे जाते हैं,

(iv) कोई निवास गृह, यदि उसके किसी भाग का प्रयोग कोई कारबार, उद्योग, उत्पादन या व्यापार चलाने के प्रयोजन के लिए किया जाता है,

(v) ऐसा कोई यान या जलयान अथवा कोई अन्य चल युक्ति, जिसकी सहायता से कोई संव्यवहार या कारबार किया जाता है;

(ण) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(त) ''मरम्मतकर्ता'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी बाट या माप की मरम्मत करता है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है,जो ऐसे बाट या माप को अनुकूल बनाता है, उसकी सफाई करता है, उसका स्नेहन करता है या उस पर रंग करता है अथवा ऐसे बाट या माप की कोई अन्य सेवा प्रदान करता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसा बाट या माप इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन नियत मानकों के अनुरूप है;

(थ) किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में ''राज्य सरकार'' से उसका प्रशासक अभिप्रेत है;

(द) ''विक्रय'' से, उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित किसी बाट, माप या अन्य माल में एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को नकदी के लिए या आस्थगित संदाय के लिए या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए, संपत्ति का अंतरण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किस्तों में संदाय की भाड़ा-क्रय प्रणाली या किसी अन्य प्रणाली से किसी बाट, माप या अन्य माल का अंतरण भी है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसे बाट, माप या अन्य माल का बंधक या आडमान अथवा उस पर प्रभार या उसकी गिरवी नहीं है;

(ध) "मुद्रा" से ऐसी युक्ति या प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिससे कोई स्टाम्प बनाया जाता है और उसमें कोई तार या अन्य उपसाधन सम्मिलित है, जिसका प्रयोग किसी स्टाम्प की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है;

(न) "स्टाम्प" से ऐसा चिह्न अभिप्रेत है जो छापने, ढालने, उत्कीर्णन, निक्षारण, दाहांकन, पूर्व प्रतिबलित कागज मुद्रा के अंकन या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा किसी बाट या माप के संबंध में निम्नलिखित उद्देश्य से बनाया जाता है—

(i) यह प्रमाणित करने के लिए कि ऐसा बाट या माप इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप है, या

(ii) यह उपदर्शित करने के लिए कि कोई चिह्न जो पहले यह प्रमाणित करने के लिए उस पर लगाया गया था कि ऐसा बाट या माप इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप है, मिटा दिया गया है;

(प) "संव्यवहार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) कोई संविदा, चाहे वह विक्रय, क्रय, विनिमय या किसी अन्य प्रयोजन के लिए है, या

(ii) स्वामिस्व, चुंगी, शुल्क या अन्य देयों का कोई निर्धारण, या

(iii) किसी किए गए कार्य, देय मजदूरी या दी गई सेवाओं का निर्धारण;

(फ) "सत्यापन" के अंतर्गत उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित किसी बाट या माप के संबंध में, ऐसे बाट या माप की तुलना, जांच, परख करने या अनुकूलन की ऐसी प्रक्रिया भी है जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि ऐसा बाट या माप इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन नियत मानकों के अनुरूप है तथा इसके अंतर्गत पुनःसत्यापन और अंशांकन भी हैं;

(ब) "बाट या माप" से इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट बाट या माप अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत तोलने या मापने का उपकरण है।

इस अधिनियम के उपबंधों का किसी अन्य विधि के उपबंधों पर अध्यारोही प्रभाव होना।

3. इस अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति में अथवा इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

अध्याय 2

मानक बाट और माप

बाटों और मापों की इकाइयों का मीटरी प्रणाली पर आधारित होना।

4. बाट या माप की प्रत्येक इकाई, इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली पर आधारित मीटरी प्रणाली के अनुसार होगी।

बाटों और मापों की आधार इकाई।

5. (1) (i) लंबाई की मीटर;

(ii) द्रव्यमान की किलोग्राम;

(iii) समय की सेकिंड;

(iv) विद्युत धारा की एम्पियर;

(v) उष्मागतिक तापमान की केल्विन;

(vi) ज्योति तीव्रता की कैंडेला; और

(vii) पदार्थ के परिमाण की मोल,

आधार इकाई होगी।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित आधार इकाइयों, व्युत्पन्न इकाइयां और अन्य इकाइयों के विनिर्देश ऐसे होंगे जो विहित किए जाएं।

अंकों की आधार इकाई।

6. (1) अंकों की आधार इकाई भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप की इकाई होगी।

(2) प्रत्येक अंक, दशमलव प्रणाली के अनुसार होगा।

(3) अंकों के दशमलव गुणज और उपगुणज ऐसे अभिधान वाले होंगे और ऐसी रीति.से लिखे जाएंगे, जो विहित की जाए।

बाट और माप की मानक इकाइयां।

7. (1) धारा 5 में विनिर्दिष्ट बाटों और मापों की आधार इकाइयां बाटों और मापों की मानक इकाइयां होंगी।

(2) धारा 6 में विनिर्दिष्ट अंकों की आधार इकाई अंकों की मानक इकाई होगी।

(3) धारा 5 में उल्लिखित आधार, व्युत्पन्न और अन्य इकाइयों का मूल्य निकालने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वस्तुओं या उपस्करों को तैयार करेगी या तैयार करवाएगी।

(4) भौतिक लक्षण, आकृति, संरचनात्मक ब्यौरे, सामग्रियां, उपस्कर, कार्यपालन, सह्यता, पुनःसत्यापन की अवधि, परीक्षणों की पद्धतियां या प्रक्रियाएं ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

मानक बाट, माप या अंक।

8. (1) कोई बाट या माप, जो ऐसे बाट या माप की मानक इकाई के अनुरूप है और धारा 7 के ऐसे उपबंधों के भी अनुरूप हैं, जो उसे लागू हैं, मानक बाट या माप होगा।

(2) कोई अंक, जो धारा 6 के उपबंधों के अनुरूप है, मानक अंक होगा।

(3) मानक बाट, माप या अंक से भिन्न किसी बाट, माप या अंक को मानक बाट, माप या अंक के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।

(4) किसी बाट या माप का विनिर्माण या आयात तभी किया जाएगा जब वह धारा 8 के अधीन विनिर्दिष्ट बाट या माप के मानकों के अनुरूप हो:

परंतु इस धारा के उपबंध निर्यात के लिए या किसी वैज्ञानिक अन्वेषण या अनुसंधान के प्रयोजन के लिए अनन्य रूप से किए गए विनिर्माण को लागू नहीं होंगे।

निर्देश, द्वितीयिक और कार्यसाधक मानक।

9. (1) बाटों और मापों के निर्देश मानक, द्वितीयिक मानक और कार्यसाधक मानक ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं।

(2) प्रत्येक ऐसे निर्देश मानक, द्वितीयिक मानक और कार्यसाधक मानक को ऐसी रीति में और ऐसी फीस के संदाय के पश्चात्, जो विहित की जाए सत्यापित और स्टांपित किया जाएगा।

(3) प्रत्येक ऐसे निर्देश मानक, द्वितीयिक मानक और कार्यसाधक मानक को, जिनका उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार सत्यापन और स्टांपन नहीं किया जाता है, विधिमान्य मानक नहीं समझा जाएगा।

विशिष्ट प्रयोजनों के लिए बाट या माप का उपयोग।

10. किसी माल, माल के वर्ग अथवा वचनबंध के संबंध में कोई संव्यवहार, व्यौहार या संविदा ऐसे बाट, माप या अंक द्वारा की जाएगी, जो विहित किया जाए।

बाट, माप या अंक की मानक इकाइयों के निबंधनों के अनुसार से अन्यथा कोटेशन आदि का प्रतिषेध।

11. (1) कोई व्यक्ति, किसी माल, चीज या सेवा के संबंध में बाट, माप या अंक की मानक इकाई के निबंधनों के अनुसार से अन्यथा—

(क) मौखिक शब्दों द्वारा या अन्यथा, किसी कीमत या प्रभार को कोट नहीं करेगा या उसकी घोषणा नहीं करेगा; या

(ख) कोई कीमत सूची, बीजक, कैशमैमो या अन्य दस्तावेज जारी या प्रदर्शित नहीं करेगा; या

(ग) कोई विज्ञापन, पोस्टर या अन्य दस्तावेज तैयार या प्रकाशित नहीं करेगा; या

(घ) पैकेज पूर्व वस्तु की शुद्ध मात्रा को उपदर्शित नहीं करेगा; या

(ङ) किसी संव्यवहार या संरक्षा, किसी मात्रा या विमा के संबंध में अभिव्यक्ति नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंध किसी माल, चीज या सेवा के निर्यात के लिए लागू नहीं होंगे।

मानक बाट, माप या अंक के प्रतिकूल किसी रूढ़ि, प्रथा आदि का शून्य होना।

12. किसी भी प्रकार की कोई रूढ़ि, प्रथा, व्यवहार या पद्धति, जो किसी व्यक्ति को किसी वस्तु, चीज या सेवा से संबंधित संविदा या अन्य करार में तोल, माप या संख्या द्वारा विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक या कम की उक्त वस्तु, चीज की मात्रा या सेवा की मांग करने, प्राप्त करने अथवा मांग करवाने या प्राप्त करवाने की अनुज्ञा देती है, शून्य होगी।

अध्याय 3

निदेशक, नियंत्रक और विधिक मापविज्ञान अधिकारियों की नियुक्ति और शक्तियां

निदेशक, विधिक मापविज्ञान अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति।

13. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, विधिक मापविज्ञान निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक और अन्य कर्मचारियों की, अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य के संबंध में इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्ति कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निदेशक और विधिक मापविज्ञान अधिकारियों की अर्हताएं ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निदेशक और प्रत्येक विधिक मापविज्ञान अधिकारी, ऐसी स्थानीय सीमाओं के संबंध में, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(4) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक विधिक मापविज्ञान अधिकारी, निदेशक के साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(5) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत निदेशक, नियंत्रक और प्रत्येक विधिक, मापविज्ञान अधिकारी, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक समझा जाएगा। 1860 का 45

(6) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत निदेशक, नियंत्रक और विधिक मापविज्ञान अधिकारी के विरुद्ध किसी ऐसी बात के संबंध में, जो इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जानी आशयित है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

(7) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार की सहमति से और ऐसी शर्तों, सीमाओं और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, इस अधिनियम के अधीन निदेशक की ऐसी शक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, राज्य में विधिक मापविज्ञान नियंत्रक को प्रत्यायोजित कर सकेगी और यदि ऐसे नियंत्रक की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह उसे प्रत्यायोजित शक्तियों में से ऐसी शक्तियां, जिन्हें वह ठीक समझे किसी विधिक मापविज्ञान अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा तथा जहां ऐसे नियंत्रक द्वारा शक्तियों का कोई ऐसा प्रत्यायोजन किया जाता है, वहां वह व्यक्ति, जिसको ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं, उन शक्तियों का प्रयोग उसी रीति से और वैसे ही प्रभावी रूप से करेगा मानो वे इस अधिनियम द्वारा, न कि प्रत्यायोजन के तौर पर, उसे सीधे प्रदत्त की गई हों।

(8) जहां, उपधारा (7) के अधीन शक्तियों का कोई प्रत्यायोजन किया जाता है, वहां इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग निदेशक के साधारण अधीक्षण, निदेशन और मार्गदर्शन के अधीन किया जाएगा।

14. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य के लिए एक विधिक मापविज्ञान नियंत्रक, अपर नियंत्रक, संयुक्त नियंत्रक, उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रक, निरीक्षक और अन्य कर्मचारी की, अंत:राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के संबंध में इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, नियुक्ति कर सकेगी।

नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त नियंत्रक और विधिक मापविज्ञान अधिकारियों की अर्हताएं ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त नियंत्रक और प्रत्येक विधिक मापविज्ञान अधिकारी, ऐसी स्थानीय सीमाओं के संबंध में, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(4) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक विधिक मापविज्ञान अधिकारी, नियंत्रक के साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

15. (1) निदेशक, नियंत्रक या कोई विधिक मापविज्ञान अधिकारी, यदि उसके पास, चाहे किसी व्यक्ति द्वारा उसे दी गई और लेखबद्ध कर ली गई किसी जानकारी से अथवा वैयक्तिक ज्ञान से अथवा अन्यथा यह विश्वास करने का कारण है कि कोई बाट या माप या अन्य माल, जिसके संबंध में कोई व्यापार या वाणिज्य हुआ है या होना आशयित है और जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है या किया जाना संभाव्य है, किसी परिसर में या तो रखा गया है या छिपाया गया है अथवा परिवहन के अनुक्रम में है,—

निरीक्षण, अभिग्रहण आदि की शक्ति।

(क) ऐसे किसी परिसर में किसी भी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश कर सकेगा और किसी बाट, माप या अन्य माल के लिए, जिसके संबंध में व्यापार और वाणिज्य हुआ है या होना आशयित है और उससे संबंधित किसी अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज के लिए तलाशी ले सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा;

(ख) ऐसे किसी बाट, माप या अन्य माल को और किसी अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज या वस्तु को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उससे इस बात का साक्ष्य मिल सकता है कि किसी व्यापार और वाणिज्य के दौरान या उसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है या किया जाना संभाव्य है, अभिगृहीत कर सकेगा।

(2) निदेशक, नियंत्रक या कोई विधिक मापविज्ञान अधिकारी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट बाट या माप से संबंधित प्रत्येक दस्तावेज या अन्य अभिलेख पेश करने की भी अपेक्षा कर सकेगा और ऐसे बाट या माप को अभिरक्षा में रखने वाला व्यक्ति ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करेगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत कोई माल शीघ्रतया या प्रकृत्या क्षयशील है तो निदेशक, नियंत्रक या विधिक मापविज्ञान अधिकारी ऐसे माल का ऐसी रीति में व्ययन कर सकेगा, जो विहित की जाए।

1974 का 2

(4) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

16. (1) प्रत्येक अमानक या असत्यापित बाट या माप और धारा 18 के उल्लंघन में बनाया गया प्रत्येक पैकेज, जिसका प्रयोग किसी व्यापार या वाणिज्य के दौरान या उसके संबंध में किया गया है और जिसे धारा 15 के अधीन अभिगृहीत किया गया है, राज्य सरकार को समपहृत होने के दायित्वाधीन होगा:

समपहरण।

परंतु ऐसा असत्यापित बाट या माप राज्य सरकार को समपहृत नहीं होगा, यदि वह व्यक्ति, जिससे ऐसा बाट या माप अभिगृहीत किया गया था, उसे ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सत्यापित और स्टाम्पित करा लेता है ।

(2) धारा 15 के अधीन अभिगृहीत, किंतु उपधारा (1) के अधीन समपहृत न किए गए प्रत्येक बाट, माप या अन्य माल का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, व्ययन किया जाएगा।

विनिर्माता, आदि द्वारा अभिलेखों और रजिस्टरों का रखा जाना।

17. (1) बाट या माप का प्रत्येक विनिर्माता, मरम्मतकर्ता या व्यौहारी, ऐसे अभिलेख और रजिस्टर रखेगा, जो विहित किए जाएं।

(2) उपधारा (1) के अधीन रखे गए अभिलेख और रजिस्टर, निरीक्षण के समय धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन उक्त प्रयोजन के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के समक्ष पेश किए जाएंगे।

पूर्व पैक की गई वस्तुओं पर घोषणाएं।

18. (1) कोई भी व्यक्ति, किसी पूर्व पैक की गई वस्तु को तब तक विनिर्मित, पैक, विक्रीत, आयात, वितरित, परिदत्त, प्रस्थापित, अभिदर्शित नहीं करेगा या विक्रय के लिए नहीं रखेगा, जब तक ऐसा पैकेज ऐसे, मानक परिमाण या संख्या में न हो और उस पर ऐसी रीति से ऐसी घोषणाएं और विशिष्टियां न हों, जो विहित की जाएं।

(2) किसी पूर्व पैक की गई वस्तु की फुटकर विक्रय कीमत का उल्लेख करने वाले किसी विज्ञापन में, पैकेज में रखी हुई वस्तु का शुद्ध परिमाण या संख्या के बारे में ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, एक घोषणा अंतर्विष्ट होगी।

बाट या माप के आयातकर्ता के लिए रजिस्ट्रीकरण।

19. कोई भी व्यक्ति किसी बाट या माप का आयात तब तक नहीं करेगा, जब तक वह ऐसी रीति में और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाएं, निदेशक के पास रजिस्ट्रीकृत न हो।

अमानक बाटों और मापों का आयात न किया जाना।

20. किसी भी बाट या माप का, चाहे एकल रूप में या किसी मशीन के भाग या घटक के रूप में तभी आयात किया जाएगा, जब वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित बाट या माप मानकों के अनुरूप हो।

विधिक मापविज्ञान में प्रशिक्षण।

21. (1) विधिक मापविज्ञान और ज्ञान की अन्य सहबद्ध शाखाओं में प्रशिक्षण देने के लिए बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अधीन स्थापित "भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान" (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संस्थान" कहा गया है) इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन स्थापित किया गया समझा जाएगा।

1976 का 60

(2) संस्थान का प्रबंध और नियंत्रण, अध्यापन कर्मचारिवृंद और अन्य कर्मचारी, उसमें प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, वे अर्हताएं, जो उसमें प्रवेश हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति के पास होंगी, ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

प्रतिमान का अनुमोदन।

22. प्रत्येक व्यक्ति, किसी बाट या माप का विनिर्माण या आयात करने से पूर्व ऐसी रीति से, ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसे प्राधिकारी से, जो विहित किया जाए, उस बाट या माप के प्रतिमान का अनुमोदन प्राप्त करेगा:

परंतु प्रतिमान का ऐसा अनुमोदन, किसी ढलवां लोहे, तांबे, बुलियन या कैरट बाट या किसी किरणपुंज मान, लंबाई मापों (जो मापमानी टेप नहीं हैं), जिनका सामान्यतया वस्त्र या काष्ठ मापने के लिए फुटकर व्यापार में उपयोग किया जाता है, क्षमता में बीस लीटर से अनधिक क्षमता माप, जिनका सामान्यतया मिट्टी का तेल, दूध या पेय लिकरों का माप करने के लिए फुटकर व्यापार में उपयोग किया जाता है, के संबंध में अपेक्षित नहीं होगा:

परन्तु यह और कि यदि विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी ऐसे बाट या माप का प्रतिमान, जो भारत से बाहर किसी देश में अनुमोदित किया गया है, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित मानकों के अनुरूप है तो वह ऐसे प्रतिमान का किसी परीक्षण के बिना या ऐसे परीक्षण के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, अनुमोदन कर सकेगा।

अनुज्ञप्ति के बिना बाट या माप के विनिर्माण, मरम्मत या विक्रय का प्रतिषेध।

23. (1) कोई भी व्यक्ति, किसी बाट या माप का तब तक विनिर्माण, मरम्मत या विक्रय नहीं करेगा अथवा मरम्मत या विक्रय के लिए उसे प्रस्थापित, अभिदर्शित नहीं करेगा या कब्जे में नहीं रखेगा, जब तक वह उपधारा (2) के अधीन नियंत्रक द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति धारित न करता हो:

परंतु किसी विनिर्माता से अपने स्वयं के बाट और माप की मरम्मत के लिए उसके विनिर्माण के राज्य से भिन्न किसी राज्य में मरम्मत की कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, नियंत्रक ऐसे प्ररूप और रीति से, ऐसी शर्तों पर, ऐसी अवधि और अधिकारिता के ऐसे क्षेत्र के लिए तथा ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, अनुज्ञप्ति जारी करेगा।

अध्याय 4

बाट या माप का सत्यापन और स्टाम्पन

बाट या माप का सत्यापन और स्टाम्पन।

24. (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में कोई बाट या माप ऐसी परिस्थितियों में है, जो यह उपदर्शित करती हैं कि ऐसे बाट या माप का उसके द्वारा किसी संव्यवहार में या संरक्षा के लिए उपयोग किया जा रहा है या किया जाना आशयित या संभाव्य है, ऐसे बाट या माप को ऐसे उपयोग में लाने से पूर्व, ऐसी फीस का संदाय किए जाने पर, जो विहित की जाए, ऐसे स्थान पर और ऐसे समय के दौरान, जो नियंत्रक, साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, सत्यापित कराएगा।

(2) केंद्रीय सरकार, ऐसे बाट और मांप की किस्में विहित कर सकेगी, जिनके लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा सत्यापन किया जाना है।

(3) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर तथा ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, अधिसूचित किया जाएगा।

(4) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र, उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट बाट और माप के सत्यापन के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करेगा या लगाएगा और ऐसी फीस का संग्रहण करेगा, जो विहित की जाएं।

अध्याय 5

अपराध और शास्तियां

अमानक बाट या माप के उपयोग के लिए शास्ति।

25. जो कोई इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, बाट या माप मानकों या अंक मानकों से भिन्न किसी बाट या माप का उपयोग करेगा या उपयोग के लिए उसे रखेगा या किसी अंक का उपयोग करेगा, जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा।

बाट और माप के परिवर्तन के लिए शास्ति।

26. जो कोई किसी व्यक्ति को प्रवंचित करने की दृष्टि से या यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण होते हुए कि उससे किसी व्यक्ति को प्रवंचित किए जाने की संभावना है, किसी निर्देश मानक, द्वितीयिक मानक या कार्यसाधक मानक को किसी प्रकार बिगाड़ेगा या परिवर्तित करेगा या किसी बाट या माप में वृद्धि या कमी करेगा या परिवर्तन करेगा, सिवाय उस दशा के, जहां ऐसा परिवर्तन सत्यापन पर उसमें पाई गई किसी भूल का सुधार करने के लिए किया जाता है, वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

अमानक बाट या माप के विनिर्माण या विक्रय के लिए शास्ति।

27. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी ऐसे बाट या माप का जो—

(क) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट बाट या माप मानकों के अनुरूप नहीं है; या

(ख) जिस पर बाट, माप या अंक का ऐसा कोई अंतरालेखन है, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट बाट, माप या अंक मानकों के अनुरूप नहीं है,

सिवाय उस दशा के, जहां इस अधिनियम के अधीन उसे ऐसा करने की अनुमति दी गई है, विनिर्माण करेगा या विनिर्माण कराएगा अथवा विक्रय करेगा या विक्रय के लिए प्रस्थापित करेगा, अभिदर्शित करेगा या उसे कब्जे में रखेगा, वह जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

विहित मानकों के उल्लंघन में कोई संव्यवहार, व्यौहार या संविदा करने के लिए शास्ति।

28. जो कोई धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट बाट और माप मानकों के उल्लंघन में कोई संव्यवहार, व्यौहार या संविदा करेगा, वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

अमानक इकाइयों को कोट करने या प्रकाशित करने, आदि के लिए शास्ति।

29. जो कोई धारा 11 का अतिक्रमण करेगा, वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

मानक बाट या माप के उल्लंघन में संव्यवहारों के लिए शास्ति।

30. जो कोई,—

(क) बाट, माप या संख्या में किसी वस्तु या चीज का विक्रय करने में, क्रेता को उस वस्तु या चीज को ऐसी मात्रा या संख्या में परिदत्त करेगा या परिदत्त करवाएगा, जो उस मात्रा या संख्या से कम है, जिसके लिए संविदा की गई है या संदाय किया गया है; या

(ख) बाट, माप या संख्या में कोई सेवा प्रदान करने में, उस सेवा से कम सेवा प्रदान करेगा, जिसके लिए संविदा की गई है या संदाय किया गया है; या

(ग) बाट, माप या संख्या में कोई वस्तु या चीज क्रय करने में, कपटपूर्वक उस मात्रा या संख्या से अधिक उस वस्तु या चीज को ऐसी मात्रा या संख्या में प्राप्त करेगा या प्राप्त करवाएगा, जिसके लिए संविदा की गई है या संदाय किया गया है; या

(घ) बाट, माप या संख्या में कोई सेवा प्राप्त करने में, उस सेवा से अधिक सेवा प्राप्त करेगा, जिसके लिए संविदा की गई है या संदाय किया गया है,

वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

दस्तावेजों, आदि के पेश न किए जाने के लिए शास्ति।

31. जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन विवरणियां प्रस्तुत करने, कोई अभिलेख या रजिस्टर रखे जाने की अपेक्षा किए जाने पर या निदेशक या नियंत्रक या किसी विधिक मापविज्ञान अधिकारी द्वारा कोई बाट या माप या उससे संबंधित कोई दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख निरीक्षण के लिए उसके समक्ष पेश करने की अपेक्षा किए जाने पर, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना ऐसा करने का लोप करेगा या उसमें असफल रहेगा, वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा।

प्रतिमान अनुमोदित कराने में असफलता के लिए शास्ति।

32. जो कोई किसी बाट या माप के प्रतिमान को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने में असफल रहेगा या उसमें लोप करेगा, वह जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा।

असत्यापित बाट या माप के उपयोग के लिए शास्ति।

33. जो कोई किसी असत्यापित बाट या माप को विक्रीत, वितरित, परिदत्त करेगा या अन्यथा उसका अंतरण या उपयोग करेगा, वह जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा।

अमानक बाट या माप द्वारा वस्तुओं, आदि के विक्रय या परिदान के लिए शास्ति।

34. जो कोई मानक बाट, माप या संख्या से भिन्न किसी साधन द्वारा किसी वस्तु, चीज या सामग्री का विक्रय करेगा या करवाएगा अथवा परिदान करेगा या परिदान करवाएगा, जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी, किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

35. जो कोई बाट या माप या संख्या से भिन्न किसी साधन द्वारा या मानक बाट या माप से भिन्न किसी बाट, माप या संख्या द्वारा कोई सेवा प्रदान करेगा या प्रदान करवाएगा वह जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी, किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

अमानक बाट, माप या संख्या द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए शास्ति।

36. (1) जो कोई किसी पूर्व पैक की गई ऐसी वस्तु को, जो इस अधिनियम में यथा उपबंधित पैकेज पर घोषणाओं के अनुरूप नहीं है विक्रय के लिए विनिर्मित करेगा, पैक करेगा, आयात करेगा, विक्रय करेगा, वितरित करेगा, परिदत्त करेगा या अन्यथा अंतरित करेगा, प्रस्थापित करेगा, अभिदर्शित करेगा या कब्जे में रखेगा अथवा विक्रय करवाएगा, विक्रय के लिए वितरित करवाएगा, परिदत्त करवाएगा या अन्यथा अंतरित कराएगा, प्रस्थापित करवाएगा, अभिदर्शित करवाएगा वह जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, द्वितीय अपराध के लिए जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा तथा पश्चातव्र्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

अमानक पैकेजों का विक्रय आदि करने के लिए शास्ति।

(2) जो कोई उस शुद्ध मात्रा में, जो विहित की जाए, गलती सहित पहले से पैक की गई किसी वस्तु को विनिर्मित करेगा या पैक करेगा या आयात करेगा अथवा विनिर्मित करवाएगा या पैक करवाएगा या आयात करवाएगा, वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय और पश्चात्वर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

37. (1) जहां सरकार द्वारा अनुमोदित कोई परीक्षण केन्द्र, इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों का या अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करेगा, वहां वह जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा उल्लंघन के लिए शास्ति।

(2) जहां इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला सरकार द्वारा अनुमोदित किसी परीक्षण केन्द्र का कोई स्वामी या कर्मचारी इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में किसी बाट या माप का जानबूझकर सत्यापन या स्टाम्पन करता है, तो वह ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

38. जो कोई इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हुए बिना किसी बाट या माप का आयात करेगा, वह जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

बाट या माप के आयातकर्ता द्वारा अरजिस्ट्रीकरण के लिए शास्ति।

39. जो कोई किसी अमानक बाट या माप का आयात करेगा, वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा।

अमानक बाट या माप के आयात के लिए शास्ति।

40. जो कोई निदेशक, नियंत्रक या किसी विधिक मापविज्ञान अधिकारी को, उसकी शक्तियों का प्रयोग या उसके कृत्यों का निर्वहन करने से उस निदेशक या नियंत्रक या विधिक मापविज्ञान अधिकारी को निवारित करने या भयोपरत करने के आशय से या निदेशक या, नियंत्रक अथवा विधिक मापविज्ञान अधिकारी द्वारा उस रूप में अपनी शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग या उसके कृत्यों के निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रयास की गई किसी बात के परिणामस्वरूप बाधा पहुंचाएगा या किसी बाट या माप या उससे संबंधित किसी दस्तावेज या अभिलेख या किसी पैक की गई वस्तु की शुद्ध अंतर्वस्तुओं के निरीक्षण या सत्यापन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए निदेशक या, नियंत्रक या विधिक मापविज्ञान अधिकारी को किसी परिसर में प्रवेश करने में बाधा पहुंचाएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा।

निदेशक, नियंत्रक या विधिक मापविज्ञान अधिकारी को बाधा पहुंचाने के लिए शास्ति।

मिथ्या जानकारी या मिथ्या विवरणी देने के लिए शास्ति।

41. (1) जो कोई निदेशक, नियंत्रक या किसी विधिक मापविज्ञान अधिकारी को, कोई ऐसी जानकारी देगा जिसकी वह अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में अपेक्षा या मांग करे और जिसकी बाबत ऐसा व्यक्ति या तो यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा।

(2) जो कोई इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसा करने की अपेक्षा किए जाने पर, ऐसी विवरणी प्रस्तुत करेगा या ऐसा कोई अभिलेख या रजिस्टर रखेगा, जिसकी तात्त्विक विशिष्टियां मिथ्या हैं, वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, तथा जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा।

तंग करने वाली तलाशी।

42. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला निदेशक या नियंत्रक या विधिक मापविज्ञान अधिकारी, जो यह जानते हुए भी कि ऐसा करने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है:—

(क) किसी गृह, वाहन या स्थान की तलाशी लेगा या तलाशी करवाएगा; या

(ख) किसी व्यक्ति की तलाशी लेगा; या

(ग) किसी बाट, माप या अन्य जंगम संपत्ति को अभिगृहीत करेगा,

वह प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा।

अधिनियम या नियमों के उल्लंघन में सत्यापन के लिए शास्ति।

43. जहां इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला नियंत्रक या कोई विधिक मापविज्ञान अधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन में जानबूझकर किसी बाट या माप को सत्यापित या स्टाम्पित करेगा, वहां वह प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडित किया जाएगा।

मुद्राओं के कूटकरण, आदि के लिए शास्ति।

44. (1) जो कोई,—

(i) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन विनिर्दिष्ट किसी मुद्रा का कूटकरण करेगा; या

(ii) किसी कूटकृत मुद्रा का विक्रय करेगा या अन्यथा व्ययन करेगा; या

(iii) किसी कूटकृत मुद्रा को कब्जे में रखेगा; या

(iv) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन निनिर्दिष्ट किसी स्टाम्प को कूटकृत करेगा या हटाएगा या उससे छेड़छाड़ करेगा; या

(v) इस प्रकार हटाए गए स्टाम्प को किसी अन्य बाट या माप पर लगाएगा या उनमें अंत:स्थापित करेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और द्वितीय या पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में, ''कूटकृत'' का वही अर्थ है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 28 में है। 1860 का 45

(2) जो कोई विधिविरुद्ध ढंग से, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन विनिर्दिष्ट किसी मुद्रा को अभिप्राप्त करेगा और ऐसी किसी मुद्रा को यह प्रतिरूपित करने की दृष्टि से किसी बाट या माप पर कोई स्टाम्प बनाने के लिए उपयोग करेगा या उपयोग करवाएगा कि ऐसी मुद्रा द्वारा बनाई गई स्टाम्प इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत है वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो एक वर्ष तक की

हो सकेगी और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा।

(3) जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी मुद्रा के विधिपूर्ण कब्जे में होते हुए ऐसी मुद्रा का उपयोग, ऐसे उपयोग के लिए किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना करेगा या करवाएगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा।

(4) जो कोई ऐसे किसी बाट या माप का विक्रय करेगा या विक्रय के लिए प्रस्थापित या अभिदर्शित करेगा, जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उस पर कूटकृत स्टाम्प लगी है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा।

अनुज्ञप्ति के बिना बाट और माप के विनिर्माण के लिए शास्ति।

45. जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित होने पर, विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारण किए बिना, किसी बाट या माप का विनिर्माण करेगा, वह जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

अनुज्ञप्ति के बिना बाट और माप की मरम्मत, विक्रय, आदि के लिए शास्ति।

46. जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित होने पर, विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारण किए बिना, किसी बाट या माप की मरम्मत करेगा या उसका विक्रय करेगा अथवा मरम्मत या विक्रय के लिए उसको प्रस्थापित करेगा, उसको अभिदर्शित करेगा, वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

अनुज्ञप्ति को बिगाड़ने के लिए शास्ति।

47. जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी की गई या नवीकृत किसी अनुज्ञप्ति को नियंत्रक द्वारा इस निमित्त किए गए किसी प्राधिकार के अनुसार से अन्यथा परिवर्तित करेगा या अन्यथा बिगाड़ेगा, वह जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

अपराधों का शमन।

48. (1) धारा 25, धारा 27 से धारा 39, धारा 45 से धारा 47 या धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, या तो अधियोजन के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, सरकार के पक्ष में ऐसी राशि के, जो विहित की जाए, जमा किए जाने के लिए संदाय पर शमन किया जा सकेगा।

(2) ऐसा निदेशक या विधिक मापविज्ञान अधिकारी, जो इस निमित्त उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया जाए, धारा 25, धारा 27 से धारा 39 या धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दंडनीय अपराधों का शमन कर सकेगा।

(3) नियंत्रक या उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत विधिक मापविज्ञान अधिकारी, धारा 25, धारा 27 से धारा 31, धारा 33 से धारा 37, धारा 45 से धारा 47 और धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दंडनीय अपराधों का शमन कर सकेगा:

परंतु ऐसी राशि किसी भी दशा में, जुर्माने की उस अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी, जो इस प्रकार शमन किए गए अपराध के लिए इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित की जाए।

(4) उपधारा (1) की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जो वही या वैसा ही अपराध, उस तारीख से, जिसको उसके द्वारा किए गए प्रथम अपराध का शमन किया गया था, तीन वर्ष की अवधि के भीतर करता है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी ऐसे द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध को, जो उस तारीख से, जिसको अपराध का पहले शमन किया गया था, तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किया जाता है प्रथम अपराध समझा जाएगा।

(5) जहां किसी अपराध का उपधारा (1) के अधीन शमन किया जाता है, वहां उस अपराध के संबंध में, जिसका ऐसे शमन किया जाता है, अपराधी के विरुद्ध, यथास्थिति, कोई कार्यवाही या आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(6) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का, इस धारा द्वारा यथाउपबंधित के सिवाय शमन नहीं किया जाएगा।

कंपनियों द्वारा अपराध और सिद्धदोष कंपनियों के नाम, कारबार के स्थान आदि को प्रकाशित करने की न्यायालय की शक्ति।

49. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है,—

(क) (i) वहां ऐसा व्यक्ति, यदि कोई हो, जिसे उपधारा (2) के अधीन, कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी के भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी के रूप में घोषित किया गया है (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में उत्तरदायी व्यक्ति कहा गया है); या

(ii) जहां कोई व्यक्ति नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया है वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था; और

(ख) कंपनी,

ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे तथा तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) कोई कंपनी, लिखित आदेश द्वारा अपने किसी निदेशक को ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे सभी उपाय करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जो इस अधिनियम के अधीन कंपनी द्वारा कोई अपराध किए जाने को निवारित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों और निदेशक या संबद्ध नियंत्रक अथवा ऐसे नियंत्रक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी विधिक मापविज्ञान अधिकारी को (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी कहा गया है) ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, यह सूचना कि कंपनी ने ऐसे निदेशक को उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है, इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए ऐसे निदेशक की लिखित सहमति के साथ, दे सकेगी।

स्पष्टीकरण—जहां कंपनी के विभिन्न स्थापन या शाखाएं अथवा किसी स्थापन या शाखा में विभिन्न इकाइयां हैं, वहां विभिन्न स्थापनों या शाखाओं या इकाइयों के संबंध में इस उपधारा के अधीन भिन्न-भिन्न व्यक्ति नामनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे और किसी स्थापन, शाखा या इकाई के संबंध में नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे स्थापन, शाखा या इकाई की बाबत उत्तरदायी व्यक्ति समझा जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, उस समय तक जब तक कि,—

(i) निदेशक या संबद्ध नियंत्रक या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कंपनी से ऐसे नामनिर्देशन को रद्द करने वाली और सूचना प्राप्त नहीं हो जाती है; या

(ii) वह कंपनी का निदेशक नहीं रहता है; या

(iii) वह निदेशक या संबद्ध नियंत्रक या विधिक मापविज्ञान अधिकारी को कंपनी को सूचना के अधीन नामनिर्देशन को रद्द करने का लिखित में ऐसा कोई अनुरोध नहीं करता है, जिसका निदेशक या संबद्ध नियंत्रक या विधिक मापविज्ञान अधिकारी द्वारा पालन किया जाएगा,

इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उत्तरदायी व्यक्ति बना रहेगा:

परंतु जहां ऐसा व्यक्ति कंपनी का निदेशक नहीं रहता है वहां वह निदेशक या संबद्ध नियंत्रक या प्राधिकृत अधिकारी को इस प्रकार निदेशक न रहने के तथ्य को संसूचित करेगा:

परंतु यह और कि जहां ऐसा व्यक्ति खंड (iii) के अधीन कोई अनुरोध करता है वहां निदेशक या संबद्ध नियंत्रक या प्राधिकृत अधिकारी ऐसी तारीख से, जिसको अनुरोध किया जाता है, पूर्वतर किसी तारीख से ऐसे नामनिर्देशन को रद्द नहीं करेगा।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी, जो उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट व्यक्ति नहीं है, की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

(5) जहां कोई कंपनी इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी के उल्लंघन के लिए इसके अधीन दोषसिद्ध की जाती है वहां उस कंपनी को दोषसिद्ध करने वाला न्यायालय इस बात के लिए सक्षम होगा कि वह उस कंपनी का नाम और कारबार का स्थान, उल्लंघन का स्वरूप, यह बात कि कंपनी उस प्रकार दोषसिद्ध की गई है और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जिन्हें न्यायालय मामले की परिस्थितियों में समुचित समझे, उस कंपनी के व्यय पर ऐसे समाचारपत्रों में या ऐसी अन्य रीति से जैसी न्यायालय निदेश करे, प्रकाशित कराए।

(6) उपधारा (5) के अधीन कोई प्रकाशन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील करने की अवधि, अपील किए बिना, समाप्त न हो गई हो या ऐसी अपील किए जाने पर वह निपटा न दी गई हो।

(7) उपधारा (5) के अधीन किसी प्रकाशन के व्यय कंपनी से इस प्रकार वसूलीय होंगे, मानो वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ''कंपनी'' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; तथा

(ख) फर्म के संबंध में ''निदेशक'' से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है, किन्तु उसके अन्तर्गत नामनिर्दिष्ट निदेशक, अवैतनिक निदेशक, सरकारी नामनिर्दिष्ट निदेशक नहीं है।

अपीलें।

50. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(क) धारा 13 के अधीन नियुक्त विधिक मापविज्ञान अधिकारी द्वारा धारा 15 से धारा 20, धारा 22, धारा 25, धारा 27 से धारा 39, धारा 41 या धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन प्रत्येक विनिश्चय या आदेश से अपील निदेशक को होगी;

(ख) धारा 15 से धारा 20, धारा 22, धारा 25, धारा 27 से धारा 39, धारा 41 या धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन विधिक मापविज्ञान निदेशक द्वारा किए गए प्रत्येक विनिश्चय या आदेश से अपील केन्द्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को होगी;

(ग) विधिक मापविज्ञान निदेशक की प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन विधिक मापविज्ञान नियंत्रक द्वारा किए गए प्रत्येक विनिश्चय से अपील केन्द्रीय सरकार को होगी;

(घ) धारा 14 के अधीन नियुक्त किसी विधिक मापविज्ञान अधिकारी द्वारा धारा 15 से धारा 18, धारा 23 से धारा 25, धारा 27 से धारा 37, धारा 45 से धारा 47 या धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किए गए प्रत्येक विनिश्चय या आदेश से अपील नियंत्रक को होगी; और

(ङ) धारा 15 से धारा 18, धारा 23 से धारा 25, धारा 27 से धारा 37, धारा 45 से धारा 47 या धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन नियंत्रक द्वारा किए गए

ऐसे प्रत्येक विनिश्चय या आदेश से, जो खंड (घ) के अधीन अपील में किया गया कोई आदेश नहीं है, अपील राज्य सरकार या उस सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को होगी।

(2) ऐसी प्रत्येक अपील उस तारीख से जिसको अपेक्षित आदेश किया गया था, साठ दिन के भीतर की जाएगी:

परंतु यदि अपील प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर अपील करने में पर्याप्त कारणों से निवारित रहा था तो वह अपीलार्थी को साठ दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर अपील करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(3) ऐसी किसी अपील की प्राप्ति पर, अपील प्राधिकारी अपील के पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच, जैसी वह उचित समझे, करने के पश्चात्, उस विनिश्चय या आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट करने वाला, परिवर्तित करने वाला या उलटने वाला ऐसा आदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे अथवा मामले को यदि आवश्यक हो तो, अतिरिक्त साक्ष्य लेने के पश्चात् ऐसे निदेश के साथ, जो वह ठीक समझे, किसी नए विनिश्चय या आदेश के लिए वापस भेज सकेगा।

(4) प्रत्येक अपील ऐसी फीस के संदाय पर की जाएगी, जो विहित की जाए।

(5) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, किसी ऐसी कार्यवाही का, जिसके अंतर्गत अपील की कार्यवाही भी है, जिसमें कोई विनिश्चय या आदेश किया गया है, अभिलेख ऐसे विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी वैधता या उसके औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी तथा उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जो वह ठीक समझे:

परंतु इस उपधारा के अधीन किसी विनिश्चय या आदेश में ऐसा कोई फेरफार, जो किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे व्यक्ति को प्रस्थापित कार्यवाही के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया हो।

भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों का लागू न होना।

51. भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 153 के उपबंध, जहां तक ऐसे उपबंध बाटों और मापों से संबंधित अपराधों के बारे में हैं, ऐसे किसी अपराध को लागू नहीं होंगे जो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय है।

1860 का 45
1974 का 2

नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

52. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन मापों की आधार इकाइयों और द्रव्यमान की आधार-इकाई का विनिर्देश;

(ख) धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन वस्तुओं और उपस्करों को तैयार करने की रीति;

(ग) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन भौतिक लक्षणों, आकृति, संरचनात्मक ब्यौरों, सामग्रियों, उपस्कर, कार्यपालन, सह्यता, पुनःसत्यापन की अवधि, परीक्षण की पद्धतियां या प्रक्रियाएं;

(घ) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन बाटों और मापों के निर्देश मानक, द्वितीयिक मानक और कार्यसाधक मानक;

(ङ) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन निर्देश मानकों, द्वितीयिक मानकों और कार्यसाधक मानकों को सत्यापित और स्टाम्पित किया जाएगा तथा उस उपधारा के अधीन फीस;

(च) ऐसे बाट या माप या संख्या, जिसमें किसी माल, माल के वर्ग के संबंध में कोई संव्यवहार, व्यौहार या संविदा अथवा वचनबंध धारा 10 के अधीन किए जाएंगे;

(छ) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन निदेशक और विधिक मापविज्ञान अधिकारियों की अर्हताएं;

(ज) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन नियंत्रक और विधिक मापविज्ञान अधिकारियों की अर्हताएं;

(झ) धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन माल के व्ययन की रीति;

(ञ) मानक मात्रा या संख्या और वह रीति, जिसमें धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन पैकेजों पर घोषणाएं और विशिष्टियां होंगी;

(ट) धारा 19 के अधीन रीति और रजिस्ट्रीकरण तथा फीस;

(ठ) संस्थान का प्रबंध और नियंत्रण, शिक्षण कर्मचारिवृंद और अन्य कर्मचारी, प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, अर्हताएं, जो धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन उनमें प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति के पास होंगी;

(ड) धारा 22 के अधीन प्रतिमानों के अनुमोदन की रीति, फीस और प्राधिकारी;

(ढ) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन बाटों या मापों के प्रकार;

(ण) वह रीति, जिसमें और वे निबंधन और शर्तें, जिन पर तथा वह फीस, जिसके संदाय पर केन्द्रीय सरकार, धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को अधिसूचित करेगी;

(त) नियुक्त या लगाए गए व्यक्तियों की अर्हताएं और अनुभव तथा वह फीस और निबंधन तथा शर्तें, जिन पर सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र, धारा 24 की उपधारा (4) के अधीन बाट या माप का सत्यापन करेगा;

(थ) धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन शुद्ध मात्रा में गलती;

(द) धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन अपराध के शमन के लिए फीस;

(ध) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 49 की उपधारा (2) के अधीन निदेशक या नियंत्रक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को सूचना दी जाएगी।

(3) इस धारा के अधीन कोई नियम बनाते समय केन्द्रीय सरकार यह उपबंध कर सकेगी कि उसका भंग जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।

53. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 16 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन वह समय, जिसके भीतर बाट या माप का सत्यापन कराया जा सकेगा;

(ख) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और अभिलेख;

(ग) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए प्ररूप, रीति, शर्तें, अवधि, अधिकारिता का क्षेत्र और फीस;

(घ) धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन किसी बाट या माप के सत्यापन और स्टाम्पन के लिए फीस;

(ङ) धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्रों को अधिसूचित करने की रीति, निबंधन और शर्तें तथा संदत्त की जाने वाली फीस;

(च) धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन अपराधों के शमन के लिए फीस।

(3) राज्य सरकार, इस धारा के अधीन किसी नियम को बनाने में, यह उपबंध कर सकेगी कि उसका भंग ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा।

(4) इस धारा के अधीन नियम बनाने की शक्ति, राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए गए नियमों की शर्तों के अधीन होगी।

(5) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान-मंडल में दो सदन हैं वहां राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, और जहां राज्य विधान-मंडल में एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

54. (1) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के परामर्श से और अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का, जो अपील से संबंधित धारा 50 या नियम बनाने की शक्ति से संबंधित धारा 52 द्वारा प्रदत्त शक्ति नहीं है, ऐसे मामलों के संबंध में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, अपने अधीनस्थ ऐसे अधिकारी द्वारा भी, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रयोग किया जा सकेगा ।

(2) राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किसी साधारण या विशेष निदेश या शर्त के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति, उन शक्तियों का प्रयोग उसी रीति से और उसी विस्तार तक कर सकेगा, मानो वे उस व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा सीधे ही प्रदत्त की गई हैं, न कि प्रत्यायोजन के रूप में।

अधिनियम का कुछ मामलों में लागू न होना।

55. इस अधिनियम के उपबंध, जहां तक वे बाटों और मापों के सत्यापन और स्टाम्पन से संबंधित हैं, किसी ऐसे बाट या माप को लागू नहीं होंगे, जो—

(क) किसी ऐसे कारखाने में प्रयुक्त किए जाते हैं, जो अनन्यत: संघ के सशस्त्र बलों के प्रयोग के लिए किन्हीं आयुधों, गोलाबारूद या दोनों के विनिर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं;

(ख) वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए या अनुसंधान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं;

(ग) अनन्यत: निर्यात के लिए विनिर्मित किए जाते हैं।

विद्यमान निदेशक, नियंत्रक और विधिक मापविज्ञान अधिकारी का विहित की जाने वाली नई अर्हता द्वारा प्रभावित न होना।

56. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व नियुक्त प्रत्येक निदेशक, नियंत्रक और विधिक मापविज्ञान अधिकारी, विभिन्न अर्हताएं विहित करने वाले किसी नियम के होते हुए भी, धारा 13 की उपधारा (1) और धारा 14 के अधीन नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

1985 का 54

(2) बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम जो इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवर्तन में हैं, उस समय तक प्रवर्तन में बने रहेंगे जब तक कि राज्य सरकार उस निमित्त नियम न बना दे।

1976 का 60
1985 का 54

बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 और बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 का निरसन।

57. (1) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 और बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं।

1897 का 10
1976 का 60
1985 का 54

(2) निरसन के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 और बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना, बनाया गया नियम या किया गया आदेश, यदि वह इस अधिनियम के प्रारंभ पर प्रवर्तन में है, तो उसी प्रकार प्रवर्तन में बना रहेगा और इस प्रकार प्रभावी होगा मानो वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है।

(3) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसी विधि के अधीन की गई कोई नियुक्ति, जारी की गई अधिसूचना, बनाया गया नियम, किया गया आदेश, रजिस्ट्रीकरण, जारी की गई अनुज्ञप्ति, दिया गया प्रमाणपत्र, दी गई सूचना, किया गया विनिश्चय, दिया गया अनुमोदन, प्राधिकार या दी गई सहमति, यदि वह इस अधिनियम के प्रारंभ पर प्रवर्तन में है तो उसी प्रकार प्रवर्तन में बनी रहेगी तथा इस प्रकार प्रभावी होगी मानो वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई, जारी की गई, दी गई, बनाया गया या दिया गया हो।

---

222 (136)

ब्लैंक पेज सं. नहीं

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2010

(2010 का अधिनियम संख्यांक 20)

[16 अगस्त, 2010]

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2005 का 2

धारा 2 का संशोधन।

2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(i) खंड (ख) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(छ) ''अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था'' से ऐसा कोई महाविद्यालय या शैक्षणिक संस्था अभिप्रेत है, जो किसी अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित हो;'।

धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में, ''दो सदस्यों'' शब्दों के स्थान पर ''तीन सदस्यों'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 10 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना करना चाहता है, उक्त प्रयोजन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।''।

धारा 12ख का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 12ख की उपधारा (4) में, ''और राज्य सरकार से परामर्श करके'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010

(2010 का अधिनियम संख्यांक 23)

[18 अगस्त, 2010]

देश में नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए
अधिनियम

नैदानिक स्थापनों के, उनके द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं के न्यूनतम मानक विहित करने की दृष्टि से, रजिस्ट्रीकरण और विनियमन का उपबंध करना समीचीन समझा गया है, जिससे कि लोक स्वास्थ्य के सुधार के लिए संविधान के अनुच्छेद 47 के आदेश का पालन किया जा सके;

और, संसद् को, संविधान के अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 में यथा उपबंधित के सिवाय, पूर्वोक्त में से किसी विषय के संबंध में राज्यों के लिए विधियां बनाने की शक्ति नहीं है;

और संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अनुसरण में, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम राज्यों के विधान-मंडलों के सभी सदनों द्वारा इस आशय के संकल्प पारित कर दिए गए हैं कि उन राज्यों में पूर्वोक्त विषयों को संसद् द्वारा, विधि द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए;

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षित नाम नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह, प्रथमत: संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होगा; और यह ऐसे अन्य राज्य को लागू होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अधीन इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा इस अधिनियम को अंगीकार करता है।

(3) यह अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम राज्यों में तुरंत प्रवृत्त होगा और संघ राज्यक्षेत्रों में उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, और किसी ऐसे अन्य राज्य में, जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अधीन इस अधिनियम को अंगीकार करे, उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिस तारीख को यह अंगीकार किया जाता है और किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में इस अधिनियम में, इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश से वह तारीख अभिप्रेत है, जिसको ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में यह अधिनियम प्रवृत्त होता है :

परंतु नैदानिक स्थापनों के भिन्न-भिन्न प्रवर्गों और भिन्न-भिन्न मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्राधिकारी" से धारा 10 के अधीन स्थापित जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "प्रमाणपत्र" से धारा 30 के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(ग) "नैदानिक स्थापन" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) किसी व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय द्वारा, चाहे निगमित हो या नहीं, स्थापित और प्रशासित या अनुरक्षित ऐसा कोई अस्पताल, प्रसूति गृह, परिचर्या गृह, औषधालय, क्लीनिक, सेनिटोरियम या कोई संस्था, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो किसी मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धति में रुग्णता क्षति, विरूपता, अप्रसामान्यता या गर्भावस्था के लिए अपेक्षित निदान, उपचार या देखरेख की सेवाएं, सुविधाएं प्रदान करते हैं;

(ii) रोगों के निदान या उपचार के संबंध में उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी स्थापन की स्वतंत्र इकाई या उसके भाग के रूप में स्थापित कोई स्थान, जहां किसी व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय द्वारा, चाहे निगमित हो या नहीं, सामान्यतया प्रयोगशाला या अन्य चिकित्सीय उपस्करों की सहायता से विकृतिजन्य, जीवाणु विज्ञान संबंधी, आनुवंशिकी, विकिरण चिकित्सा संबंधी, रासायनिक, जैविक अन्वेषण या अन्य निदान संबंधी अथवा अन्वेषण संबंधी सेवाएं चलाई जाती हैं, स्थापित और प्रशासित की जाती हैं या अनुरक्षित रखी जाती हैं,

और इसके अंतर्गत ऐसा नैदानिक स्थापन भी है, जो,—

(क) सरकार या सरकार के किसी विभाग;

(ख) किसी न्यास, चाहे लोक या निजी हो;

(ग) किसी केन्द्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी निगम (जिसके अंतर्गत सोसाइटी भी है), चाहे सरकार के स्वामित्वाधीन हो या नहीं;

(घ) किसी स्थानीय प्राधिकारी; और

(ङ) किसी एक डॉक्टर,

के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रबंधनाधीन है, किन्तु इसके अन्तर्गत सशस्त्र बलों के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रबंधनाधीन नैदानिक स्थापन नहीं है।

1950 का 46
1950 का 45
1957 का 62

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए, ''सशस्त्र बलों'' से सेना अधिनियम, 1950, वायुसेना अधिनियम, 1950 और नौसेना अधिनियम, 1957 के अधीन गठित बल अभिप्रेत हैं;

(घ) ''आपात चिकित्सा दशा'' से ऐसी चिकित्सा दशा अभिप्रेत है, जिसमें ऐसी प्रकृति की पर्याप्त गंभीरता (जिसके अंतर्गत तीव्र दर्द भी है) के तीव्र लक्षणों से ही यह प्रकट होता है कि तुरंत चिकित्सा देखभाल के अभाव के परिणामस्वरूप,—

(i) व्यष्टि के स्वास्थ्य या किसी गर्भवती स्त्री या अजन्मे बालक के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होने; या

(ii) शारीरिक सक्रियता को गंभीर क्षति होने; या

(iii) शरीर के किसी अंग या भाग में गंभीर दुष्क्रियता होने, की युक्तियुक्त रूप से संभावना हो सकती है;

(ङ) ''राष्ट्रीय परिषद्'' से धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय नैदानिक स्थापन परिषद् अभिप्रेत है;

(च) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(छ) ''विहित'' से, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) ''मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान पद्धति'' से, ऐलोपैथी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धति या कोई ऐसी अन्य आयुर्विज्ञान पद्धति अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जाए;

(झ) ''रजिस्टर'' से इस अधिनियम की क्रमश: धारा 37, धारा 38 और धारा 39 के अधीन प्राधिकारी, राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा रखा गया ऐसा रजिस्टर अभिप्रेत है, जिसमें रजिस्ट्रीकृत नैदानिक स्थापनों की संख्या अंतर्विष्ट है;

(ञ) ''रजिस्ट्रीकरण'' से धारा 11 के अधीन रजिस्ट्रीकृत करना अभिप्रेत है और रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकृत पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ट) ''नियम'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं;

(ठ) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ड) ''मानकों'' से वे शर्तें अभिप्रेत हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार धारा 12 के अधीन नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए विहित करे;

(ढ) किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, ''राज्य सरकार'' से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है; और

(ण) खंड (घ) में विनिर्दिष्ट आपात चिकित्सा दशा के संबंध में, ''स्थिर करना (उसके व्याकरणीय रूपभेदों और सजातीय पदों सहित)'' से उस दशा का ऐसा चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराना अभिप्रेत है, जो युक्तियुक्त चिकित्सा संभाव्यताओं के भीतर यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य हो कि किसी नैदानिक स्थापन से व्यष्टि के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप या उसके दौरान दशा में कोई तात्विक ह्रास होने की संभावना नहीं है।

अध्याय 2

राष्ट्रीय नैदानिक स्थापन परिषद्

राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना।

3. (1) उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राष्ट्रीय नैदानिक स्थापन परिषद् नामक एक परिषद् की स्थापना की जाएगी।

(2) राष्ट्रीय परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—

(क) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पदेन, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) चार प्रतिनिधि, जिनमें से एक-एक प्रतिनिधि निम्नलिखित द्वारा निर्वाचित किया जाएगा,—

(i) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्; 1948 का 16

(ii) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्; 1956 का 102

(iii) भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय नर्स परिषद्; 1947 का 48

(iv) भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय भेषजी परिषद्; 1948 का 8

(ग) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन गठित आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले तीन प्रतिनिधि; 1970 का 48

(घ) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 3 के अधीन गठित केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जाने वाला एक प्रतिनिधि; 1973 का 59

(ङ) भारतीय चिकित्सा संगम केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जाने वाला एक प्रतिनिधि;

(च) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय मानक ब्यूरो का एक प्रतिनिधि; 1986 का 63

(छ) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 के अधीन गठित क्षेत्रीय परिषदों से दो प्रतिनिधि; 1956 का 37

(ज) पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन गठित पूर्वोत्तर परिषद् से दो प्रतिनिधि; 1971 का 84

(झ) उन पद्धतियों को छोड़कर, जिन्हें खंड (ख) के अधीन प्रतिनिधित्व दिया गया है परा-चिकित्सा पद्धतियों की पंक्ति से एक प्रतिनिधि;

(ञ) राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ता समूह के दो प्रतिनिधि, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं;

(ट) आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी से संबंधित भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति संगम से एक प्रतिनिधि जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाए;

(ठ) भारतीय क्वालिटी परिषद् का महासचिव, पदेन।

(3) राष्ट्रीय परिषद् के नामनिर्दिष्ट सदस्य, तीन वर्ष के लिए पद धारण करेंगे, किंतु वे अधिकतम तीन वर्ष की एक और अवधि के लिए पुन:नामनिर्देशन के लिए पात्र होंगे।

(4) राष्ट्रीय परिषद् के निर्वाचित सदस्य, तीन वर्ष के लिए पद धारण करेंगे, किंतु वे पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होंगे:

परंतु, यथास्थिति, नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित व्यक्ति, उस अवधि के लिए पद धारण करेगा, जब तक वह उस पद को धारण करता है, जिसके आधार पर वह केन्द्रीय परिषद् में नामनिर्देशित या निर्वाचित हुआ था।

(5) राष्ट्रीय परिषद् के सदस्य ऐसे भत्तों के लिए हकदार होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(6) राष्ट्रीय परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, गणपूर्ति नियत करने और अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने तथा उसके द्वारा संव्यवहार किए जाने वाले सभी कारबार के संचालन के लिए उपविधियां बना सकेगी।

(7) राष्ट्रीय परिषद्, तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

(8) राष्ट्रीय परिषद्, विशिष्ट विषयों पर विचार करने के लिए, उपसमितियों का गठन कर सकेगी और ऐसी उपसमितियों में, जो वह ठीक समझे, ऐसे व्यक्तियों को, जो परिषद् के सदस्य नहीं हैं, दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए नियुक्त कर सकेगी।

(9) राष्ट्रीय परिषद् के कृत्यों का, उसमें किसी रिक्ति के होते हुए भी, निर्वहन किया जा सकेगा।

(10) केन्द्रीय सरकार, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय परिषद् के सचिव के रूप में नियुक्त करेगी, जो केन्द्रीय सरकार विहित करे और राष्ट्रीय परिषद् को ऐसे अन्य सचिवीय और अन्य कर्मचारिवृंद उपलब्ध करा सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हताएं।

4. कोई व्यक्ति, राष्ट्रीय परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए निरर्हित होगा, यदि,—

(क) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दंडित किया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ख) वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) वह विकृतचित्त का है और उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उस रूप में घोषित किया गया है; या

(घ) उसे सरकार की या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम की सेवा से हटाया या पदच्युत किया गया है; या

(ङ) केन्द्रीय सरकार की राय में, उसका परिषद् में ऐसा वित्तीय या अन्य हित है, जिससे सदस्य के रूप में उसके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

राष्ट्रीय परिषद् के कृत्य।

5. राष्ट्रीय परिषद्—

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष के भीतर नैदानिक स्थापनों का एक रजिस्टर संकलित और प्रकाशित करेगी;

(ख) नैदानिक स्थापनों को विभिन्न प्रवर्गों में वर्गीकृत करेगी;

(ग) न्यूनतम मानक और उनका आवधिक पुनर्विलोकन विकसित करेगी;

(घ) अपनी स्थापना से दो वर्ष की अवधि के भीतर, नैदानिक स्थापनों द्वारा उचित स्वास्थ्य देखरेख सुनिश्चित करने वाले मानकों के प्रथम सेट का अवधारण करेगी;

(ङ) नैदानिक स्थापनों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण करेगी;

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, अवधारित किसी अन्य कृत्य का पालन करेगी।

सलाह या सहायता लेने की शक्ति।

6. राष्ट्रीय परिषद्, किसी ऐसे व्यक्ति या निकाय को अपने साथ सहयुक्त कर सकेगी, जिसकी सहायता या सलाह की, इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के क्रियान्वयन में, वह वांछा करे।

राष्ट्रीय परिषद् द्वारा परामर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाना।

7. राष्ट्रीय परिषद्, मानकों का अवधारण करने और नैदानिक स्थापनों के वर्गीकरण के लिए, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो विहित की जाए, परामर्शी प्रक्रिया का पालन करेगी।

अध्याय 3

नैदानिक स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण और उसके लिए मानक

राज्य नैदानिक स्थापन परिषद्।

8. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, राज्य नैदानिक स्थापन परिषद् या संघ राज्यक्षेत्र नैदानिक स्थापन परिषद् का गठन करेगी।

(2) यथास्थिति, राज्य परिषद् या संघ राज्यक्षेत्र परिषद्, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) सचिव, स्वास्थ्य — पदेन, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक — पदेन, सदस्य-सचिव;

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धतियों की विभिन्न शाखाओं के निदेशक — पदेन, सदस्य;

(घ) निम्नलिखित की कार्यकारी समिति द्वारा निर्वाचित किए जाने वाला प्रत्येक का एक प्रतिनिधित्व—

(i) भारतीय राज्य चिकित्सा परिषद्;

(ii) भारतीय राज्य दन्त चिकित्सा परिषद्;

(iii) भारतीय राज्य नर्स परिषद्;

(iv) भारतीय राज्य भेषजी परिषद्;

(ङ) यथास्थिति, राज्य परिषद् या संघ राज्यक्षेत्र परिषद् द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले आयुर्विज्ञान की आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन प्रतिनिधि;

(च) भारतीय चिकित्सा संगम की राज्य परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जाने वाला एक प्रतिनिधि;

(छ) परा-चिकित्सा पद्धतियों से एक प्रतिनिधि;

(ज) स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे राज्य स्तरीय उपभोक्ता समूहों या ख्यातिप्राप्त गैर-सरकारी संगठनों से दो प्रतिनिधि।

(3) यथास्थिति, राज्य परिषद् या संघ राज्यक्षेत्र परिषद् का नामनिर्देशित सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, किंतु वह अधिकतम तीन वर्ष की एक और अवधि के लिए पुन: नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा।

(4) यथास्थिति, राज्य परिषद् या संघ राज्यक्षेत्र परिषद् के निर्वाचित सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, किंतु वे पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होंगे:

परंतु , यथास्थिति, नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा, जब तक वह उस पद की नियुक्ति धारण करता है, जिसके आधार पर उसे, यथास्थिति, राज्य परिषद् या संघ राज्यक्षेत्र परिषद् के लिए नामनिर्देशित या निर्वाचित किया गया था।

(5) राज्य परिषद् या संघ राज्यक्षेत्र परिषद् निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्:—

(क) राज्य नैदानिक स्थापन रजिस्टरों को संकलित और अद्यतन करना;

(ख) राष्ट्रीय रजिस्टर को अद्यतन करने के लिए मासिक विवरणियां भेजना;

(ग) राष्ट्रीय परिषद् में राज्य का प्रतिनिधित्व करना;

(घ) प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना;

(ङ) अपने संबंधित राज्यों के भीतर मानकों को कार्यान्वित करने की स्थिति के संबंध में वार्षिक आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित करना।

राष्ट्रीय परिषद् को सूचना उपलब्ध कराना।

9. राज्य नैदानिक स्थापन परिषद् का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह नैदानिक स्थापनों के राज्य रजिस्टर को संकलित और अद्यतन करे और इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय रजिस्टर को अद्यतन करने के लिए अंकीय प्ररूप में मासिक विवरणियां भेजे।

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण।

10. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक जिले के लिए जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के नाम से ज्ञात निम्नलिखित सदस्यों वाले एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी, अर्थात्:—

(क) जिला कलक्टर—अध्यक्ष;

(ख) जिला स्वास्थ्य अधिकारी—संयोजक;

(ग) ऐसी अर्हताओं वाले और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, तीन सदस्य।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 14 के अधीन नैदानिक स्थापनों के अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चाहे जो भी नाम हो) उस प्रक्रिया के अनुसार, जो विहित की जाए, प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

नैदानिक स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण।

11. कोई व्यक्ति, किसी नैदानिक स्थापन को तभी चलाएगा, जब उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

रजिस्ट्रीकरण के लिए शर्त।

12. (1) प्रत्येक नैदानिक स्थापन, रजिस्ट्रीकरण और बने रहने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा, अर्थात्:—

(i) सुविधाओं और सेवाओं के ऐसे न्यूनतम मानक, जो विहित किए जाएं;

(ii) कार्मिकों की न्यूनतम अपेक्षाएं, जो विहित की जाएं;

(iii) अभिलेखों को रखने और रिपोर्ट करने के लिए उपबंध, जो विहित किए जाएं;

(iv) ऐसी अन्य शर्तें, जो विहित की जाएं।

(2) नैदानिक स्थापन उपलब्ध कर्मचारिवृंद और सुविधाओं के भीतर ऐसी चिकित्सीय परीक्षा और उपचार उपलब्ध करवाने का उत्तरदायित्व लेगा, जो ऐसे व्यष्टि की जो उस नैदानिक स्थापन में आता है या लाया जाता है, आपात चिकित्सीय दशा को स्थिर करने के लिए अपेक्षित हों।

नैदानिक स्थापनों का वर्गीकरण।

13. (1) भिन्न-भिन्न पद्धतियों के नैदानिक स्थापनों को उन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा, जो समय-समय पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट भिन्न-भिन्न प्रवर्गों के वर्गीकरण के लिए भिन्न-भिन्न मानक विहित किए जा सकेंगे:

परंतु केन्द्रीय सरकार, नैदानिक स्थापनों के लिए मानक विहित करने में स्थानीय दशाओं का ध्यान रखेगी।

अध्याय 4

रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन।

14. (1) धारा 10 के अधीन नैदानिक स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए, विहित प्ररूप में कोई आवेदन, विहित फीस के साथ, प्राधिकारी को किया जाएगा।

(2) आवेदन व्यक्तिगत रूप में या डाक द्वारा या ऑन लाइन फाइल किया जाएगा।

(3) आवेदन ऐसे प्ररूप में किया जाएगा और उसके साथ ऐसे ब्यौरे दिए जाएंगे, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित किए जाएं।

(4) यदि कोई नैदानिक स्थापन इस अधिनियम के प्रारंभ के समय विद्यमान है तो उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के भीतर किया जा सकेगा और कोई ऐसा नैदानिक स्थापन, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् अस्तित्व में आया है, अपने स्थापन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(5) यदि कोई नैदानिक स्थापन, ऐसे स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा करने वाली किसी विद्यमान विधि के अधीन पहले से ही रजिस्ट्रीकृत है, फिर भी वह उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।

अनंतिम प्रमाणपत्र।

15. प्राधिकारी, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर, आवेदक को, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां तथा ऐसी सूचना अंतर्विष्ट करते हुए, जो विहित की जाएं, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करेगा।

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण से पूर्व जांच का न किया जाना।

16. (1) प्राधिकारी, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किए जाने से पूर्व कोई जांच नहीं करेगा।

(2) अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अनुदत्त होते हुए भी, प्राधिकारी अनंतिम रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर इस प्रकार अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत नैदानिक स्थापन की सभी विशिष्टियों को, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रकाशित करवाएगा।

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता।

17. धारा 23 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक अनंतिम रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख से बारहवें मास के अंतिम दिन तक विधिमान्य होगा और ऐसा रजिस्ट्रीकरण नवीकरणीय होगा।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का संप्रदर्शन।

18. प्रमाणपत्र को नैदानिक स्थापन में किसी सहजदृश्य स्थान पर, ऐसी रीति में चिपकाया जाएगा, जिससे वह उस स्थापन में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए दृश्यमान हो।

प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति।

19. प्रमाणपत्र के खो जाने, नष्ट, विकृत या उसकी क्षति होने की दशा में, प्राधिकारी नैदानिक स्थापन के अनुरोध पर और ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विहित की जाए, प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करेगा।

प्रमाणपत्र का अहस्तांतरणीय होना।

20. (1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अहस्तांतरणीय होगा।

(2) स्वामित्व या प्रबंधन के परिवर्तन की दशा में, नैदानिक स्थापन ऐसे परिवर्तन की, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्राधिकारी को सूचना देगा।

(3) प्रवर्ग या अवस्थान के परिवर्तन की दशा में या नैदानिक स्थापन के रूप में कार्य न करने पर, ऐसे नैदानिक स्थापन के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राधिकारी को अभ्यर्पित कर दिया जाएगा और नैदानिक स्थापन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किए जाने के लिए नए सिरे से आवेदन करेगा।

रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति का प्रकाशन।

21. प्राधिकारी, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे नैदानिक स्थापनों के नाम जिनका रजिस्ट्रीकरण समाप्त हो गया है, प्रकाशित करवाएगा।

रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण।

22. रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता

की समाप्ति से तीस दिन पूर्व किया जाएगा और अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति के पश्चात्, नवीकरण के लिए आवेदन किए जाने की दशा में, प्राधिकारी, ऐसी वर्धित फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण अनुज्ञात करेगा।

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिए समय-सीमा।

23. ऐसे नैदानिक स्थापन को, जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा मानकों को अधिसूचित किया गया है, निम्नलिखित अवधि से परे अनंतिम प्रमाणपत्र अनुदत्त या नवीकृत नहीं किया जाएगा:—

(i) ऐसे नैदानिक स्थापनों की दशा में, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व अस्तित्व में आए हैं, मानकों की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि;

(ii) ऐसे नैदानिक स्थापनों के लिए, मानकों की अधिसूचना से दो वर्ष की अवधि, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् और मानकों की अधिसूचना के पूर्व अस्तित्व में आए हैं; और

(iii) ऐसे नैदानिक स्थापनों के लिए, जो मानकों के अधिसूचित किए जाने के पश्चात् अस्तित्व में आए हों, मानकों की अधिसूचना की तारीख से छह मास की अवधि।

स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।

24. किसी नैदानिक स्थापन द्वारा स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में किया जाएगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जो विहित की जाए।

आवेदन का सत्यापन।

25. नैदानिक स्थापन, विहित न्यूनतम मानकों का, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनुपालन किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

आक्षेप फाइल करने के लिए सूचना का संप्रदर्शन।

26. नैदानिक स्थापन द्वारा, इस बात का अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर कि विहित न्यूनतम मानकों का अनुपालन किया गया है, यथाशीघ्र, प्राधिकारी, विहित न्यूनतम मानकों का अनुपालन किए जाने के बारे में उस नैदानिक स्थापन द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्यों को, स्थायी रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने के लिए कार्रवाई करने से पूर्व तीस दिन की अवधि के लिए, जनसाधारण की जानकारी के लिए और आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल करने के लिए, ऐसी रीत में, जो विहित की जाए, संप्रदर्शित कराएगा।

आक्षेपों की संसूचना।

27. पूर्ववर्ती धारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर आक्षेप प्राप्त होने की दशा में, ऐसे आक्षेपों को, ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, प्रत्युत्तर के लिए नैदानिक स्थापन को संसूचित किया जाएगा।

स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए मानक।

28. स्थायी रजिस्ट्रीकरण केवल तभी अनुदत्त किया जाएगा, जब कोई नैदानिक स्थापन केन्द्रीय सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए विहित मानकों को पूरा करेगा।

रजिस्ट्रीकरण का मंजूर या नामंजूर किया जाना।

29. प्राधिकारी, विहित अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात् और तत्पश्चात् आगामी तीस दिन के भीतर,—

(क) स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को मंजूर करने; या

(ख) आवेदन को नामंजूर करने,

का आदेश पारित करेगा:

परंतु प्राधिकारी, यदि स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन को नामंजूर करता है तो वह उसके कारण अभिलिखित करेगा।

स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र।

30. (1) प्राधिकारी यदि नैदानिक स्थापन का आवेदन मंजूर करता है तो वह, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों वाला, जो विहित की जाएं, स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(2) प्रमाणपत्र, जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, धारा 18, धारा 19, धारा 20 और धारा 21 के उपबंध भी लागू होंगे।

(4) स्थायी रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन, स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की समाप्ति से पूर्व छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा और यदि नवीकरण का आवेदन

अनुबंधित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण ऐसी वर्धित फीस और शास्तियों के संदाय पर, जो विहित की जाएं, रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण अनुज्ञात कर सकेगा।

स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए नया आवेदन।

31. स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का नामंजूर किया जाना, नैदानिक स्थापन को, धारा 24 के अधीन और उन कमियों का सुधार किए जाने, जिनके आधार पर पूर्ववर्ती आवेदन नामंजूर किया गया था, के बारे में ऐसा साक्ष्य उपलब्ध कराने के पश्चात्, जो अपेक्षित हो, स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए नए सिरे से आवेदन करने से वर्जित नहीं करेगा।

रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना।

32. (1) यदि किसी नैदानिक स्थापन को रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पश्चात्, किसी समय, प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि,—

(क) रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है; या

(ख) नैदानिक स्थापन के प्रबंध से न्यस्त व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है,

तो वह नैदानिक स्थापन को यह हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना जारी कर सकेगा कि इस अधिनियम के अधीन उसका रजिस्ट्रीकरण, सूचना में उल्लिखित किए जाने वाले कारणों से क्यों न रद्द कर दिया जाए।

(2) यदि नैदानिक स्थापन को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबंध का या उसके अधीन बनाए गए नियमों का भंग हुआ है तो वह, आदेश द्वारा ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो वह उस नैदानिक स्थापन के विरुद्ध कर सकता है, उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश,—

(क) जहां ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है, वहां ऐसी अपील के लिए विहित अवधि की ठीक समाप्ति पर; और

(ख) जहां ऐसी अपील की गई है और खारिज कर दी गई है, वहां ऐसे खारिज किए जाने के आदेश की तारीख से,

प्रभावी होगा:

परन्तु यदि रोगियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर आसन्न संकट है तो, प्राधिकारी, रजिस्ट्रीकरण के रद्द किए जाने के पश्चात्, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, नैदानिक स्थापन को कार्य करने से तुरन्त अवरुद्ध कर सकेगा।

रजिस्ट्रीकृत नैदानिक स्थापनों का निरीक्षण।

33. (1) प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को, किसी रजिस्ट्रीकृत नैदानिक स्थापन, उसके भवन, प्रयोगशालाओं और उपस्कर के संबंध में तथा नैदानिक स्थापन द्वारा संचालित या किए गए कार्य का भी, ऐसे बहु-सदस्यीय दल द्वारा, जैसा वह निदेश करे, निरीक्षण या जांच कराने और नैदानिक स्थापन से संबद्ध किसी अन्य विषय के संबंध में जांच कराने का अधिकार होगा और वहां स्थापन प्रतिनिधित्व करने का हकदार होगा।

(2) प्राधिकरण ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामों के संबंध में उस प्राधिकारी के विचार नैदानिक स्थापन को संसूचित करेगा और उस पर नैदानिक स्थापन की राय अभिप्राप्त करने के पश्चात् की जाने वाली कार्रवाई के बारे में उस स्थापन को सलाह दे सकेगा।

(3) नैदानिक स्थापन, प्राधिकारी को ऐसी कार्रवाई की, यदि कोई हो, रिपोर्ट देगा, जो ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामों के बारे में किए जाने के लिए प्रस्थापित है या की गई है, और ऐसी रिपोर्ट, ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत की जाएगी, जो प्राधिकारी निदेश दे।

(4) जहां नैदानिक स्थापन, युक्तियुक्त समय के भीतर, प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में कार्रवाई नहीं करता है वहां वह नैदानिक स्थापन द्वारा किए गए किसी स्पष्टीकरण या किए गए अभ्यावेदन पर विचार

के पश्चात्, ऐसे समय के भीतर जो निदेश में उपदर्शित हो ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, वह प्राधिकारी ठीक समझे और नैदानिक स्थापन ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

प्रवेश करने की शक्ति।

34. प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, यदि यह संदेह करने का कारण है कि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के बिना नैदानिक स्थापन चला रहा है, किसी युक्तियुक्त समय पर, विहित रीति में, वहां प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा और नैदानिक स्थापन निरीक्षण या जांच के लिए युक्तियुक्त सुविधाएं प्रदान करेगा और वहां प्रतिनिधित्व करने का हकदार होगा:

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा करने के अपने आशय की सूचना दिए बिना नैदानिक स्थापन में प्रवेश नहीं करेगा।

राज्य सरकार द्वारा फीस का उद्ग्रहण।

35. राज्य सरकार, भिन्न-भिन्न प्रवर्गों के नैदानिक स्थापनों के लिए ऐसी फीस प्रभारित कर सकेगी, जो विहित जी जाए।

अपील।

36. (1) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को अनुदत्त या नवीकृत करने से इंकार करने या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण करने वाले आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, राज्य परिषद् को अपील कर सकेगा:

परन्तु राज्य परिषद्, विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात् की गई किसी अपील को ग्रहण कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से समय पर अपील फाइल करने से निवारित हुआ था।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में की जाएगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जो विहित की जाए।

अध्याय 5

नैदानिक स्थापनों का रजिस्टर

नैदानिक स्थापनों का रजिस्टर।

37. (1) प्राधिकरण, उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत नैदानिक स्थापनों का, उसकी स्थापना से दो वर्ष की अवधि के भीतर संकलन, प्रकाशन और अंकीय प्ररूप में एक रजिस्टर रखेगा और वह इस प्रकार जारी किए गए प्रमाणपत्र की विशिष्टियां, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज करेगा।

(2) प्रत्येक प्राधिकारी, जिसके अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए गठित कोई अन्य प्राधिकरण भी है, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, नैदानिक स्थापनों के रजिस्टर में की गई प्रत्येक प्रविष्टि की अंकीय प्ररूप में एक प्रति राज्य नैदानिक स्थापन परिषद् को भेजेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य रजिस्टर को, राज्य में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा रखे गए रजिस्टरों से सतत् रूप से अद्यतन किया जाता है।

राज्य नैदानिक स्थापन रजिस्टर का रखा जाना।

38. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, उस राज्य में नैदानिक स्थापनों के संबंध में, अंकीय और ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी विशिष्टियों को अन्तर्विष्ट करते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, राज्य नैदानिक स्थापन रजिस्टर नामक एक रजिस्टर रखेगी।

(2) प्रत्येक राज्य सरकार, नैदानिक स्थापनों के राज्य रजिस्टर की अंकीय प्ररूप में एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजेगी और ऐसे रजिस्टर में किए गए सभी परिवर्धनों और अन्य संशोधनों की सूचना किसी विशिष्ट मास के लिए आगामी मास की पंद्रह तारीख तक केन्द्रीय सरकार को देगी।

राष्ट्रीय नैदानिक स्थापन रजिस्टर का रखा जाना।

39. केन्द्रीय सरकार, अंकीय प्ररूप में राष्ट्रीय नैदानिक स्थापन रजिस्टर नामक एक अखिल भारतीय रजिस्टर रखेगी, जो राज्य सरकारों द्वारा रखे गए नैदानिक स्थापनों के राज्य रजिस्टर का समामेलन होगा और उसे अंकीय प्ररूप में प्रकाशित करवाएगी।

अध्याय 6

शास्तियां

शास्ति।

40. जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, यदि कहीं और किसी दंड का उपबंध नहीं किया गया है तो प्रथम अपराध के लिए ऐसी धनीय शास्ति से, जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, किसी दूसरे अपराध के लिए ऐसी धनीय शास्ति से, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, ऐसी धनीय शास्ति से, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

अरजिस्ट्रीकरण के लिए धनीय शास्ति।

41. (1) जो कोई रजिस्ट्रीकरण के बिना कोई नैदानिक स्थापन चलाएगा, दोषसिद्धि पर, प्रथम अपराध के लिए पचास हजार रुपए तक की धनीय शास्ति से, दूसरे अपराध के लिए ऐसी धनीय शास्ति से, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी और किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, ऐसी धनीय शास्ति से, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

(2) जो कोई जानबूझकर ऐसे किसी नैदानिक स्थापन में सेवा करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत नहीं है, ऐसी धनीय शास्ति से, जो पच्चीस हजार रुपए तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण, कोई धनीय शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए संबंधित किसी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् विहित रीति में जांच करेगा।

(4) प्राधिकरण को, जांच करते समय, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से सुभिज्ञ किसी व्यक्ति को ऐसा साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए, जो प्राधिकरण की राय में जांच के लिए उपयोगी हो या उसकी विषय-वस्तु से सुसंगत हो, समन करने और उपस्थित कराने की शक्ति होगी और यदि ऐसी जांच पर, उसका यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति धारा 42 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है तो वह आदेश द्वारा, आदेश किए जाने के तीस दिन के भीतर धारा 42 की उपधारा (8) में निर्दिष्ट खाते में जमा की जाने वाली उन उपधाराओं में विनिर्दिष्ट शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(5) धनीय शास्ति की मात्रा का अवधारण करते समय प्राधिकरण नैदानिक स्थापन के प्रवर्ग, विस्तार और स्वरूप तथा उस क्षेत्र की स्थानीय दशाओं को ध्यान में रखेगा, जिसमें स्थापन स्थित है।

(6) प्राधिकरण के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, उक्त विनिश्चय की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर राज्य परिषद् को अपील कर सकेगा।

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट अपील फाइल करने की रीति वह होगी, जो विहित की जाए।

निदेश की अवहेलना करना, बाधा पहुंचाना और सूचना देने से इंकार।

42. (1) जो कोई, ऐसे किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा विधिपूर्वक दिए गए किसी निदेश की, जिसे इस अधिनियम के अधीन ऐसा निदेश देने के लिए सशक्त किया गया है, जानबूझकर अवहेलना करेगा या किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को, ऐसे किसी कृत्य के निर्वहन में बाधा पहुंचाएगा, जिसका निर्वहन करने के लिए ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी इस धारा के अधीन अपेक्षित है या सशक्त किया गया है, धनीय शास्ति से, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

(2) जो कोई, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई सूचना देने के लिए अपेक्षित होते हुए भी, जानबूझकर ऐसी सूचना को रोकेगा या ऐसी सूचना देगा, जिसके बारे में वह जानता है कि वह मिथ्या है या जिसके बारे में उसे यह विश्वास है कि वह सही नहीं है, धनीय शास्ति से, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण, कोई धनीय शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए संबंधित किसी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् विहित रीति में जांच करेगा।

(4) प्राधिकरण को, जांच करते समय, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से सुभिज्ञ किसी व्यक्ति को ऐसा साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए, जो प्राधिकरण की राय में जांच के लिए उपयोगी हो या उसकी विषय-वस्तु से सुसंगत हो, समन करने और उपस्थित कराने की शक्ति होगी और यदि ऐसी जांच पर, उसका यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति उपधारा (1) और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है तो वह आदेश द्वारा, आदेश किए जाने के तीस दिन के भीतर उपधारा (8) में निर्दिष्ट खाते में जमा की जाने वाली उन उपधाराओं में विनिर्दिष्ट शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(5) धनीय शास्ति की मात्रा का अवधारण करते समय, प्राधिकरण, नैदानिक स्थापन के प्रवर्ग, आकार और किस्म तथा उस क्षेत्र की स्थानीय दशाओं को ध्यान में रखेगा, जिसमें स्थापन स्थित है।

(6) प्राधिकरण के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, उक्त विनिश्चय की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर राज्य परिषद् को अपील कर सकेगा।

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट अपील फाइल करने की रीति वह होगी, जो विहित की जाए।

(8) धारा 41 और धारा 42 के अधीन उद्गृहीत धनीय शास्ति उस खाते में जमा की जाएगी जो राज्य सरकार आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें।

गौण-त्रुटियों के लिए शास्ति।

43. जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करेगा, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी त्रुटियां होती हैं, जिससे किसी रोगी के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर कोई आसन्न संकट नहीं पड़ता है और जिन्हें युक्तियुक्त समय के भीतर सुधारा जा सकता है, जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

कंपनियों द्वारा उल्लंघन।

44. (1) जहां इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कंपनी है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय, उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे और जुर्माने के लिए भागी होंगे:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन किसी कंपनी द्वारा किया गया है और साबित हो जाता है कि वह उल्लंघन, कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस उल्लंघन का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे और जुर्माने के लिए भागी होंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या अन्य व्यष्टि-संगम भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से, उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

सरकारी विभागों द्वारा अपराध।

45. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है, वहां विभागाध्यक्ष उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए भागी होगा:

परन्तु इस धारा की कोई बात ऐसे विभागाध्यक्ष को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए भागी होगा।

जुर्माने की वसूली।

46. जो कोई जुर्माने का संदाय करने में असफल रहेगा, राज्य नैदानिक स्थापन परिषद्, ऐसे व्यक्ति से शोध्य जुर्माने को विनिर्दिष्ट करते हुए, उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र तैयार कर सकेगी और उस जिले के, जिसमें ऐसे व्यक्ति के स्वामित्वाधीन कोई संपत्ति है या वह निवास करता है या अपना कारबार चलाता है, कलक्टर को भेज सकेगी और उक्त कलक्टर, ऐसे प्रमाणपत्र को प्राप्त करने पर, उसमें विनिर्दिष्ट रकम की उस व्यक्ति से इस प्रकार वसूली करने की कार्यवाही करेगा, मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

47. (1) इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राष्ट्रीय परिषद् या राज्य परिषद् के किसी प्राधिकारी या किसी सदस्य या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के कारण हुई या होने के लिए संभावित किसी हानि या नुकसानी के संबंध में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध नहीं होगी।

विवरणियों, आदि का दिया जाना।

48. प्रत्येक नैदानिक स्थापन, ऐसे समय के भीतर या ऐसे विस्तारित समय के भीतर, जो उस निमित्त विहित किया जाए, प्राधिकारी या राज्य परिषद् या राष्ट्रीय परिषद् को ऐसी विवणियां या आंकड़े और अन्य जानकारी, ऐसी रीति में, जो समय-समय पर, राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, देगा।

निदेश देने की शक्ति।

49. इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण को ऐसे निदेश, जिसके अंतर्गत नैदानिक स्थापनों के सम्यक्, कार्यकरण के लिए विवरणियां, आंकड़े और अन्य जानकारी प्रस्तुत करना भी है, जारी करने की शक्ति होगी और ऐसे निदेश आबद्धकर होंगे।

प्राधिकरण के कर्मचारियों, आदि का लोक सेवक होना।

50. प्राधिकरण और राष्ट्रीय परिषद् और राज्य परिषद् के प्रत्येक कर्मचारी के बारे में,जब वे इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कोई कार्य कर रहे हैं या उनका कार्य करना तात्पर्यित है, यह समझा जाएगा कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक हैं।

1860 का 45

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

51. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

52. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किसी उपबंध को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के संबंध में उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:–

(क) धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों के भत्ते;

(ख) धारा 3 की उपधारा (10) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य समिति के सचिव के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति;

(ग) धारा 7 के अधीन नैदानिक स्थापनों के वर्गीकरण के लिए मानकों का अवधारण;

(घ) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन प्राधिकरण के सदस्यों की अर्हताएं और सेवा के निबंधन और शर्तें;

(ङ) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन वह प्रक्रिया, जिसके अधीन नैदानिक स्थापन के अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकेगा;

(च) धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन सुविधाओं और सेवाओं के न्यूनतम मानक;

(छ) धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन कार्मिकों की न्यूनतम संख्या;

(ज) धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (iii) के अधीन नैदानिक स्थापन द्वारा अभिलेखों का रखा जाना और रिपोर्ट करना;

(झ) धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (iv) के अधीन नैदानिक स्थापन के रजिस्ट्रीकरण और बने रहने के लिए अन्य शर्तें;

(ञ) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन नैदानिक स्थापनों का वर्गीकरण;

(ट) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन नैदानिक स्थापनों के वर्गीकरण के लिए विभिन्न मानक;

(ठ) धारा 28 के अधीन स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए न्यूनतम मानक;

(ड) धारा 38 के अधीन रखे जाने वाले रजिस्टर का प्ररूप और उसमें अंतर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियां।

नियमों का रखा जाना।

53. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, परन्तु, उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।

54. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उन विषयों के संबंध में, जो धारा 52 की परिधि के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्रियान्वित किए जाने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित या सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:–

(क) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्ररूप और उसके लिए संदत्त की जाने वाली फीस;

(ख) धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन आवेदन का प्ररूप और ब्यौरे;

(ग) धारा 15 के अधीन अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में अंतर्विष्ट विशिष्टियां और सूचना;

(घ) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित नैदानिक स्थापन की सभी विशिष्टियों के प्रकाशन की रीति;

(ङ) धारा 19 के अधीन प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए संदत्त की जाने वाली फीस;

(च) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन नैदानिक स्थापन द्वारा स्वामित्व या प्रबंध के परिवर्तन के बारे में प्राधिकरण को सूचित किया जाना;

(छ) धारा 21 के अधीन वह रीति, जिसमें प्राधिकरण उन नैदानिक स्थापनों के नाम प्रकाशित करेगा, जिनका रजिस्ट्रीकरण समाप्त हो जाएगा;

(ज) धारा 22 के अधीन अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति के पश्चात् नवीकरण के लिए प्रभारित की जाने वाली वर्धित फीस;

(झ) धारा 24 के अधीन आवेदन का प्ररूप और राज्य सरकार द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस;

(ञ) धारा 25 के अधीन नैदानिक स्थापनों द्वारा न्यूनतम मानकों का अनुपालन किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की रीति;

(ट) धारा 26 के अधीन आक्षेप फाइल करने के लिए, नैदानिक स्थापनों द्वारा न्यूनतम मानकों का अनुपालन किए जाने के बारे में सूचना संप्रदर्शित करने की रीति;

(ठ) धारा 29 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति;

(ड) धारा 30 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्ररूप और विशिष्टियां;

(ढ) वह अवधि जिसके भीतर धारा 32 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन अपील की जाएगी;

(ण) धारा 34 के अधीन नैदानिक स्थापन में प्रवेश करने और तलाशी लेने की रीति;

(त) धारा 35 के अधीन नैदानिक स्थापनों के भिन्न-भिन्न प्रवर्गों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस;

(थ) धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति, जिसमें और वह अवधि, जिसके भीतर, कोई अपील राज्य परिषद् को की जा सकेगी;

(द) धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन अपील का प्ररूप और उसके लिए संदत्त की जाने वाली फीस;

(ध) धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप और रीति, जिसमें रजिस्टर रखा जाएगा;

(न) धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन नैदानिक स्थापनों के रजिस्टर में की गई प्रविष्टि को अंकीय प्ररूप में राज्य परिषद् को प्रदाय करने की रीति;

(प) धारा 41 की उपधारा (3) और धारा 42 के अधीन प्राधिकरण द्वारा जांच करने की रीति;

(फ) धारा 41 की उपधारा (7) और धारा 42 के अधीन अपील फाइल करने की रीति;

(ब) धारा 48 के अधीन वह रीति, जिसमें और वह समय, जिसके भीतर सूचना, यथास्थिति, प्राधिकरण या राज्य परिषद् या राष्ट्रीय परिषद् को दी जानी है;

(भ) ऐसा कोई अन्य विषय, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए।

नियमों का रखा जाना।

55. इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के, जहां उसके दो सदन हैं, प्रत्येक सदन के या जहां उस विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

व्यावृत्ति।

56. (1) इस अधिनियम के उपबंध उन राज्यों को लागू नहीं होंगे, जिनमें अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां लागू होती हैं:

परंतु उन राज्यों में, जिनमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमितियां लागू होती हैं और ऐसे राज्यों में, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अधीन इस अधिनियम को अंगीकार करते हैं, इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार अंगीकार किए जाने के पश्चात् उस राज्य में लागू होंगे।

(2) केंद्रीय सरकार, जब कभी आवश्यक समझे, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का संशोधन कर सकेगी।

अनुसूची

(धारा 56 देखिए)

1. आंध्र प्रदेश प्राइवेट मेडिकल केयर एस्टेबलिशमेन्ट्स (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) ऐक्ट, 2002

2. बोम्बे नर्सिंग होम्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1949

3. दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1953

4. मध्य प्रदेश उपचर्या गृह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापना (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973

5. मणिपुर होम्स एंड क्लीनिक्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1992

6. नागालैंड हेल्थ केयर एस्टेबलिशमेन्ट्स ऐक्ट, 1997

7. उड़ीसा क्लीनिकल एस्टेबलिशमेन्ट्स (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1990

8. पंजाब स्टेट नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1991

9. वेस्ट बंगाल क्लीनिकल एस्टेबलिशमेन्ट्स ऐक्ट, 1950

औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2010

(2010 का अधिनियम संख्यांक 24)

[18 अगस्त, 2010]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

1947 का 14

धारा 2 का संशोधन।

2. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(i) खंड (क) में,—

(क) उपखंड (i) में, "महापत्तन से सम्पृक्त औद्योगिक विवाद के संबंध में, केन्द्रीय सरकार, तथा" शब्दों के स्थान पर, "महापत्तन, ऐसी किसी कंपनी, जिसमें समादत्त शेयर पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से अन्यून केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित है या संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित ऐसे किसी निगम, जो इस खंड में निर्दिष्ट निगम नहीं है या केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम, प्रमुख उपक्रम द्वारा स्थापित समनुषंगी कंपनियों और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्वशासी निकायों से सम्पृक्त औद्योगिक विवाद के संबंध में, केन्द्रीय सरकार, तथा" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ii) किसी अन्य औद्योगिक विवाद के संबंध में, जिसके अंतर्गत राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम, प्रमुख उपक्रम द्वारा स्थापित समनुषंगी कंपनियों और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्वशासी निकायों से संबंधित विवाद भी है, राज्य सरकार:

परन्तु यह कि किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन में, जहां ऐसा विवाद पहली बार हुआ था, किसी ठेकेदार और ठेकेदार के माध्यम से नियोजित ठेका श्रम के बीच किसी विवाद के मामले में, समुचित सरकार, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या ऐसी राज्य सरकार होगी, जिसका ऐसे औद्योगिक स्थापन पर नियंत्रण है।"।

(ii) खंड (ध) के उपखंड (iv) में, "एक हजार छह सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 2क का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 2क को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(2) धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई कर्मकार, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है, उस तारीख से, जिसको उसने विवाद के सुलह के लिए समुचित सरकार के सुलह अधिकारी को आवेदन किया है, पैंतालीस दिन की समाप्ति के पश्चात् उसमें निर्दिष्ट विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए श्रम न्यायालय या अधिकरण को सीधे आवेदन कर सकेगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर श्रम न्यायालय या अधिकरण को विवाद के संबंध में न्यायनिर्णयन करने की शक्तियां और अधिकारिता ऐसे होंगी, मानो वह समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसे निर्देशित किया गया विवाद हो और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे न्यायनिर्णयन के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे समुचित सरकार द्वारा उसे निर्देशित किए गए किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में लागू होते हैं।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवेदन श्रम न्यायालय या अधिकरण को उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदभारमुक्ति, पदच्युति, छंटनी या अन्यथा सेवा की समाप्ति की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति से पूर्व किया जाएगा।"।

धारा 7 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) में, खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(च) ऐसा उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) या राज्य श्रम विभाग का संयुक्त आयुक्त न हो या न रह चुका हो, जिसके पास विधि में डिग्री और श्रम विभाग में कम-से-कम सात वर्ष का अनुभव हो, जिसके अंतर्गत सुलह अधिकारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव भी है:

परन्तु ऐसा कोई उप मुख्य श्रम आयुक्त या संयुक्त श्रम आयुक्त तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह, पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने से पूर्व, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा से त्यागपत्र नहीं दे देता है; या

(छ) भारतीय विधिक सेवा का श्रेणी 3 में अधिकारी न हो या न रह चुका हो और उसके पास उस श्रेणी में तीन वर्ष का अनुभव न हो।"।

धारा 7क का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 7क की उपधारा (3) में खंड (कक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(ख) ऐसा उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) या राज्य श्रम विभाग का संयुक्त आयुक्त न हो या न रह चुका हो, जिसके पास विधि में डिग्री और श्रम विभाग में कम-से-कम सात वर्ष का अनुभव हो, जिसके अंतर्गत सुलह अधिकारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव भी है:

परन्तु ऐसा कोई उप मुख्य श्रम आयुक्त या संयुक्त श्रम आयुक्त तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह, पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने से पूर्व, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा से त्यागपत्र नहीं दे देता है; या

(ग) भारतीय विधिक सेवा का श्रेणी 3 में अधिकारी न हो या न रह चुका हो और उसके पास उस श्रेणी में तीन वर्ष का अनुभव न हो।''।

अध्याय 2ख के स्थान पर नए अध्याय का प्रतिस्थापन।

6. मूल अधिनियम की धारा 9ख के पश्चात्, अध्याय 2ख के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय रखा जाएगा, अर्थात्:—

''अध्याय 2ख

शिकायत प्रतितोषण तंत्र

शिकायत प्रतितोषण तंत्र की स्थापना।

9ग. (1) ऐसे प्रत्येक औद्योगिक स्थापन में, जिसमें बीस या अधिक कर्मकार नियोजित हैं, व्यष्टिक शिकायतों से उद्भूत होने वाले विवादों के हल के लिए एक या अधिक शिकायत प्रतितोषण समिति होगी।

(2) शिकायत प्रतितोषण समिति नियोजक और कर्मकारों से बराबर संख्या में सदस्यों से मिलकर बनेगी।

(3) शिकायत प्रतितोषण समिति के अध्यक्ष का चयन नियोजक से और कर्मकारों में से आनुकल्पिक रूप में प्रत्येक वर्ष चक्रानुक्रम में किया जाएगा।

(4) शिकायत प्रतितोषण समिति के सदस्यों की कुल संख्या छह से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यदि शिकायत प्रतितोषण समिति में दो सदस्य हैं तो यथासाध्य एक महिला सदस्य होगी और यदि सदस्यों की संख्या दो से अधिक है तो महिला सदस्यों की संख्या में आनुपातिक रूप से वृद्धि की जा सकेगी।

(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, शिकायत प्रतितोषण समिति के गठन से उसी विषय के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन औद्योगिक विवाद उठाने के कर्मकार के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(6) शिकायत प्रतितोषण समिति, व्यथित पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से लिखित आवेदन की प्राप्ति पर तीस दिन के भीतर अपनी कार्यवाहियों को पूरा कर सकेगी।

(7) ऐसा कर्मकार, जो शिकायत प्रतितोषण समिति के विनिश्चय से व्यथित है, शिकायत प्रतितोषण समिति के विनिश्चय के विरुद्ध नियोजक को अपील कर सकेगा और नियोजक, ऐसी अपील की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर, उसका निपटारा करेगा और अपने विनिश्चय की एक प्रति संबंधित कर्मकार को भेजेगा।

(8) इस धारा की कोई बात ऐसे कर्मकार को लागू नहीं होगी, जिसके लिए संबंधित स्थापन में स्थापित एक शिकायत प्रतितोषण तंत्र है।''।

धारा 11 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 11 में, उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(9) श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा दिए गए प्रत्येक पंचाट, जारी किए गए आदेश या उसके समक्ष किए गए समझौते का निष्पादन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 के अधीन सिविल न्यायालय के आदेशों और डिक्री के निष्पादन के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

1908 का 5

(10) यथास्थिति, श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण किसी पंचाट, आदेश या समझौते को, अधिकारिता रखने वाले किसी सिविल न्यायालय को पारेषित करेगा और ऐसा सिविल न्यायालय उस पंचाट, आदेश या समझौते का निष्पादन ऐसे करेगा मानो वह उसके द्वारा पारित की गई कोई डिक्री हो।''।

धारा 38 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (कख) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ग) श्रम न्यायालय, अधिकरण और राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी नियुक्ति के लिए निबंधन और शर्तें, जिनके अंतर्गत न्यायालयों, बोर्डों के सदस्यों और असेसरों तथा साक्षियों को अनुज्ञेय भत्ते भी हैं;"।

विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010

(2010 का अधिनियम संख्यांक 25)

[19 अगस्त, 2010]

विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 का संशोधन करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी, और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है।

1992 का 22

धारा 2 का संशोधन।

2. विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(क) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ङ) "आयात" और "निर्यात" से अभिप्रेत है,—

(I) माल के संबंध में, भूमि मार्ग, समुद्री मार्ग या वायुमार्ग से किसी माल को भारत में लाना या भारत से बाहर ले जाना;

(II) सेवाओं या प्रौद्योगिकी के संबंध में,—

(i) सेवाओं या प्रौद्योगिकी को,—

(क) किसी अन्य देश के राज्यक्षेत्र से भारत के राज्यक्षेत्र में प्रदाय करना;

(ख) किसी अन्य देश के राज्यक्षेत्र में किसी भारतीय सेवा उपभोक्ता को प्रदाय करना;

(ग) किसी अन्य देश के किसी सेवा प्रदाता द्वारा, भारत में वाणिज्यिक उपस्थिति के माध्यम से प्रदाय करना;

(घ) किसी अन्य देश के किसी सेवा प्रदाता द्वारा भारत में उनके प्रकृत व्यक्तियों की उपस्थिति के माध्यम से प्रदाय करना;

(ii) सेवाओं या प्रौद्योगिकी को —

(क) भारत से किसी अन्य देश के राज्यक्षेत्र को प्रदाय करना;

(ख) भारत में किसी अन्य देश के सेवा उपभोक्ता को प्रदाय करना;

(ग) भारत के किसी सेवा प्रदाता द्वारा, किसी अन्य देश के राज्यक्षेत्र में वाणिज्यिक उपस्थिति के माध्यम से प्रदाय करना;

(घ) भारत के किसी सेवा प्रदाता द्वारा किसी अन्य देश के राज्यक्षेत्र में भारतीय प्रकृत व्यक्तियों की उपस्थिति के माध्यम से प्रदाय करना:

परंतु विशेष आर्थिक जोन के संबंध में या दो विशेष आर्थिक जोनों के मध्य माल, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के संबंध में "आयात" और "निर्यात", विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार प्रशासित होंगे।'; 2005 का 28

(ख) खंड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(ञ) "सेवाओं" से किसी ऐसे प्रकार की सेवा अभिप्रेत है, जो संभावी उपयोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है और उसके अंतर्गत भारत और ऐसे अन्य देशों के बीच, जो उक्त करार के पक्षकार हैं, किए गए सेवाओं में व्यापार के साधारण करार के अधीन, विनिर्दिष्ट सभी व्यापारिक सेवाएं भी हैं:

परंतु यह परिभाषा कराधान के क्षेत्र को लागू नहीं होगी;

(ट) "सेवा प्रदायकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी सेवा का प्रदाय करता है और जो विदेशी व्यापार नीति के अधीन फायदा लेने का आशय रखता है;

(ठ) "विनिर्दिष्ट माल या सेवा या प्रौद्योगिकी" से ऐसे माल या सेवाएं या प्रौद्योगिकी अभिप्रेत हैं, जिसका निर्यात, आयात, अंतरण, पुन: अंतरण, अभिवहन और पोतांतरण किसी नाभिकीय शस्त्र राज्य के रूप में भारत से या भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से या सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली से संबंधित किसी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय या अंतर्राष्ट्रीय संधि, प्रसंविदा, अभिसमय या ठहराव के, जिसका भारत एक पक्षकार है या अधिनियम की धारा 5 के अधीन विरचित और अधिसूचित विदेश व्यापार नीति के अधीन किसी विदेश के साथ उसके करार के अधीन उसकी विदेश नीति या उसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यताओं को अग्रसर करने से संबंधित या सुसंगत होने के आधारों पर शर्तों के अधिरोपण के कारण प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित है;

(ड) "प्रौद्योगिकी" से लोकाधिकार क्षेत्र में सूचना से भिन्न, ऐसी कोई सूचना (जिसके अंतर्गत साफ्टवेयर में सम्मिलित कोई सूचना भी है) अभिप्रेत है, जो—

(i) किसी माल या साफ्टवेयर के विकास, उत्पादन या उपयोग में;

(ii) किसी औद्योगिक या व्यापारिक क्रियाकलाप के विकास में या उसको करने में या किसी प्रकार की सेवाओं का उपबंध करने में,

उपयोग किए जाने के लिए सक्षम है।

स्पष्टीकरण — इस खंड के प्रयोजन के लिए,—

(क) जब प्रौद्योगिकी पूर्णत: या भागत: ऐसे उपयोगों के प्रतिनिर्देश से वर्णित की गई हो, जिसमें उसका (या ऐसे माल का, जिससे वह संबंधित है) उपयोग किया जा सकता है, तब उसके अंतर्गत ऐसी सेवाएं भी होंगी, जो ऐसी प्रौद्योगिकी या माल के विकास, उत्पादन या उपयोग में उपलब्ध कराई जाती हैं या उपयोग की जाती हैं या उपयोग किए जाने के लिए समर्थ हैं;

2005 का 21

(ख) ''लोकाधिकारी क्षेत्र'' का वही अर्थ होगा, जो सामूहिक संहार के आयुध और परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 4 के खंड (i) में है।'।

अध्याय 2 के शीर्ष का संशोधन।

3. मूल अधिनियम में, ''अध्याय 2'' के नीचे उपशीर्ष में, ''निर्यात और आयात नीति'' शब्दों के स्थान पर, ''विदेश व्यापार नीति'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 3 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (2) में,—

(i) ''माल का आयात या निर्यात'' शब्दों के स्थान पर, ''माल या सेवाओं या तकनीक का आयात या निर्यात'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु इस उपधारा के उपबंध सेवाओं या प्रौद्योगिकी के आयात या निर्यात की दशा में केवल तब लागू होंगे, जब सेवा या प्रौद्योगिकी प्रदाता विदेश व्यापार नीति के अधीन फायदों का उपभोग कर रहा है या विनिर्दिष्ट सेवाओं या विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिकियों का व्यौहार करता है।'';

(ख) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(4) किसी अन्य विधि, नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी माल के आयात या निर्यात के लिए न तो कोई परमिट या अनुज्ञप्ति आवश्यक होगी, न ही कोई माल इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या आदेशों के अधीन जैसा अपेक्षित किया जाए उसके सिवाय आयात या निर्यात के लिए प्रतिबंधित नहीं होगा।''।

धारा 5 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

विदेश व्यापार नीति।

''5. केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विदेश व्यापार नीति विरचित कर सकेगी और उसकी घोषणा कर सकेगी और उस नीति का, उसी रीति से, संशोधन भी कर सकेगी:

परंतु केन्द्रीय सरकार यह निदेश दे सकेगी कि विशेष आर्थिक जोन की बाबत, विदेश व्यापार नीति माल, सेवाओं और प्रौद्योगिकी को ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित लागू होगी, जो उसके द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।''।

धारा 6 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में, ''निर्यात और आयात नीति'' शब्दों के स्थान पर, ''विदेश व्यापार नीति'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 7 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 7 में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु सेवाओं और प्रौद्योगिकी के निर्यात और आयात की दशा में, आयातकर्ता और निर्यातकर्ता कोड संख्यांक केवल तभी आवश्यक होगा, जब सेवा या प्रौद्योगिकी प्रदाता विदेश व्यापार नीति के अधीन फायदा ले रहा है या विनिर्दिष्ट सेवाओं या विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिकियों के संबंध में व्यौहार करता है।''।

धारा 8 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) जहां,—

(क) किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों या किसी विदेश नीति या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क या सीमाशुल्क या विदेशी मुद्रा से संबंधित या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का उल्लंघन किया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, ऐसा कोई अन्य आर्थिक अपराध किया है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए; या

(ख) महानिदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने किसी ऐसी रीति में कोई आयात या निर्यात किया है, जो भारत के किसी अन्य देश के साथ व्यापार संबंधों पर या आयात या निर्यात में लगे अन्य व्यक्तियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है या जिससे देश की साख या माल या उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं या प्रौद्योगिकी की बदनामी हुई है; या

(ग) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों या विदेश व्यापार नीति के उल्लंघन में विनिर्दिष्ट माल या सेवा या प्रौद्योगिकी का आयात या निर्यात करता है,

वहां महानिदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उस व्यक्ति से अभिलेख या कोई अन्य जानकारी मांग सकेगा और उस व्यक्ति को लिखित सूचना देने के पश्चात्, जिसमें उसे उन आधारों की जानकारी दी जाएगी जिन पर आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोड संख्यांक को निलंबित या रद्द किए जाने के लिए प्रस्ताव किया गया है तथा उसे ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, लिखित अभ्यावेदन करने का और यदि वह व्यक्ति ऐसी वांछा करे तो सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उस व्यक्ति को दिए गए आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोड संख्यांक को ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, निलंबित या रद्द कर सकेगा।";

(ख) उपधारा (2) में, "किसी माल का आयात या निर्यात", शब्दों के स्थान पर "किसी माल या सेवा या प्रौद्योगिकी के आयात या निर्यात" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 9 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(क) उपधारा (1), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) में "अनुज्ञप्ति" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, वित्तीय या राजवित्तीय फायदों को प्राप्त करने के लिए कोई स्क्रिप या कोई लिखत" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्—

"(2) महानिदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, किसी आवेदन पर और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, ऐसे वर्ग या वर्गों के माल या सेवाओं या प्रौद्योगिकी का, जो विहित की जाएं, आयात या निर्यात करने के लिए कोई अनुज्ञप्ति दे सकेगा या उसका नवीकरण कर सकेगा या उसे देने या नवीकरण करने से इंकार कर सकेगा और वित्तीय या राजवित्तीय फायदों को प्राप्त करने के लिए प्रमाणपत्र, कोई स्क्रिप या कोई लिखत दे सकेगा या नवीकृत कर सकेगा या ऐसी इंकारी के कारण लेखबद्ध करने के पश्चात्, देने या नवीकृत करने से इंकार कर सकेगा।"।

10. मूल अधिनियम के अध्याय 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

नए अध्याय 3क का अंत:स्थापन।

'अध्याय 3क

परिमाणात्मक निर्बंधन

परिमाणात्मक निर्बंधन अधिरोपित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

9क. (1) यदि केन्द्रीय सरकार का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि भारत में किन्हीं मालों का आयात, ऐसी बढ़ी हुई मात्राओं में और ऐसी दशाओं के अधीन किया जाता है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो सकती है या होने की आशंका है, तो वह ऐसे माल के आयात पर ऐसे परिमाणात्मक निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगी जो वह ठीक समझे:

परन्तु ऐसे परिमाणात्मक निर्बंधन किसी विकासशील देश से उद्‌भूत होने वाले किसी माल पर तब तक अधिरोपित नहीं किए जाएंगे जब तक उस देश से ऐसे माल के आयातों का शेयर तीन प्रतिशत से अधिक नहीं है या जहां ऐसा माल एक से अधिक विकासशील देशों से उद्‌भूत होता है, वहां जब तक सभी ऐसे देशों से एक साथ मिलकर आयातों का योग भारत में ऐसे माल के कुल आयातों के नौ प्रतिशत से अधिक नहीं होता है।

(2) इस धारा के अधीन अधिरोपित परिमाणात्मक निर्बंधन, जब तक पूर्व में प्रतिसंहृत न किए गए हों, ऐसे अधिरोपण की तारीख से चार वर्ष की समाप्ति तक प्रभावी नहीं रहेंगे:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि घरेलू उद्योग ने ऐसी क्षति या उसकी आशंका को समायोजित करने के उपाय किए हैं और यह आवश्यक है कि परिमाणात्मक निर्बंधन ऐसी क्षति या उसकी आशंका को रोकने के लिए और समायोजन को सुकर बनाने के लिए अधिरोपित किए जाते रहे तो वह उक्त अवधि को चार वर्ष से परे विस्तारित कर सकेगी:

परंतु यह और कि किसी भी दशा में परिमाणात्मक निर्बंधन उस तारीख से, जिसको ऐसे निर्बंधन पहली बार अधिरोपित किए गए थे, दस वर्ष की अवधि से परे लागू नहीं होंगे।

(3) केन्द्रीय सरकार, नियमों द्वारा, उस रीति का, जिसमें ऐसे माल की, जिसका आयात इस धारा के अधीन परिमाणात्मक निर्बंधनों के अध्यधीन होगा, पहचान की जा सकेगी और ऐसी रीति का, जिसमें ऐसे माल के संबंध में गंभीर क्षति के कारणों या गंभीर क्षति की आशंका के कारणों को अवधारित किया जा सकेगा, उपबंध कर सकेगी।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विकासशील देश" से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचित देश अभिप्रेत हैं;

(ख) "घरेलू उद्योग" से ऐसे माल के उत्पादक (जिनके अन्तर्गत कृषि माल के उत्पादक भी हैं) अभिप्रेत है,—

(i) भारत में ऐसे संपूर्ण समान माल या सीधे प्रतिस्पर्धी माल; या

(ii) जिसका भारत में समान माल या सीधे प्रतिस्पर्धी माल का सामूहिक उत्पादन भारत में उक्त माल के कुल उत्पादन के मुख्य अंश का गठन करता है;

(ग) "गंभीर क्षति" से ऐसी क्षति अभिप्रेत है, जिसके कारण किसी घरेलू उद्योग की प्रास्थिति में महत्वपूर्ण व्यापक ह्रास होता है;

(घ) "गंभीर क्षति की आशंका" से गंभीर क्षति का स्पष्ट और आसन्न संकट अभिप्रेत है;'।

11. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 10 का संशोधन।

"(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति को निम्नलिखित के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसी अपेक्षाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसे अधिकारी के अनुमोदन से, जो विहित किया जाए, प्राधिकृत कर सकेगी,—

(क) ऐसे परिसरों में, जहां माल आयात या निर्यात के प्रयोजनों के लिए रखे जाते हैं,

भंडारित या प्रसंस्कृत, विनिर्मित किए जाते हैं, उनका व्यापार या प्रदाय या उन्हें प्राप्त किया जाता है, प्रवेश करने और ऐसे माल, माल के ऐसे आयात या निर्यात से संबंधित दस्तावेजों, वस्तुओं और हस्तांतरण पत्रों की तलाशी लेने, उनका निरीक्षण करने तथा अभिग्रहण करने,

(ख) ऐसे परिसरों में, जहां से सेवाएं या प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जाती है या प्रदाय, प्राप्त या उपभोग या प्रयुक्त की जाती हैं प्रवेश करने और ऐसे माल, ऐसी सेवाओं या प्रौद्योगिकी के आयात या निर्यात से संबंधित वस्तुओं, दस्तावेजों और हस्तांतरण पत्रों की तलाशी लेने, उनका निरीक्षण करने तथा अभिग्रहण करने:

परंतु खंड (ख) के उपबंध सेवाओं या प्रौद्योगिकी के आयात और निर्यात की दशा में केवल तभी लागू होंगे, जब सेवा या प्रौद्योगिकी प्रदाता विदेश व्यापार नीति के अधीन फायदा प्राप्त करता है या विनिर्दिष्ट सेवाओं या विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिकियों में व्यौहार करता है।''।

धारा 11 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

12. मूल अधिनियम की धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों, आदेशों और विदेश व्यापार नीति का उल्लंघन।

''11. (1) किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी निर्यात या आयात इस अधिनियम के उपबंधों, उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों और तत्समय प्रवृत्त विदेश व्यापार नीति के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों या विदेश व्यापार नीति के उल्लंघन में कोई निर्यात या आयात करेगा या उसे करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा या प्रयत्न करेगा, वहां वह, दस हजार रुपए से अन्यून और उस माल या सेवा या प्रौद्योगिकी के, जिसके बारे में कोई उल्लंघन किया गया है, या करने का प्रयत्न किया गया है, मूल्य के पांच गुना से अनधिक की, इनमें से जो भी अधिक हो, की शास्ति का भागी होगा।

(3) जहां कोई व्यक्ति महानिदेशक या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्रस्तुत की गई किसी घोषणा, विवरण या दस्तावेज पर यह जानते हुए या ऐसा विश्वास करने का कारण होते हुए हस्ताक्षर करता है या उसका उपयोग करता है या उसे प्रस्तुत, हस्ताक्षरित या उपयोग करवाता है कि ऐसी घोषणा, विवरण या दस्तावेज कूटरचित है या उसमें फेरफार की गई है या किसी सारवान् विशिष्टि के संबंध में मिथ्या है तो वह दस हजार रुपए से अन्यून या ऐसे माल या सेवाओं या प्रौद्योगिकी के, जिसके संबंध में ऐसी घोषणा, विवरण या दस्तावेज प्रस्तुत किया गया हो, मूल्य के पांच गुना से अनधिक की, इनमें से जो भी अधिक हो, शास्ति का भागी होगा।

(4) जहां कोई व्यक्ति, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा उसे सूचना दिए जाने पर, कोई उल्लंघन स्वीकार करता है वहां न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ऐसे वर्ग या वर्गों या मामलों में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उस व्यक्ति द्वारा संदत्त की जाने वाली रकम, परिनिर्धारण के रूप में, अवधारित कर सकेगा।

(5) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति की, यदि वह किसी व्यक्ति द्वारा संदत्त नहीं की जाती है, निम्नलिखित किसी एक या अधिक पद्धतियों द्वारा वसूल की जा सकेगी, अर्थात्:—

(क) महानिदेशक इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी रकम की, ऐसे व्यक्ति को देय किसी ऐसी धनराशि से, जो ऐसे अधिकारी के नियंत्रणाधीन हो, कटौती कर सकेगा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से ऐसी कटौती करने की अपेक्षा कर सकेगा; या

(ख) महानिदेशक किसी सीमाशुल्क अधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी रकम की ऐसे व्यक्ति को देय किसी ऐसी धनराशि से, जो ऐसे सीमाशुल्क अधिकारी के नियंत्रणाधीन हो, इस प्रकार कटौती करे, मानो उक्त रकम सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन संदेय हो; या

1962 का 52

(ग) महानिदेशक, सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क के किसी अन्य अधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह इस प्रकार संदेय रकम की, ऐसे व्यक्ति के ऐसे माल (जिसके अन्तर्गत सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबद्ध माल भी है) को, जो सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क के किसी अन्य अधिकारी के नियंत्रणाधीन हों, निरुद्ध करके या उनका विक्रय करके इस प्रकार वसूली करे मानो उक्त रकम सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन संदेय हो; या

1962 का 52

(घ) यदि रकम की खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में उपबंधित रीति के अनुसार ऐसे व्यक्ति से वसूली नहीं की जा सकती है तो,—

(i) महानिदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, उसके द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र तैयार कर सकेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम विनिर्दिष्ट होगी और उसे उस जिले के कलक्टर को भेज सकेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति के स्वामित्वाधीन कोई संपत्ति है या वह निवास करता है या कारबार करता है और उक्त कलक्टर ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर, तद्धीन विनिर्दिष्ट रकम की ऐसे व्यक्ति से वसूली करने के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगा, मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो; या

(ii) महानिदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी (जिसके अन्तर्गत सीमाशुल्क का ऐसा कोई अधिकारी भी है, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन तब अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा) और इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार, ऐसे व्यक्ति के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और उसे तब तक इस प्रकार निरुद्ध रखेगा जब तक कि संदेय रकम को संदत्त नहीं कर दिया जाता, मानो उक्त रकम सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन संदेय हो; और उस दशा में, यदि उक्त संदेय रकम का कोई भाग या करस्थम् का या संपत्ति को रखने का खर्च, किसी ऐसे करस्थम् के पश्चात् के आगामी तीस दिन की अवधि के लिए असंदत्त रहता है तो वह उक्त संपत्ति का विक्रय करवा सकेगा और ऐसे विक्रय के आगमों से संदेय रकम और खर्चों, जिसके अन्तर्गत असंदत्त रह गया विक्रय का खर्च भी है, को पूरा कर सकेगा और किसी अधिशेष, यदि कोई हो, को ऐसे व्यक्ति को सौंप देगा।

1962 का 52

(6) जहां इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन निष्पादित किसी बंधपत्र या अन्य लिखत के निबंधन यह उपबंध करते हैं कि ऐसी लिखत के अधीन शोध्य किसी रकम की वसूली उपधारा (5) में अधिकथित रीति में की जा सकेगी, वहां ऐसी रकम की वसूली, वसूली की किसी अन्य पद्धति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त उपधारा के उपबंधों के अनुसार की जा सकेगी।

(7) इस धारा में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी ऐसे व्यक्ति के, जो इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति का संदाय करने में असफल रहता है, आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोड संख्यांक को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, शास्ति का संदाय या उसकी वसूली किए जाने तक निलंबित किया जा सकेगा।

(8) जहां इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों या विदेश व्यापार नीति का कोई उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या करने का प्रयत्न किया जाता है, वहां किसी पैकेज, आवेष्टक या पात्र और किसी प्रवहण सहित माल (जिसके अंतर्गत सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल भी है), ऐसी अपेक्षाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा अधिहरण किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

(9) उपधारा (8) के अधीन अधिहृत माल (जिसके अंतर्गत सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल भी है) या प्रवहण को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, माल या प्रवहण के बाज़ार मूल्य के बराबर मोचन प्रभारों का संबद्ध व्यक्ति द्वारा संदाय करने पर, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, निर्मुक्त किया जा सकेगा।''।

नई धारा 11क और धारा 11 ख का अंत:स्थापन।

13. मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

शास्तियों के रूप में वसूल की गई राशियों को भारत की संचित निधि में जमा करना।

"11क. इस अधिनियम के अधीन शास्तियों के रूप में वसूल की गई सभी राशियां भारत की संचित निधि में जमा की जाएंगी।

निर्यात बाध्यता व्यतिक्रम के नियमितीकरण हेतु समाधान आयोग को सशक्त करना।

11ख. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 32 के अधीन गठित किए गए समाधान आयोग द्वारा आदेश किए गए अनुसार सीमाशुल्क और उस पर ब्याज का समाधान इस अधिनियम के अधीन समाधान समझा जाएगा।"। 1944 का 1

धारा 14 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 14 में, "माल" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वह आता है "माल (जिसके अन्तर्गत सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल भी है)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

नए अध्याय 4क का अंतस्थापन।

15. मूल अधिनियम के अध्याय 4 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'अध्याय 4क

विनिर्दिष्ट माल, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के निर्यात् पर नियंत्रण

विनिर्दिष्ट माल, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के निर्यात पर नियंत्रण।

14क. (1) इस अध्याय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट माल, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के निर्यात पर नियंत्रणों के संबंध में सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005, विनिर्दिष्ट माल, प्रौद्योगिकी या सेवाओं के निर्यात अन्तरणों, पुन: अंतरणों, किए गए अभिवहन, पोतांतरण और उसमें दलाली को लागू होगा। 2005 का 21

(2) सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 के सभी पद, अभिव्यक्तियां या उपबंध, विनिर्दिष्ट माल, सेवाओं या प्रौद्योगिकी को ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित लागू होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। 2005 का 21

(3) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,यह निदेश दे सकेगी कि इस अध्याय का कोई उपबंध,—

(क) किन्हीं माल, सेवाओं या प्रौद्योगिकियों को लागू नहीं होगा; या

(ख) किन्हीं ऐसे माल, सेवाओं या प्रौद्यागिकियों को ऐसे अपवादों, उपान्तरणों और अनुकूलनों सहित लागू होगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अन्तरण संबंधी नियंत्रण।

14ख. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट माल, सेवाओं या प्रौद्योगिकी के अन्तरण के संबंध में नियंत्रण के अधिरोपण के लिए या उसके संबंध में सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुरूप नियम बना सकेगी। 2005 का 21

(2) इस अध्याय के अधीन अधिसूचित कोई माल, सेवाएं या प्रौद्योगिकी का निर्यात, अन्तरण, पुन:अन्तरण, अभिवहन या पोतान्तरण, इस अधिनियम, सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 या किसी अन्य सुसंगत अधिनियम के उपबंधों के अनुसार करने के सिवाय, नहीं किया जाएगा। 2005 का 21

संपूर्ण नियंत्रण रखना।

14ग. कोई व्यक्ति, किसी सामग्री, उपस्कर या प्रौद्योगिकी का, यह जानते हुए कि ऐसी सामग्री, उपस्कर या प्रौद्योगिकी, जैव आयुध, रासायनिक आयुध, अणु आयुध या अन्य अणु विस्फोट युक्ति को डिजाइन करने या उसके विनिर्माण में अथवा उनकी मिसाइल परिदान प्रणाली में उपयोग किए जाने के लिए आशयित है, निर्यात नहीं करेगा।

किसी अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्दकरण।

14घ. महानिदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट माल, या सेवाओं या प्रौद्योगिकी के आयात या निर्यात की अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्तिधारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना, निलंबित या रद्द कर सकेगा, किन्तु ऐसे व्यक्ति को ऐसे आदेश के छह मास के भीतर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा और तदुपरांत महानिदेशक या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी, यदि आवश्यक हो, तो लिखित में आदेश द्वारा उस आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उपान्तरित या प्रतिसंहत कर सकेगा।

अपराध और शास्तियां।

14ङ (1) विनिर्दिष्ट माल, सेवाओं या प्रौद्योगिकियों के संबंध में किसी उल्लंघन की दशा में शास्ति, सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुसार होगी। (2005 का 21)

(2) जहां कोई व्यक्ति विनिर्दिष्ट माल या सेवाओं अथवा प्रौद्योगिकी के आयात या निर्यात के संबंध में इस अध्याय के किसी उपबंध (किन्हीं उपबंधों) का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास अथवा दुष्प्रेरण करता है, वह, किसी ऐसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उस पर अधिरोपित की जाए, सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 में अनुबंधित अवधि के कारावास से दंडनीय होगा। (2005 का 21)

(3) कोई न्यायालय, केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।''।

अध्याय 5 के शीर्षक का संशोधन।

16. मूल अधिनियम के ''अध्याय 5'' के नीचे उपशीर्ष में ''पुनरीक्षण'' शब्द के स्थान पर ''पुनर्विलोकन'' शब्द रखा जाएगा।

धारा 15 का संशोधन।

17. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के परन्तुक में ''माल'' शब्द के स्थान पर ''माल (जिसके अन्तर्गत सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल भी है)'' शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

धारा 16 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

18. मूल अधिनियम की धारा 16 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

पुनर्विलोकन।

''16. महानिदेशक द्वारा किए गए किसी विनिश्चय या आदेश की दशा में केन्द्रीय सरकार या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा किए गए किसी विनिश्चय या आदेश की दशा में महानिदेशक स्वप्रेरणा से या अन्यथा ऐसे विनिश्चय या आदेश की, यथास्थिति, शुद्धता, विधिमान्यता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए किसी कार्यवाही के अभिलेख मंगा सकेगी/मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगी/कर सकेगा और उस पर ऐसे आदेश कर सकेगी/कर सकेगा, जो वह ठीक समझे:

परन्तु इस धारा के अधीन किसी विनिश्चय या आदेश में तब तक इस प्रकार फेरफार नहीं किया जाएगा, जिससे कि किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, जब तक कि,—

(क) ऐसे व्यक्ति ने ऐसे विनिश्चय या आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर यह हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना प्राप्त न की हो कि ऐसे विनिश्चय या आदेश में फेरफरार क्यों न किया जाए; और

(ख) ऐसे व्यक्ति को अभ्यावेदन करने का और यदि वह ऐसी वांछा करे तो, अपनी प्रतिरक्षा में सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो।''।

धारा 17 का संशोधन।

19. मूल अधिनियम की धारा 17 में, ''पुनरीक्षण'' शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, ''पुनर्विलोकन'' शब्द रखा जाएगा।

नई धारा 18क का अंत:स्थापन।

20. मूल अधिनियम की धारा 18 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

अन्य विधियों के लागू होने का वर्जित न होना।

''18क. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।''।

धारा 19 का संशोधन।

21. मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) में,—

(क) खंड (ख) में, "अनुज्ञप्ति" शब्द के स्थान पर "अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, वित्तीय या राजवित्तीय फायदों को प्राप्त करने के लिए कोई स्क्रिप या कोई लिखत" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ग) ऐसे वर्ग या वर्गों के माल (जिनके अंतर्गत सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल भी हैं), जिनके लिए धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, वित्तीय या राजवित्तीय फायदों को प्राप्त करने के लिए कोई स्क्रिप या कोई लिखत दी जा सकेगी;";

(ग) खंड (घ) और खंड (ङ) में "अनुज्ञप्ति" शब्द के स्थान पर "अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, वित्तीय या राजवित्तीय फायदों को प्राप्त करने के लिए कोई स्क्रिप या कोई लिखत" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ङक) वह रीति, जिसमें उन मालों की पहचान की जा सकेगी, जिनका आयात परिमाणात्मक निर्बंधनों के अधीन रहते हुए किया जाएगा और वह रीति, जिसमें ऐसे मालों के संबंध में गंभीर क्षति के कारण या गंभीर क्षति की आशंका के कारणों को धारा 9क की उपधारा (3) के अधीन अवधारित किया जा सकेगा।";

(ङ) खंड (च) में, "माल" शब्द के स्थान पर, "माल (जिसके अंतर्गत सेवा या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल भी है)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(च) खंड (छ) में "धारा 11 की उपधारा (3)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "धारा 11 की उपधारा (4)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(छ) खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ज) वे अपेक्षाएं और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए माल (जिसके अंतर्गत सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल भी है) और प्रवहण, धारा 11 की उपधारा (8) के अधीन अधिहरण के दायित्वाधीन होंगे।";

(ज) खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(झ) वह रीति, जिसमें और वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए माल (जिसके अंतर्गत सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल भी है) और प्रवहण धारा 11 की उपधारा (9) के अधीन मोचन प्रभारों का संदाय करने पर निर्मुक्त किए जा सकेंगे।"।